PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF THE LOK SABHA/RAJYA SABHA

(AUTHENTICATED)

लोक सभा / राज्य अध्या के पहल पर रखे जान वाच नवस्पनात Papers to be laid on the table of Lok Sabha / Rajya Sabha अधिप्रमाणित / Authenticated

(सतीश चंद्र द्वे) MINISTERIOF STATEAFOR COAL

कायला राज्यमंत्री Minister of State For Coal

Statement of review conducted by the Central Government in the performance of the Coal Mines Provident Fund Organization for the year 2024-25.

The Coal Mines Provident Fund Organization is an autonomous Organization under the Ministry of Coal, which administers the following three Schemes:

- (a) Coal Mines Provident Fund Scheme, 1948
- (b) Coal Mines Pension Scheme, 1998
- (c) Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (Discontinued w.e.f. 24.03.2009 in respect of CIL and its subsidiaries as well as SCCL.)

The features and the broad profile of each of the above three schemes are as under:-

(a) COAL MINES PROVIDENT FUND SCHEME, 1948

1.1 The Coal Mines Provident Fund Scheme framed under the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948(46 of 1948) provides Provident fund benefits to all employees of coal mines in India. The workers contribute to the Coal Mines Provident Fund at the rate of 12% of their emoluments and the employers pay an equivalent amount. Government of India in consultation of BoT declared interest for the FY 2024-25 @ 7.6 per cent to be allowed on the closing balance of PF of the financial year 2023-24. The entire accumulations in the fund are invested in accordance with guidelines laid down by the Ministry of Finance and Board of Trustees, CMPF. The fund vests in and is administered by a tripartite Board of Trustees consisting of representatives of employers, employees and Central/State Governments.

The table below indicates the broad profile of the Scheme

Particulars	Actual 2024-25
Number of Coal Mines/plants covered (at the end of the year).	805
Number of live membership during the year.	331857
Contribution during the year (Rs. ₹ in crores) including voluntary contribution.	8462.41
Rate of interest allowed to the members of the fund	7.60 %
Advance during the year (Rs. in crores)	218.86
Refund of Provident Fund during the year (Rs. in crores)	11275.91
(i) No. of cases settled (refund)	23127
(ii) No. of cases received (refund)	23612
Officers and Staff in position	583

(b) COAL MINES PENSION SCHEME, 1998

- 2.1 One of the most important landmarks in the history of Coal Mines Provident Fund Organisation is the introduction of Coal Mines Pension Scheme, 1998 effective from 31.03.1998 which has been notified by the Central Government on 5th March, 1998, in exercise of the powers conferred by Section 3E of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948) and in supersession of the Coal Mines Family Pension Scheme, 1971.
- 2.2 The Coal Mines Pension Scheme has come into force with effect from the 31st day of March, 1998 and on that day its members were 7, 82,578 working in different coal mines within the country. As on 31.03.2025 the CMPS'98 Membership is reported at 3,51,567. The highlights of the Scheme are:-

(i) Corpus of the Fund and its sustainability:

The Pension Fund consists of the following:-

- (a) Net assets of the Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 as on the appointed day i.e. 31.03.1998;
- (b) Member's and Employer's contribution to Pension Fund has been modified to 7% share each replacing all other contributions being paid by employee & employer vide GSR No. 540(E) published on 08th June 2018 w.e.f. 01.10.2017
- (c) An amount equivalent to one and two-third percent of the salary of the employee to be contributed by the Central Government from the appointed day;
- (d) Amounts to be deposited by new optees in terms of the provisions of the Scheme.

The Commissioner is responsible for getting the valuation of the Pension fund done every third year by an Actuary, to be appointed by the Board of Trustees.

(ii) Coverage:

- (a) All employees who were members of the ceased Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 and were on rolls on 31st March, 1998.
- (b) All such employees who are appointed on or after 31st March, 1998.
- (c) All such optee members retired from service during the period from 01.04.1994 to 30.03.1998 and who opted for membership of the Pension Fund in Form PS-I and PS-2 as the case may be.

All such employees who died while in service during the period 01.04.1994 to 31.03.1998 are treated as deemed optee of the scheme vide G.S.R No. 521 (E) dated 12.08.2004.

(iii) Benefits:

- 1. Monthly Pension
- 2. Disablement Pension
- 3. Widow or Widower Pension
- 4. Children Pension
- 5. Orphan Pension
- 6. Ex-gratia Payment.

2.3. The Central Govt. contributed a sum of Rs.10.82 crore during 2024-25 towards pension fund. The table below indicates the broad parameters of the Scheme.

S. No.	Particulars	
i)	Maril 12 CG 12 C	2024-25
	Membership of Coal Mines Pension Scheme.	3,51,567
ii)	Contribution to Pension Scheme during the year by employers, employees, Govt. (Rs. in crores)	5062.97
iii)	Disbursement of benefits (ceased Family Pension Scheme and Pension Scheme). (Rs. in crores)	5242.68
iv)	No. of Pension claims settled.	26842
v)	No. of pension cases received	27852

(c) COAL MINES DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME, 1976

- 3.1 The Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme'1976 was introduced with effect from 1st August, 1976. The scheme provides for payment to the dependents of a member, an amount equivalent to the average of the last three years' balance at the credit of the member's provident fund if the member dies while in service, subject to a maximum of Rs. 10,000/-.
- 3.2 The Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme'1976 was discontinued w.e.f. 24.03.2009 by virtue of Central Government Gazette Notification No. SO 822(E) dated 24.03.2009. Coal India Limited and its subsidiaries have since been granted exemption from the Scheme vide Gazette Notification No. SO. 822(E) dated 24.03.2009.

- 3.3 In accordance with this Scheme, the employers are required to contribute at the rate of 0.5% of the aggregate wages towards this scheme. The Central Government is also required to contribute an amount equal to 50% of the contribution made by the employers.
- 3.4 The Central Government contributed a sum of Rs. 0.00 crore in 2024-25 under this Scheme. The table below indicates the broad parameters of the Scheme.

COAL MINES DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME

CI		(Rs. in crores)
SI. No.	Particulars	Actual 2024-25
1.	Total amount of contribution (employers contribution)	0.00
2.	Total amount received as Govt. Contributions	0.00
3.	Investment made out of DLI fund and deposited in Public Account as on 01.04.2024	443.22
4.	Investment made out of Insurance Fund during the year 2024-25	33.24
5.	Total investment made from insurance fund as on 31.03.2025	476.46

- 3.5 The cost of administration of the Deposit Linked Insurance Scheme is borne by the employers, who contribute 0.1% of the aggregate wages for the purpose. The Government is also required to contribute 50% of the employer's contribution for this purpose i.e. 0.05% of the aggregate wage. No separate staff is employed for the Scheme. Proportionate share of expenditure on common items is charged to the scheme.
- 3.6 Coal Mines Pension Schemes & Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme:

(Rs. in crores)

Object Head	Actual 2024-25
CMDLI Scheme (Employer Contribution)	0.00
CMDLI Scheme (Govt. Contribution)	0.00
CMDLI Scheme (Adm. charge)	0.08
CMDLI Adm. Charge (Govt. Contribution)	0.00
Coal Mines Pension Scheme (Contribution)	5052.07
Coal Mines Pension Scheme (Govt.Contribution)	10.82
Coal Mines Pension Scheme (Adm. Charge by Govt.)	00.00
Total	5062.97

लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर रखे जाने व लोकालाजातराज्य सभा के पटल पर रखे जाने वाले कागजात (अधिप्रमाणित)

(अधिप्रमाणित)

(अधिप्रमाणित)

(अधिप्रमाणित)

(अधिप्रमाणित)

(अधिप्रमाणित / Rajya Sabha अधिप्रमाणित / Authenticated

वर्ष 2024-25 के लिए कोयला खान भविष्य निधि संगठन के कार्य निष्पादन की केंद्र सरकार द्वारा की गई समीक्षा का विवरण।

कोयला खान भविष्य निधि संगठन कोयला मन्त्रालय के अधीन एक स्वायत संगठन है जो निम्नलिखित तीन योजनाओं को प्रशासित करता है :

- (क) कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948
- (ख)कोयला खान पेंशन योजना,1998
- (ग) कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976 (सीआईएल एवं इसकी अनुषंगियो तथा एससीसीएल को 24.03.2009 से इससे छूट प्राप्त है लेकिन अन्य कोयला कमानियो में यह जारी है)

उपर्युक्त तीनो योजनाओं में प्रत्येक की अलग-अलगविशेषताएँ और व्यापक रुपरेखा निम्नवत हैं:

(क) कोयला खान भविष्य निधि संगठन, 1948

1.1 कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948 जो कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) के अंतर्गत बनाई गई है, भारत में कोयला खानों के सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि के लाभ प्रदान करती है। कोयला खान भविष्य निधि में कामगार अपनी परिलब्धियों का 12% की दर का अंशदान करते है तथा नियोक्ता भी बराबर की राशि का अंशदान करते है | वित वर्ष 2024-25 के लिए भविष्य निधि की अंतर्शेष पर ब्याज का निर्धारण भारत सरकार द्वारा 7.60 प्रतिशत की दर से किया गया है | इस निधि में एकत्रित सम्पूर्ण निधि का वित मंत्रालय और सीएमपीएफ के न्यासी बोर्ड द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निवेश किया जाता है | यह निधिन्यासियों के त्रिपक्षीय बोर्ड जिसमे नियोक्तयों, कर्मचारियों और केंद्र/ राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते है, के अधीन होती है और यह बोर्ड इसका संचालन करता है |

इस योजना का विस्तृत ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:-

विवरण	वास्तविक 2024-2025
योजना में शामिल कोयला खानों/ संयत्रों की संख्या	805
(वर्ष के अंत तक)	**************************************
वर्ष के दौरान अद्यतन सदस्यों की संख्या	331857
वर्ष के दौरान स्वैच्छिक अंशदान सहित अंशदान	8462.41
(करोड रु. में)	
निधि के सदस्यों को दी गई ब्याज दर	7.60%
वर्ष के दौरान अग्रिम (करोड रु. में)	218.86
वर्ष के दौरान भविष्य निधि की वापसी (करोड़ रु.	11275.91
में)	
(i)निपटाए गए मामलो की संख्या (रिफंड)	23127
(ii)प्राप्त मामलो की संख्या (रिफंड)	23612
अधिकारियो और कर्मचारियों की संख्या	583

(ख) कोयला खान पेंशन योजना,1998

- 2.1 कोयला खान भविष्य निधि संगठन के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक कोयला खान पेंशन योजना 1998 को 31.03.1998 से लागु किया जाना है जिसे केंद्र सरकार द्वारा कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम,1948 (1948 का 46) की धारा 3ई द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 का अधिक्रमण करते हुए दिनांक 5 मार्च, 1998 को अधिसूचित किया गया था।
- 2.2 कोयला खान पेंशन योजना 31 मार्च,1998 से प्रवृत हुई और उक्त तारीख को सदस्यों की संख्या 7,82,578 थी जो देश की विभिन्न कोयला खानों में कार्यरत थे। 31.03.2025 को सीएमपीएस,98 के सदस्यों की संख्या 3,51,567 सूचित की गई हैं। इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(i) निधि का संग्रह और उसे कायम रखना:-

पेंशन निधि में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) नियत तिथि अर्थात 31.03.1998 को कोयला खान परिवार पेंशन योजना,1971 की निवल परिसंपतियाँ;

- (ख) कर्मचारी एवं नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले अंशदान को जीएसआर संo 540 ई दिनांक 8.6.2018 द्वारा 7-7 प्रतिशत से संशोथित किया गया जो कि दिनांक 1.10.2017 से प्रभावी हैं।
- (ग) कर्मचारी के वेतन के एक तथा दो-तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि का केंद्र सरकार द्वारा नियत तारीख से अंशदान किया जाना हैं।
- (घ) इस योजना के इच्छुक नए सदस्यों द्वारा योजना के प्रावधानों कि शर्तो के अनुसार जमा कि जानेवाली राशि।

न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त एक बीमांकक द्वारा प्रत्येक तीसरे वर्ष पेंशन निधि का मूल्यांकन करवाने के लिए आयुक्त उत्तरदायी हैं।

(ii) इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (क) वे सभी कर्मचारी जो समाप्त की गई कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य थे और 31 मार्च, 1998 को करचरियों कि नामावली में थे।
- (ख) ऐसे सभी कर्मचारी जो 31 मार्च,1998 को अथवा उसके बाद नियुक्त किए गए।
- (ग) ऐसे सभी इच्छुक सदस्य जो 01.04.1994 से 30.03.1998 के दौरान सेवानिवृत हुए हों तथा जिन्होंने पीएस-1 और पीएस-2 प्रपत्र जैसी भी स्थिति हो, में पेंशन निधि कि सदस्यता को चुना हैं।

01.04.1994 से 31.03.1998 की अवधि में सेवाकाल के दौरान मृत ऐसे सभी कर्मचारियों को दिनांक 12.08.2004 के जीएसआर सं. 521(ई) के अनुसार इस योजना के इच्छुक सदस्य माने गए हैं।

(iii) लाभ:

- 1. मासिक पेंशन
- 2. विकलांगता पेंशन
- 3. विधवा अथवा विध्र पेंशन
- 4. बाल पेंशन
- 5. अनाथ पेंशन
- 6. अनुग्रह अदायगी

2.3 केंद्र सरकार ने 2024-25 के दौरान पेंशन निधि के प्रति रु0 10.82 करोड़ का अंशदान किया। निम्नलिखित तालिका योजना के विस्तृत मानदंडों को दर्शाती हैं।

क्र.सं.	विवरण	वास्तविक
		2024-2025
i)	कोयला खान पेंशन योजना की सदस्यता	3,51,567
ii)	उक्त वर्ष के दौरान पेंशन योजना में नियोक्ताओं, कर्मचारियों	5062.97
	और सरकार द्वारा किया गया अंशदान (रु. करोड़ में)	
iii)	लाभों का संवितरण (समाप्त हुई परिवार पेंशन योजना और	5242.68
	पेंशन योजना)। (रु. करोड़ में)	
iv)	निपटाए गए पेंशन दावों की संख्या	26842
v)	प्राप्त हुए पेंशन मामलों की संख्या	27852

(ग) कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना,1976

- 3.1 कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना 1 अगस्त,1976 से लागू की गई थी। इस स्कीम में यह प्रावधान है कि यदि भविष्य निधि के सदस्य कि सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उस सदस्य के खाते में पिछले 3 वर्षों के औसत के बराबर राशि, जो अधिकतम 10,000 रु. होगी, का भुगतान सदस्य के आश्रितों को किया जाएगा।
- 3.2 कॉल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी अनुसगियों तथा एससीसीएल को गज़ट अधिसूचना सं. एस.ओ. 822 (ई) दिनांक 24.03.2009 के अनुसार को कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976 से प्रभावी दिनांक 24.03.2009 से छुट प्राप्त थी। क्योंकि उन्होने अपनी स्वयं कि लाइफ कवर स्कीम जो कर्मचारियों के लिए अधिक लाभदायक थी, शुरू कि थी। अतः इस स्कीम कि व्याप्ति इस प्रकार अन्य कोयला कंपनियों जैसे डीवीसी, टिस्को, इस्को, जेकेएमएल तक सीमित हो गई।
- 3.3 इस योजना के अनुसार नियोजकों द्वारा शामिल कमगरों के कुल वेतन के 0.5% की दर से इस योजना में अंशदान किया जाना अपेक्षित हैं। केंद्र सरकार से भी नियोजकों द्वारा किए गए अंशदान के 50% के बराबर राशि का अंशदान करना अपेक्षित हैं।

3.4 केंद्र सरकार ने इस स्कीम के अंतर्गत 2024-2025 में 0.00 करोड़ रु की राशि का अंशदान किया। निम्नलिखित तालिका इस स्कीम के विस्तृत मानदंडों को दर्शाती हैं:-

कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना:

(करोड़ रु. में)

	(49XI	
क्र.सं.	विवरण	वास्तविक
		2024-25
1	अंशदान की कुल राशि (नियोजक का अंशदान)	0.00
2	सरकारी अंशदान के रूप में प्राप्त कुल राशि	0.00
3	डीएलआई निधि में से किया गया निवेश और 01.04.2024	443.22
	को सार्वजनिक खाते मे जमा की गई	
4	2024-25 के दौरान बीमा निधि में से किया गया निवेश	33.24
5	3.03.2025 को बीमा निधि से किया गया कुल निवेश	476.46

3.5 जमा सम्बद्ध बीमा योजना के प्रशासन की लागत नियोजकों द्वारा वहन की जाती है जो इस प्रयोजनार्थ समग्र वेतन का 0.1% अंशदान करता है। सरकार को भी इस प्रयोजनार्थ नियोजक के अंशदान का 50% अर्थात समग्र वेतन का 0.5% अंशदान करना होता है। इस स्कीम के लिए किसी पृथक स्टाफ की तैनाती नहीं की गयी हैं। इस स्कीम के लिए समान मदों पर व्यय का समानुपातिक शेयर लिया जाता हैं।

3.6 कोयला खान पेंशन स्कीम एवं कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा स्कीम:

(करोड रु. में)

	(कराइ रु. म)	
उद्देश्य शीर्ष	वास्तविक	
	(2024-25)	
सीएमडीएलआई (नियोजक का अंशदान)	0.00	
सीएमडीएलआई स्कीम (सरकार का अंशदान)	0.00	
सीएमडीएलआई स्कीम (प्रशासन शुल्क)	0.08	
सीएमडीएलआई प्रशासन शुल्क (सरकार का अंशदान)	0.00	
कोयला खान पेंशन स्कीम (अंशदान)	5052.07	
कोयला खान पेंशन स्कीम (सरकार का अंशदान)	10.82	
कोयला खान पेंशन स्कीम (सरकार द्वारा प्रशासन शुल्क)	00.00	
योग	5062.97	



कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER COAL MINES PROVIDENT FUND

वार्षिक विवरण 2024-25 ANNUAL REPORT 2024-25

लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर रखे जाने वाले कागजात

PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF HERLOK SABHARALYAL SABHARALYAL

न्यू दिल्ली /NEW DELHI दिनांक/DATE

मुख्यालय : कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद - 826001 (झारखंड)
HEAD QUARTER: COAL MINES PROVIDENT FUND ORGANIZATION, DHANBAD- 826001 (JHARKHAND)



कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER COAL MINES PROVIDENT FUND

वार्षिक विवरण 2024-25 ANNUAL REPORT 2024-25

मुख्यालय : कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद - 826001 (झारखंड)

HEAD QUARTER: COAL MINES PROVIDENT FUND ORGANIZATION, DHANBAD- 826001 (JHARKHAND)

वार्षिक लेखे 2024-25

सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्याएँ
1	वार्षिक विवरण	1-27
2	भविष्य निधि मुख्य लेखा	28-40
3	भविष्य निधि प्रशासन लेखा	41-58
4	पेंशन निधि मुख्य लेखा	59-70
5	पेंशन निधि प्रशासन लेखा	71-74
6	जमा सम्बंध बीमा मुख्य लेखा	75-82
7	जमा सम्बंध बीमा प्रशासन लेखा	83-89
8	वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	90-97
9	Annual Report	98-125
10	Coal Mines Provident Fund Main Accounts	126-137
11	Coal Mines Provident Fund Administration Accounts	138-154
12	Coal Mines Pension Main Accounts	155-166
13	Coal Mines Pension Administration Accounts	167-175
14	CMDLI Fund Main Accounts	176
15	CMDLI Fund Administration Accounts	177-183
16	Audit Certificate (SAR)	184-192

प्रस्तावनाः

1.1 अधिदेश:

कोयला खान भविष्य निधि संगठन को कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1948 तथा उसके अंतर्गत निर्मित योजनाऐं अर्थात कोयला खान भविष्य निधि योजना 1948, कोयला खान पेंशन योजना 1998 तथा कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना 1976 को संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

1.2 योजनाएँ एक दृष्टि में: कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948:

कोयला खान भविष्य निधि योजना मूलतः बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में 12 मई, 1947 से आरंभ की गई थी। तत्पश्चात कोयला उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को वृद्धावस्था सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किये जाने की प्रत्यक्ष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस योजना का विस्तार पूरे देश में किया गया। यह योजना सदस्यों को कोयला उद्योग से सेवानिवृत्ति पश्चात तथा उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके परिवार के सदस्यों को एकमुश्त लाभ प्रदान करती है। यह योजना निर्धारित प्रयोजनों के लिए सदस्य की सेवा अविध के दौरान गैर-वसूली योग्य अग्रिम भी प्रदान करती है।

1.3 कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971:

कालान्तर में, यह अनुभव किया गया कि श्रमिक के परिवार को भविष्य निधि के रूप में दी जाने वाली एकमुश्त पशि अपर्याप्त है, विशेषतः वैसे मामलों में जब सेवाकाल में ही सदस्य की मृत्यु हो जाती है। कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1 मार्च, 1971 से लागू की गई, यह सेवाकाल में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थित में नियमित मासिक परिवार पेंशन प्रदान करती है। परिवार पेंशन के रूप में मासिक नियमित भुगतान के अलावा, जीवन आश्वासन लाभ के रूप में ₹ 2000/- की ग्राश भी भुगतान बोष्य बोध यदि सदस्य सेवानिवृत्त होता था अथवा सेवा छोड़ता था तो वह सेवा की गणनायोग्य अवधि जिसे वह अपने नियोजन की अवधि के दौरान अर्जित करता था, पर आधारित ₹ 110/- से ₹ 9000/- के बीच की सीमा में एकमुश्त लाभ प्राप्त करने का हकदार होता बाध कोयला खान पेंशन योजना-1998 के कार्यान्वयन होने पर कोयला खान परिवार पेंशन योजना-1971 को कोयला खान परान बोजना 1998 के साथ विलय कर दिया।

1.4 कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976:

कोयला खान भविष्य निधि के सदस्यों में मितव्यियता की आदत विकसित करने के मद्देनजर तथा उनके उत्तरजीवियों की सहायता करने के लिए, 1 अगस्त, 1976 से प्रभावी जमा सम्बद्ध बीमा योजना आरंभ की गई। किसी कर्मचारी जो कोयला खान भविष्य निधि का सदस्य हो, की मृत्यु हो जाने पर, वह व्यक्ति जो उक्त दिवंगत के भविष्य निधि संचय को पाने का हकदार है, पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला खान भविष्य निधि में उस दिवंगत के खाते में औसत जमाशेष के बराबर राशि जो ₹10,000/- से अधिक न हो, प्रदान की जाती है बशतें कि दिवंगत कर्मचारी के कोयला खान भविष्य निधि खाते का औसत जमाशेष पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी समय ₹1,000 की राशि से कम न रहा हो।

1.5 कोयला खान पेंशन योजना, 1998:

दिनांक 31 मार्च 1998 से प्रभावी कोयला खान पेंशन योजना, 1998 को लगभग आठ लाख कोयला कर्मियों के हितलाभ के लिए लागू किया गया। कोयला खान पेंशन योजना के आरंभ के साथ ही, पूर्ववर्ती परिवार पेंशन योजना, 1971 का संचालन बंद हो गया। वे परिवार पेशनर जो पूर्ववर्ती परिवार पेंशन योजना, 1971 के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे थे, पुरानी कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के अंतर्गत अपनी परिवार पेंशन प्राप्त करना जारी रखेंगे।

कोयला खान पेंशन योजना, 1998:

कोयला खान भविष्य निधि संगठन के इतिहास में सबसें महत्वपूर्ण उपलिब्धियों में से एक है, कोयला खान पेंशन योजना, 1998 को आरंभ किया जाना जो केंद्र सरकार द्वारा 5 मार्च, 1998 को अधिसूचित की गई है।

कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46 वां) की धारा 3ड. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा ऐसे अधिक्रमण से पहले कृत अथवा लुप्त की जाने वाली बातों के सिवाय कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 का अधिक्रमण करते हुए, केंद्र सरकार ने कोयला खान पेंशन योजना, 1998 का निर्माण किया है।

कोयला खान पेंशन योजना मार्च, 1998 के 31वे दिन से प्रभावी हुई है। इसके लागू होने के फलस्वरूप, देश के विभिन्न कोयला खदानों में कार्यरत लगभग आठ लाख कोयला श्रमिकों को उसी दिन से तत्काल लाभ मिलेगा तथा उस दिन के बाद इस योजना में शामिल हुए नए सीएमपीएस सदस्यों को भी लाभ मिलेगा।। निधि का कोष एवं इसके स्थायित्व तथा लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले हितलाभों के प्रकार नीचे दर्शाए गए हैं: –

2.1 पेंशन निधि का कोष एवं इसका स्थायित्व:

- (क) नियत तिथि अर्थात 31/03/1998 को यथाविद्यमान कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 की शुद्ध परिसंपत्तियां।
- (ख) कर्मचारी के वेतन के दो और एक तिहाई प्रतिशत के समतुल्य राशि जो भविष्य निधि में कर्मचारी एवं नियोजक के संबंधित अंशदानों से बराबर हिस्सों का योग है, नियत दिन से कर्मचारी के भविष्य निधि से अंतरित की जाएगी।
- (ग) 1 अप्रैल, 1989 या सेवा ग्रहण करने की तारीख से, जो भी पश्चातवर्ती हो, 31 मार्च, 1996 तक कर्मचारी के संदत्त मूल वेतन और महंगाई भत्ता के "2 प्रतिशत" तथा 1 अप्रैल, 1996 या सेवा ग्रहण करने की तारीख से, जो भी पश्चातवर्ती हो, कर्मचारी के "काल्पनिक" वेतन के "दो प्रतिशत" के समतुल्य राशि उसके "वेतन" से अंतरित की जाएगी (शब्द वेतन को सा.का.नि. 689(ड.) दि. 29.08.2000 के आलोक में शब्दों मूल वेतन और महंगाई भत्ता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।)।
- (घ) 1 जुलाई, 1995 या सेवा ग्रहण करने की तारीख को, जो भी पश्चातवर्ती हो, कर्मचारी के वेतन के आधार पर संगणित की जाने वाली एक वेतन वृद्धि के समतुल्य राशि, जो 1 जुलाई, 1995 या सेवा ग्रहण करने की तारीख से, जो पश्चातवर्ती हो, कर्मचारी के वेतन से अंतरित की जाएगी।
- (इ.) नियत दिन से केंद्र सरकार द्वारा अभिदाय की जाने वाली कर्मचारी के वेतन के एक और दो तिहाई प्रतिशत के समतुल्य राजि का अंशदान किया जाएगा। बशर्ते कि किसी कर्मचारी की दशा में जिसका वेतन एक हजार छ: सौ रूपये प्रतिमाह से अधिक है, केन्द्र सरकार द्वारा संदेय अभिदाय केवल एक हजार छ: सौ रूपये प्रतिमाह के वेतन पर संदेय अधिकतम रकम के बराबर होगा।
- (च) कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के परिच्छेद 4 के उप परिच्छेद (2) तथा (4) के परंतुक के प्रावधानों की कर्तों के अनुसार राशि जमा की जाएगी।
- (छ) 08 जून 2018 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 540 (अ) के तहत 01 अक्टूबर 2017 से प्रभाव के स्वयं कोयला खान पेंशन योजना के अनुच्छेद 3 के खंड (ख), (ग), (घ) में वर्णित योगदान को विलोपित किया गया एवं अक्टूबर 2017 के प्रथम दिवस अथवा कर्मचारी के सेवा ग्रहण की तिथि, जो भी पश्चातवर्ती हो, से संदेय मूल बेतन स्व परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (वीडीए) पर कर्मचारी के वेतन के सात प्रतिशत के बराबर राशि और नियोक्ता से समान अस्वयं ज्मा किया जाएगा।

17 फरवरी 2023 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 119 (अ) के अनुच्छेद 5 के तहत कोवला खन केव योजना-1998 के पैरा (9) के उप पैरा (2) में, पैरा 3 के "खंड (ख), (ग), (घ), (इ) और (च)", के स्थान पर शब्द केव्ह अल और अंक के स्थान पर पैरा 3 के "खंड (इ), (च) और (छ)" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक को रखा जाएगा।

पेंशन निधि का मूल्यांकन एक बीमांकक द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष पर किया जाएगा।

2.2 व्याप्ति/ पेंशन के लिए पात्रता :

- सभी कर्मचारी जो कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य हैं और 31 मार्च, 1998 को नामावली पर हैं।
- (ख) वैसे सभी कर्मचारी जो 31 मार्च, 1998 को अथवा इसके बाद नियुक्त हो।
- (ग) विकल्प देने वाले वैसे सभी सदस्य जिन्होंने प्रपत्र पीएस-1 अथवा पीएस-2 जैसा भी मामला हो, में पेंशन निधि की सदस्यता के लिए विकल्प दिया हो।
- (घ) वैसे सभी सदस्य जिनकी मृत्यु अप्रैल, 1994 के पहले दिन को अथवा इसके बाद तथा नियत तिथि अर्थात् 31.03.1998 के बीच हुई हो, उनके संबंध में यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपनी मृत्यु तिथि तक इस योजना में सम्मिलित होने का विकल्प दे दिया है।
- (ड.) दिनांक 01.04.1994 से 07.10.2002 तक के सीसीएलएसपीएफ/ सीएमएएलएसपीएफ के सभी मृत सदस्यों तथा वे जो 08.10.2002 तक नामावली पर है एवं सीएमपीएस 98 के अंतर्गत समाविष्ट हैं सिवाय उनके जिन्होंने सीएमपीएस-98 का सदस्य बनने के लिए विकल्प नहीं दिया।

2.3 हितलाभः

(क) मासिक पेंशन/ अधिवर्षिता/ सेवानिवृत्ति पेंशन:

- (i) कोई कर्मचारियों जो पेंशनयोग्य सेवा के तीस वर्ष पूरे करने के बाद अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हुए हों, उन्हें प्रतिमाह औसत उपलब्धियों के 25 प्रतिशत अथवा राशि जो ₹ 1000/- से कम न हो।
- (ii) कोई कर्मचारियों जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हुए हों और पेंशनयोग्य सेवा तीस वर्ष से कम हो किन्तु दस वर्ष पूरे कर लिए हैं, उन्हें निम्नलिखित आधार पर अवधारित पेंशन प्राप्त होगी।

पेंशन योग्य सेवा की अवधि
----- X औसत उपलब्धियों का 25 प्रतिशत

(iii) यदि किसी कर्मचारी जिसने पेंशनी सेवा के 10 वर्ष (20 वर्ष से 10 वर्ष संशोधित*) पूरे कर लिए हों ओर जो बीस वर्ष की अविध के भीतर अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेगा' एवं अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पूर्व सेवानिवृत्त होने का विकल्प देता है, वहां ऐसे कर्मचारी को संदेय मासिक पेंशन की रकम कोयला खान पेंशन योजना, 1998 की अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट आधार पर निर्धारित की जाएगी।

* भारत का राजपत्र सा.का.नि. 119(क) दिनांक 17 फरवरी 2023 के अनुक्च्छेद 6 द्वारा हुए संशोधन के अनुसार कोयला खान पेंशन योजना के पैरा 10 में, उप पैरा(3) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा को रखा जाएगा, अर्थात:-

"जहां एक कर्मचारी ने दस वर्ष की पेशन योग्य सेवा पुरी कर ली है और पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, वहां ऐसे कर्मचारी को देय मासिक पेंशन की रकम अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट आधार पर निर्धारित की जाएगी।"

(iv) जहां किसी कर्मचारी ने अधिवर्षिता आयु की प्राप्ति पर पेंशनयोग्य सेवा के 10 वर्ष पूरे नहीं किए हों अथवा सेवा छोड़ने के लिए विकल्प देता हो, अथवा पेंशनयोग्य सेवा के 10 वर्ष पूरे होने से पहले उसकी सेवाएं समाप्त की गई हों अथवा वह निः शक्त हो जाए, वैसे कर्मचारी को पेंशन का लाभ देय नहीं होगा और उन्हें पेंशन अंशदान की वापसी के रूप में भुगतान योग्य रकम का निर्धारण कोयला खान पेंशन योजना, 1998 की अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट के आधार पर किया जाएगा।

(ख) नि:शक्तता पेंशन:

जहां कोई कर्मचारी दस वर्ष पेंशनी सेवा करने के पश्चात अपने सेवाकाल के दौरान शारीरिक या मानसिक शैथिल्य के कारण स्थायी रूप से विकलांग या नि:शक्त हो जाता है और किसी सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है वहां वह नि:शक्तता पेंशन के लिए हकदार होगा, जिसकी संगणना उसकी औसत उपलब्धियों के पच्चीस प्रतिशत की दर पर की जाएगी या जो एक हजार रूपए प्रतिमास से कम नहीं होगी।

(ग) मासिक विधवा या विधुर पेंशन:

- (i) किसी कर्मचारी की अधिवर्षिता/ सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु पर भुगतान योग्य विधवा अथवा विधुर पेंशन उस मासिक पेंशन के 60 प्रतिशत के बराबर होगी जो सदस्य अपनी मृत्यु की तारीख तक आहरित कर रहा था, जो न्यूनतम ₹ 1000/-प्रतिमाह होगी।
- (ii) किसी कर्मचारी की अधिवर्षिता आयु प्राप्ति से पहले सेवाकाल में उसकी मृत्यु पर उसकी/उसका विध्वा अथवा विधुर उस कर्मचारी की उस मासिक पेंशन के 66.6 प्रतिशत के बराबर पेंशन प्राप्त करेगी/करेगा जिसके लिए वह मृत्यु के दिन से पर हकदार होता/होती जो न्यूनतम ₹ 1000/- प्रतिमाह होगी।
 - * भारत का राजपत्र सा.का.िन. 165(अ) दिनांक 8 मार्च 2024 के द्वारा हुए संशोधन के अनुसार कोयला खान पेंशन योजना के पैरा 10 उप पैरा (1), पैरा 11, पैरा 12 के उप पैरा (3) व उप पैरा (4) को संसोधित कर क्रमशः "तीन सौ पचास", "तीन सौ पचास", "दौ सौ पचास" व "तीन सौ बीस" के स्थान पर "एक हजार" शब्द रखे जायेंगे।

(घ) बाल पेंशन:

(1) किसी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसकी मृत्यु की तारीख के अगली तारीख से, उत्तरजीवी पत्नी/पित के साथ-साथ, उनके ज्येष्ठतम पुत्र अथवा अविवाहित पुत्रियाँ में से दो, जैसा भी मामला हो, जब तक पुत्र 25 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त कर लेते अथवा अविवाहित पुत्रियों के मामले में उनके विवाह की तारीख तक अथवा जो भी पहले हो, बाल पेंशन के हकदार होंगे।

- (2) किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद भुगतान योग्य मासिक पेंशन की राशि प्रत्येक पुत्र अथवा पुत्री के लिए जैसा भी मामला हो, विधवा अथवा विधुर पेंशन की राशि के 25 प्रतिशत के बराबर होगी जो प्रत्येक संतान के लिए ₹100/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी।
- (3)* किसी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात, यथा स्थिति, उसका/उसकी मृत्यु की तारीख के पश्चात की तारीख से, ऐसे मृत व्यक्ति के स्थायी रूप से और पूर्ण रूप से दिव्यांग पुत्र या पुत्री, आजीवन या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में, नियमित रोजगार प्राप्त करने तक दिव्यांगता पेंशन का हकदार होगा और किसी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात देय मासिक दिव्यांगता पेंशन की राशि प्रत्येक यथा स्थिति दिव्यांग पुत्र या पुत्री के लिए विधवा या विधुर पेंशन की रकम के पच्चीस प्रतिशत के बराबर या प्रत्येक दिव्यांग बालक या अनाथ के लिए एक सौ दस रूपये से कम नहीं होगी
 - भारत का राजपत्र सा.का.नि. 4336(अ) दिनांक 4 अक्टुबर 2023 के द्वारा हुए संशोधन के अनुसार कोयला खान पेंशन योजना के पैरा 13 में, उप पैरा (3) अंत:स्थापित किया जाएगा।

(इ) अनाथ पेंशन

- (i) यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु के समय उत्तरजीवी विधवा अथवा विधुर न हो, तो उसकी मृत्यु की तारीख की अगली तारीख से या अन्यथा विधवा/विधुर की मृत्यु की तारीख के पश्चात यथास्थिति, उनके दो ज्येष्ठतम पुत्र अथवा अविवाहित पुत्रियों जब तक पुत्र 25 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त कर लेते अथवा अविवाहित पुत्रियों की दशा में उनके विवाह की तारीख तक, जो भी पहले हो, बाल पेंशन के स्थान पर अनाथ पेंशन के हकदार होंगे।
- (ii) किसी कर्मचारी अथवा विधवा/विधुर की मृत्यु के बाद संदेय मासिक अनाथ पेंशन की राशि विधवा/विधुर पेंशन की राशि के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी जो प्रत्येक अनाथ के लिए ₹110/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी। I
- महत्वपूर्ण विकास एवं निष्पादनः

3.1 न्यासी बोर्ड की बैठकें:

उक्त निधि, सीएमपीएफ अधिनियम, 1948 की धारा 3क के अंतर्गत गठित कोयला खान भविष्य निधि के न्यासी परिवद में निहित है। प्रतिवेदनाधीन अविध के दौरान न्यासी बोर्ड की तीन बैठक दिनांक 27.09.2023(178वीं), 24.11.2023(179वीं विडिबो कॉफ्रेंसिंग द्वारा) और 22.02.2024(180 वीं) को आयोजित की गई।

3.2 अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के दौरान कोयला खान पेंशन योजना, 1998 में संशोधन:

भारत का राजपत्र सा.का.नि. 4336(अ) दिनांक 4 अक्टुबर 2023 एवं भारत का राजपत्र सा.का.नि. 165(अ) दिनांक 8 मार्च 2024 के द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान मौजूदा कोयला खान पेंशन योजना, 1998 में संशोधन किया गया है।

3.3 अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के दौरान कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948 में संशोधन:

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948 में किसी प्रकार को कोई संशोधन नहीं किया गया है।

3.4 कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के अंतर्गत पेंशन वितरण:

सीएमपीएस' 98 के तहत सभी पात्र पेंशनरों को पेंशन के सुचारू और समय पर भुगतान के लिए नामित राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ समझौता किया गया था।

3.5 राजभाषा का कार्यान्वयन:

संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में और जागरूकता पैदा करने के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार संगठन में दिनांक: 14.09.2024 से 30.09.2024 तक राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन मुकयलय व क्षेत्रीय कार्यालयों में किया गया। इस दौरान राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:-

- 1. इस दौरान कुल 6 प्रतियोगिताएं- निबंध प्रतियोगिता, हिंदी कम्प्यूटर टंकण प्रतियोगिता, टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता, प्रश्न-मंच प्रतियोगित, काव्य-पाठ प्रतियोगिता तथा कार्मिकों के बच्चों के लिए ड्राइंग व पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- 2. हिंदी दिवस के समापन समारोह के उपलक्ष्य में किव सम्मेलन का आयोजन 07.10.2024 को किया गया था, जिसमें स्थानीय हिंदी कवियों को आमंत्रित किया गया।
- संगठन की गृह पत्रिका कलल्याणी के 21 वें अंक का प्रकाशन इस वर्ष किया गया।

- 4. प्रथम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन 29-30, जनवरी 2025 को मुख्यालय धनबाद में किया गया जिसमें कि को.खा.भ.नि. सं. के समस्त 21 क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख एवं राजभाषा हिंदी का कार्य देख रहे प्रभारी कार्मिक उपस्थित हुए। इस सम्मेलन में संयुक्त निदेशक (राजभाषा) कोयला मंत्रालय, मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित की गई थी।
- 5. क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोलकाता से को.खा.भ.नि.सं. को वर्ष 2024-25 के लिए पूर्वी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए द्वितीय पुरस्कार दिनांक 05.03.2025 को गुवाहाटी, असम में आयोजित राजभाषा सम्मेलन में पुरस्कृत किया गया।
- 6. नराकास धनबाद द्वारा को.खा.भ.नि.सं. मुख्यालय को राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
- 7. संघ के राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता माननीय आयुक्त महोदय द्वारा स्वयं की गई।

4. वर्ष, एक दृष्टि में:-

निम्नलिखित आंकड़े वर्ष 2024-25 के दौरान संगठन के कार्य निष्पादन को प्रस्तुत करते हैं।

4.1		समाविष्ट इकाइयां	वर्ष 2024-25 के दौरान	वर्ष की समाप्ति पर
	i)	समाविष्ट कोयला खार्ने, सहायक संगठन सहित		805
10				
4.2		अंशदाताओं की संख्या		221055
	i)	कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948		331857
	ii)	कोयला खान पेंशन योजना, 1998		351567
4.3		प्राप्त अंशदान		(करोड़ में)
	i)	भविष्य निधि अंशदान (सदस्य तथा नियोजक के अंश)	8462.41	
	ii)	पेंशन अंशदान	5052.07	
	iii)	पेंशन निधि में सरकार का अंशदान	10.81	
	iv)	डीएलआई अंशदान (नियोक्ता अंशदान केवल)	0	N D TWO
	v)	डीएलआई निधि में सरकार का अंशदान	0	
4.4		केवल कोयला खान भविष्य निधि के लिए बकाया अंशदान		
	i)	राष्ट्रीयकरण-पूर्व अवधि के लिए		
4.5		वैयक्तिक लेजर में प्रविष्ट अंशदान इकाई		-
	i)	"व्ही.व्ही." विवरणी से	805	
	ii)	उचंत से	शून्य	
4.6	7	प्रविष्टियों का प्रतिशत	2024-25	-
	i)	"व्ही.व्ही." विवरणी से	-	Gr.
4.7		निवल निवेश (अंकित मुल्य)	वर्ष 2024-25 के दौरान	वर्ष की समाप्ति पर
	i)	कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948	6248.31	127830.60
	ii)	कोयला खान पेंशन योजना, 1998 (लोक खाते को मिलाकर)	1271.94	23536.51
	iii)	कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना	33.32	47646
4.8		सदस्यों को स्वीकृत ब्याज दर	7.6%	
4.9		भविष्य निधि की धनवापसी के लिए दावों का निष्पादन		<u>all</u>

	i)	निष्पादित दावे	23,12	18,0	01,924
	ii)	लंबित दावे			32
	iii)	भुगतान की गई राशि (करोड़ में)	11,275.9	1 1,21,75	50.89
			2		
.10		भविष्य निधि से अग्रिम के लिए दावों का निष्पादन			
	i)	विवाह अग्रिम के लिए दावे	134	47 5	65473
	ii)	मैट्रिकुलेशन उपरांत शिक्षा अग्रिम के लिए दावे	1.	34	22731
	iii)	गृह निर्माण अग्रिम के लिए दावे	7.	42 2	257243
1.11		अग्रिम के लिए लंबित दावे			· ·
	i)	विवाह अग्रिम दावे			14
	ii)	मैट्रिकुलेशन उपरांत शिक्षा अग्रिम दावे			04
	iii)	गृह निर्माण अग्रिम दावे			10
4.12	-	भुगतान की गई अग्रिम की राशि (करोड़ में)	वर्ष 2024-25 के दौरा	न वर्ष की सम	गप्ति पर
4.12	i)	विवाह अग्रिम दावे	108.	59 3,	998.7
	ii)	मैट्टिकुलेशन उपरांत शिक्षा अग्रिम दावे	3.	70 1	74.85
	iii)	गृह निर्माण अग्रिम दावे	106.	57 7,0	12.81
	iv)	बीमा पॉलिसियों का वित्तपोषण			
4.13		कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के अंतर्गत दावों का निष्पादन			
-	i)	परिवार पेंशन के निष्पादित दावे		0	
	ii)	अन्य हितलाभों के निष्पादित दावे		0	
	iii)	परिवार पेंशन के लंबित दावे		0	
	iv)	अन्य लामों के लंबित दावे		0	
	v)	परिवार पेंशन एवं अन्य लाभों की भुगतान की गई राशि (र करोड़ में)	FIRST NOW	-	
4.14		कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के अंतर्गत दावों का निष्पादन			
	i)	निष्पादित दावे	26	842	7,43,103
	ii)	लंबित दावे			9.
	iii)	भुगतान की गई राशि, परिवार पेंशन सहित (₹ करोड़ में)	5242	2,68	
4.15		कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना के अंतर्गत दावों का निष्पादन	You need to	60.	
	i)	जमा संबद्ध बीमा के निष्पादित दावे		0	38
- 1	ii)	जमा संबद्ध बीमा के लंबित दावे		0	
	iii)	भुगतान की गई राशि		0 1.	795 करो

कोयला खान भविष्य निधि योजना :

5.1 व्याप्ति एवं सदस्यताः

कोयला खान भविष्य निधि योजना का विस्तार पहले से ही सभी कोयला धारक राज्यों तक किया जा चुका है, और अधिक क्षेत्रीय विस्तार की तब तक गुंजाइश नहीं है जब तक नए कोयला धारक क्षेत्र प्रकाश में नहीं आते हैं।

- 5.2 पिछले वर्ष नामांकित 12021 सदस्यों की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल 11814 कर्मचारी कोयला खान भविष्य निधि के नए सदस्यों के रूप में नामांकित किए गए। । उक्त वर्ष के दौरान इस निधि से बहिर्गमन का परिमाण 23127 था। कुल 9079 सदस्यों को सूधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत जोड़ा गया। चूंकि बहिर्गमन नामांकन की तुलना में अधिक है, अतः वर्ष 2024-25 के दौरान निधि की जीवित सदस्यता 3,34,091 से घटकर 3,31,857 रह गई।
- 5.3 समाविष्ट इकाइयों का क्षेत्रवार वर्गीकरण तथा उक्त वर्ष की समाप्ति पर जीवित सदस्यता को नीचे दर्शाया गया है:-

क्षेत्रीय कार्यालय	कोक संयंत्रों के अलावा समाविष्ट इकाइयों की संख्या	कोक संयंत्रों के अलावा इकाईयों में जीवित सदस्यता
धनबाद-।	61	12674
धनबाद-॥	45	20424
आसनसोल-।	35	13985
आसनसोल-॥	34	14537
आसनसोल-॥।	44	12969
रांची-।	57	15724
रांची-॥	59	21233
जबलपुर	53	24118
छिंदवाड़ा	30	7619
बिलासपुर	56	38160
नागपुर	69	29632
सिंगरौली	19	23800
गोदावरीखानी	117	39120
कोथागुडम	46	13016
कोलकाता	3	410
तालचर	33	16428
संबलपुर	20	16649
देवघरः	12	4487
मारगेरिटा	5	5173
नई दिल्ली	7	1699
जोड़:-	805	331857

निवेश :

6.1 पिछले वर्ष के ₹ 7748.65 करोड़ की तुलना में उक्त वर्ष के दौरान निवल अतिरिक्त निवेश का अंकित मूल्य ₹ 6248.31 करोड़ था। इस प्रकार कोयला खान भविष्य निधि निवेश का कुल अंकित मूल्य जैसा नीचे विवरण में दर्शाया गया है, 31.03.2025 को ₹ 121582.29 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,27,830.60 करोड़ हो गया: -

(र करोड़ में)
1, 21, 582.29
8119.05
1,13,463.24
14,367.36
1,27,830.60

6.2 31.03.2025 के अनुसार विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में संपूर्ण निवेश की निधि का वर्गीकरण निम्नलिखित है: -

प्रतिभृति प्रकार	अंकित मूल्य (₹ करोड़ में)	खाता मूल्य (र करोड़ में)
केन्द्र सरकार की प्रतिभृतियां	12,744.73	12,902.77
राज्य सरकार की प्रतिभृतियां	50,904.13	51,266.72
पी.एस.यू.	37,964.05	38,130.03
विशेष जमा योजना	16,522.5	16,522.50
एसटीजी	1,479.10	1,484.21

जोड़ :-	1,27,830.16	1,28,527.84
ई.टी.एफ	5,848.58	5,848.58
यूएलएफ	241.39	241.39
निजी क्षेत्र के बॉड	2,125.68	2,131.63

7. ब्याजः

कोयला खान भविष्य निधि योजना के परिच्छेद 61 (1) के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निधि में उनके संचय पर सदस्यों को भुगतान योग्य ब्याज दर न्यासी बोर्ड के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित करना होता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु न्यासी बोर्ड की अनुशंसा पर निधि के सदस्यों को भुगतान योग्य ब्याज दर 7.6 प्रतिशत प्रति वर्ष निर्धारित की गई है जिसका सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन है।

सदस्यों के खातों में अंशदानों की प्रविष्टि:

- 8.1 प्रतिवेदनाधीन अविध के दौरान सदस्यों का अंशदान 31.03.2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए उनके खातों में चढ़ाया गया। इसे "व्ही.व्ही." फार्म के आधार पर आवश्यक जांच के बाद करना पड़ता है।
- 8.2 वर्ष 2024-25 के दौरान, 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय अवधि की "व्ही.व्ही." विवरणी के अनुसार 805 इकाइयां उपलब्ध थीं।
- 8.3 प्रतिवेदनाधीन अवधी के दौरान उचंत सामान्य खाते में भविष्य निधि अंशदानों की निवल प्राप्ति ₹ 8462.41 करोड़ थी। यह राशि 'व्ही,व्ही.'' विवरणी की प्राप्ति पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निकासी के लिए निश्चित रहेगी।
- 8.4 वर्ष 2024-25 के दौरान व्यक्तिगत सदस्य के खाते में जमा किए जाने हेतु उचंत सामान्य खाते में भविष्य निधि अंशदानों की निवल प्राप्ति ₹ 8462.41 करोड़ थी। वास्तव में यह राशि वर्ष 2024-25 के दौरान समाप्त वित्त अवधि 03/2025 के लिए वैयक्तिक खातों में प्रविष्टि हेतु शेष थी। उस वर्ष के दौरान राशि की कुल प्राप्ति में निम्नलिखित सम्मिलित थेः

-		(₹ करोड़ में)
i.	कोयला कम्पनियों से भविष्य निधि अंशदानों की प्राप्ति	8462,41
ii.	भुगतान आयुक्त से मुआवजे की प्राप्ति	0.00
iii.	अन्य स्थापनाओं से भविष्य निधि अंशदान का अंतरण	0.00
iv.	अवर्गीकृत राशि	0.00
v.	ऐच्छिक अंशदान	0.00
	जोड़ :-	8462.41

9. पासबुक निर्गमनः

9.1 सदस्य सी-केयर्स के माध्यम से भविष्य निधी की अद्यतीत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

10. कानुनी कार्रवाई:

- 10.1 अंशदानों को जमा करने में चूक तथा विलम्ब के लिए, दोषी व्यक्तियों/फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई के तीन प्रकार निहित हैं, ये हैं, कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 10 च के अंतर्गत नुकसान की उगाही, धारा 10 क के अंतर्गत वसूली कार्रवाई की शुरूआत तथा उक्त की धारा 9 के अंतर्गत आपराधिक अभियोग। नुकसान की उगाही के लिए इसकी मात्रा का निर्धारण उक्त अधिनियम की धारा 7 ख के अंतर्गत अर्द्ध-न्यायिक कार्रवाई के जिए करना होता है।
- 10.2 मेसर्स जम्मू एवं कश्मीर मिनरल्स् लिमिटेड पीएफ एवं पेंशन के संबंध में अंशदान का भुगतान नहीं कर रहा था। 31.03.2025 तक कंपनी पर लगभग ₹ 68.36 करोड़ की राशि बकाया थी।

11. धनवापसी के लिए दावों का निष्पादनः

11.1 कोयला खान भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत करने से पहले निधि वापसी के लिए दावों की जांच हेतु कोयला कंपनियों को एक जांच सूची भेजी गई। यदि जांच ध्यानपूर्वक की जाए तो सभी दावों को पूर्ण सूचनाओं तथा दस्तावेजों के साथ प्राप्त होना चाहिए। दुर्भाग्यवश, इस जांच सूची पर अभी भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना प्रतीत होता है जिसके परिणामस्वरूप अभी भी बड़ी संख्या में अपूर्ण दावे प्राप्त हो रहे हैं। परिणामतः वांछित सूचना/दस्तावेज प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है, जो दावों के निष्पादन में विलम्ब का कारण बनता है। पूर्ण दावों की प्रस्तुति का परिमाण नीचे इंगित किया गया है:-

वर्ष	प्राप्त पूर्ण दावों की सं()	प्राप्त अपूर्ण दावों की सं0	जोड़	प्राप्त अपूर्ण दावों का कुल प्रतिशत
2022-2023	24768	6235	30913	20.16%
2023-2024	22606	3222	25828	12.47%
2024-2025	22684	628	23312	02.69%

सामान्यतः दावे निम्नलिखित कारणों से अपूर्ण होते हैं:-

- (i) प्रबंधन द्वारा सदस्यों के पहचान प्रमाण पत्र नहीं भेजे जाते हैं।
- (ii) मृत्यु संबंधी दावों के साथ अपेक्षित दस्तावेज नहीं भेजे जाते हैं।
- (iii) निध वापसी के लिए आवेदन पत्रों में नियोक्ता द्वारा दर्ज की जाने वाली सभी अपेक्षित सूचनाएं अभिलेखों की जांच कर सही रूप में नहीं दी जाती हैं।
- (iv) सदस्यों के बैंक खाते जिनमें यह राशि भेजी जाती है, उन्हें ठीक प्रकार से नहीं दर्शाया जाता है।
- (v) निधि वापसी के आवेदन के साथ अग्रिम टिकट रसीद नहीं भेजी जाती है।
- (vi) नाम/किसी भी तरह के खाते में विसंगतियों को सही ढंग से व्यंजित नहीं किया जाता है।
- 11.2 पूर्ण सूचना/दस्तावेजों के साथ दावों के प्रस्तुत करने की आवश्यकता को बार-बार कोयला कंपनियों के ध्यान में लाया गया है और क्षेत्र स्तर पर समन्वय समिति की बैठकों तथा सम्मिलित स्तरों की अन्य बैठकों में इस पर जोर दिया गया है। सरकार ने भी कोयला कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया है कि भेजने से पहले सभी दावों की उचित ढंग से जांच की जाए और उन्हें पूर्ण सूचनाओं के साथ भेजा जाए। परिणामस्वरूप, विगत वर्षों में अपूर्ण दावों के प्रतिशतता में कमी आई है।
- 11.3 विन्त वर्ष 2024-25 के दौरान 23127 दावे निष्पादित किए गए और ₹ **10, 823.54** करोड़ का भुगतान किया गया। 31.03.2025 को संचयी लंबित मामले 32 थी।

	पूर्ण दावे	अपूर्ण दावे	जोड़
01.04.2024 के अनुसार लंबित दावों की संख्या	3	181	184
2024-25 के दौरान प्राप्त दावों की संख्या	22684	928	(+) 23612
2024-25 के दौरान निष्पादित दावों की संख्या	22680	447	(-) 23127
2024-25 के दौरान अस्वीकृत/बंद किए गए दावों की संख्या	4	633	(-) 637
31.03.2025 के अनुसार लंबित दावों की संख्या	3	29	32

11.4 निधि वापसी से संबंधित उपरोक्त दावों का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे दिखाया गया है: -

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	आदि शेष	प्राप्ति	जोड़	निष्पादित	बंद/ अस्वीकृत दावे	लंबित दावे
1	धनबाद-।	18	1429	1447	1440	6	1
2	धनबाद-॥	62	1184	1246	1208	38	0
3	आसनसोल-।	2	1090	1092	1080	11	1
4	आसनसोल-॥	1	929	930	915	14	1
5	आसनसोल-॥।	4	977	981	977	Si- 4	0
6	रांची-।	3	826	829	802	25	2
7	रांची-॥	14	1231	1245	1170	75	0
8	जबलपुर	18	1375	1393	1380	9	4
9	छिंदवाड़ा	1	677	678	671	6	1
10	बिलासपुर	5	3744	3749	3722	25	2
11	नागपुर	14	1773	1787	1787	0	0
12	सिंगरौली	24	1525	1549	1380	151	18
13	गोदावरीखानी	7	2332	2339	2318	19	. 2
14	कोथागुडम	0	1131	1131	942	189	0
15	कोलकाता	0	136	136	136	0	0
16	तालचर	0	1475	1475	1475	0	0

	जोड़:-	184	23612	23796	23127	637	32
20	नई दिल्ली	0	2	2	2	0	0
19	मारगेरिटा	3	53	56	51	5	0
18	देवघर	0	183	183	160	23	0
17	संबलपुर	8	1540	1548	1511	, 37	0

11.5 31.03.2025 के अनुसार लंबित दावों का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे दिखाया गया है:-

क्षेत्रीय कार्यालय	31.03.2025 के अनुसार लंबित पूर्ण दावों की संख्या	31.03.2025 के अनुसार लंबित अपूर्ण दावों की संख्या	जोड़
धनबाद-।	1	0	1
धनबाद-॥	0	. 0	1 0
आसनसोल-।	1	0	1
आसनसोल-॥	0	1	1
आसनसोल-॥।	. 0	0	0
रांची-।	0	2	2
रांची-॥	0	0	0
जबलपुर	0	4	. 4
छिंदवाड़ा	1	0.	1
बिलासपुर	0	2	-2
नागपुर	0	0	0
सिंगरौली	0	18	18
गोदावरीखानी	0	2	2
कोथागुडम	0	0	0
कोलकाता	0	0	0
तालचर	0	0	0
संबलपुर	0	0	0
देवधर	0	0	0
मारगेरिटा	0	0	0
नई दिल्ली	0	. 0	0
जोड़:-	3	29	32

11.6 भविष्य निधि दावों के निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति नीचे दिखायी गयी है: -

निष्पादित दावों की संख्या
29605
24397
23127

11.7 2024-25 में धननिकासी के लिए निष्पादित दावों का प्रयोजन के अनुसार विश्लेषण नीचे दिखाया गया है: -

निकासी के कारण	निष्पादित दावों की संख्या
ऐच्छिक सेवानिवृत्ति	421
मृत्यु	2276
सेवानिवृति	13784
पद त्याग/त्याग पत्र	4532
स्थायी अक्षमता	1362
छंटनी	07
दूसरे उद्योगों में स्थानांतरण/अन्य देशों में प्रवास	00
आवधिक षर्त अनुबंध की समाप्ति	708
ऐच्छिक अंशदान की निधिवापसी	37

अन्य	0
भ जोड़:-	23127
	2312

12. विवाह अग्रिम:

12.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1347 सदस्यों को उनके विवाह तथा उनके पुत्रों/ पुत्रीयों/ आश्रित बहनों के विवाह में खर्च करने के लिए ₹ 108.59 करोड़ की राशि भुगतान की गयी। उक्त वर्ष के दौरान विवाह अग्रिम दावों की प्राप्ति, निष्पादन तथा अनिर्णय नीचे दर्शाये गये हैं:-

01.04.2024 के अनुसार लंबित विवाह अग्रिम आवेदनों की संख्या	+	24	-
2024-25) के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या		(+) 1407	7 ×
	योग:-	1431	
2024-25 के दौरान निष्पादित दावों की संख्या		(-) 1347	
	शेष:-	84	4
2024-25 के दौरान बंद किये गये/अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	Y7.	(-) 70	
31.03.2025 के अनुसार लंबित आवेदनों की संख्या		14	

12.2 वर्ष 2024-25 के दौरान निष्पादित तथा 31,03.2025 तक लंबित विवाह अग्रिम दावों का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे दर्शाया गया है:-

क्षेत्रीय कार्यालय	स्वयं विवाह		पुत्री विवा		पुत्र विवाह	अग्रिम	बहन विवा	ह अग्रिम	जो	5
	निष्पादित	लंबित	निष्पादित	लंबित	निष्पादित	लंबित	निष्पादित	लंबित	निष्पादित	लंबित
धनबाद-।	1	0	50	0	42	0	1	0	94	0
धनबाद-॥	2	0	82	0	45	0	12	0	141	0
आसनसोल-।	1	0	32	0	8	0	0	0	41	0
आसनसोल-॥	0	0	39	0	40	0	2	0	81	0
आसनसोल-॥।	0	0	28	0	7	0	0	0	35	0
रांची-।	1	0	18	0	3	0	0	0	22	0
रांची-॥	0	0	27	0	5	0	. 9	0	41	0
जबलपुर	0	0	66	0	12	0	8	0	86	0
छिंदवाड़ा	9	0	45	0	30	0	4	0	88	0
बिलासपुर	0	0	85	0	39	0	3	0	127	0
नागपुर	1	0	60	0	41	0	2	0	104	0
सिंगरौली	0	0	14	5	8	9	0	0	22	14
गोदावरीखानी	0	0	198	0	69	0	2	0	269	0
कोथागुडम	1	0	40	0	25	0	2	0	68	0
कोलकाता	1	0	4	0	0	0	0	0	5	0
तालचर	2	0	36	0	15	0	4	0	57	0
संबलपुर	4	0	33	0	14	0	4	0	55	0
देवघर	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0
मारगेरिटा	1	0	3	0	1	0	0	0	5	0
नई दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जोड़:-	24	0	866	5	404	9	53	0	1347	14

13. गृह निर्माण अग्रिमः

13.1 समीक्षाधीन वर्ष में 742 सदस्यों को आवासीय घर/स्थल खरीदने तथा आवासीय घर बनाने के लिए ₹ 106.57 करोड़ की राशि भुगतान की गयी। 31.03.2025 के अंत तक 2,57,243 सदस्यों को इस मद में गृह निर्माण अग्रिमों का भुगतान किया गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान गृह निर्माण अग्रिम दावों की प्राप्ति, निष्पादन तथा अनिर्णय का विवरण नीचे दर्शाया गया है: -

01.04.2024 को लंबित गृह निर्माण अग्रिम आवेदनों की संख्या	10
2024-25 के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या	(+)815
जोड़:-	825
2024-25 के दौरान आवेदनों की संख्या जिन पर अग्रिम का भुगतान किया गया	(-) 742

	शेष :-	83
2024-25 के दौरान अस्वीकृत आवेदनों की संख्या		(-)73
31.03.2025 के अनुसार लंबित आवेदनों की संख्या		10

13.2 गृह निर्माण अग्रिम दावों के निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति निम्नलिखित है:-

	2022-23	2023-24	2024-25
प्राप्त आवेदनों की संख्या	2335	844	815
मामलों की संख्या जिनमें गृह निर्माण अग्रिम का भुगतान हुआ	2308	832	742
वर्ष की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या	14	# 10	10
वर्ष के दौरान भुगतान की गयी राशि (र करोड़ में)	311.10	138.06	106.57

13.3 वर्ष 2024-25 के दौरान निष्पादित तथा 31.03.2025 तक लंबित गृह निर्माण अग्रिम दावों का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे दिखाया गया है: -

क्षेत्रीय कार्यालय	2024-25 के दौरान निष्पादित दावों की संख्या	31.03.2025 के अनुसार लंबित दावों की संख्या	
धनबाद-।	0	0.	
धनबाद-॥	13	0	
आसनसोल-।	0	0	
आसनसोल-॥	0	0	
आसनसोल-॥।	0	0	
रांची-।	3	0	
रांची-॥	1	0	
जबलपुर	49	0	
छिंदवाड़ा	114	0	
बिलासपुर	13	0	
नागपुर	64	0	
सिंगरौली	11	10	
गोदावरीखानी	348	0	
कोथागुडम	17	0	
कोलकाता	0	0	
तालचर	60	0	
संबलपुर	48	0	
देवघर	0	0	
मारगेरिटा	1	0	
नई दिल्ली	0	0	
जोड़:-		10	

14. बच्चों की मैट्रिकुलेशन उपरांत शिक्षा अग्रिमः 14.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 134 सदस्यों को उनके बच्चों की मैट्रिकुलेशन उपरांत शिक्षा के लिए अग्रिम के रूप में ₹ 3.70 करोड़ की राशि भुगतान की गयी। वर्ष 2024-25 के दौरान इन दावों की प्राप्ति, निष्पादन तथा अनिर्णय नीचे दर्शाए गये हैं:-

	06	
C 20 2 mH	(+)145	- 12
योग :-	151	
Tu jedin	(-) 134	
शेष:-	17	
	(-)13	10
		(+)145 योग:- 151 (-) 134 शेष:- 17

31.03.2025	के अनुसार लंबित आवेदनों की संख्या	04

14.2 मैट्रिकुलेशन उपरांत अप्रिम दावों के निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति नीचे दर्शाइ गयी हैं:

	2022-23	2023-24	2024-25
वर्ष के दौरान निष्पादित मैट्रिकुलेशन उपरांत शिक्षा दावों की संख्या	464	166	134
वर्ष की समाप्ति पर लंबित मैट्रिकुलेशन-उपरांत शिक्षा दावों की संख्या	4	6	4
वर्ष के दौरान भुगतान की गयी मैट्रिकुलेशन उपरांत अग्रिम की राशि (₹ करोड़ में)	11.11	4.33	3.70

14.3 वर्ष 2024-25 के दौरान निष्पादित तथा 31.03.2025 तक लंबित मैट्रीकुलेशन उपरांत अग्रिम का क्षेत्रवार वर्गीकरण निम्न प्रकार हैं:-

क्षेत्रीय कार्यालय	2024-25 के दौरान निष्पादित दावों की संख्या	31.03.2025 के अनुसार लंबित दावों की संख्या
धनबाद-।	3	0
धनबाद-॥	10	0
आसनसोल-।	1	0
आसनसोल-॥	0	0
आसनसोल-॥।	0	0
रांची-।	0	0
रांची-॥	1	0
जबलपुर	1	0
छिंदवाड़ा	30	0
बिलासपुर	2	0
नागपुर	12	0
सिंगरौली	2	4
गोदावरीखानी	51	0
कोथागुडम	6	0
कोलकाता	0	0
तालचर	5	0
संबलपुर	10	0
देवघर	0	0
मारगेरिटा	0	0
नई दिल्ली	0	0 -
जोड़:-		4

15. सदस्यों की जीवन बीमा पॉलिसियों का वित पोषणः

15.1 2024-25 के दौरान सदस्यों की भविष्य निधियों से वित्त पोषण के लिए कोई नयी पॉलिसी प्राप्त नहीं हुयी। योजना के अंतर्गत एक भी दावे की प्राप्ति नहीं थी।

16. आरक्षी लेखा तथा इसकी उपयोगिताः

- 16.1 कोयला खान भविष्य निधि के आरक्षी लेखे में निम्नलिखित समाविष्ट हैं:
 - एक मुश्त अंशदानः इसका तात्पर्य कोयला खान भविष्य निधि स्कीम के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत योजना के आरंभ में नियोक्ताओं से एक बार की विशेष लेवी से है।

- ii) जब्ती: इसका तात्पर्य उक्त निधि की 10 वर्षों की सदस्यता पूरी करने से पहले तथा 50 वर्षों की आयु पूरी करने से पहले अपनी स्वयं की इच्छा से सेवा छोड़कर बहिर्गमित सदस्यों के मामलों में नियोक्ताओं के अंशदान तथा उस पर ब्याज की जब्ती से है। सा.का.नि. सं0 102 दिनांक 22.01.1997 के आलोक में इस खंड का लोप कर दिया गया है।
- iii) निधिवापसी रहित अंशदानः इसका तात्पर्य उन क्षेत्रों में कोयला खान भविष्य निधि योजना के आरंभ से पहले पूर्ववर्ती रेवा व कोरिया राज्यों में कोलियरियों द्वारा संग्रहीत भविष्य निधि अंशदान से है और यह कामगारों को वापस नहीं होगा।
- iv) जब्त बोनसः इसका तात्पर्य कामगरों को देने योग्य उस बोनस से है किंतु उनके अवैध रूप से हड़ताल में भाग लेने के कारण जब्त कर लिया गया हो।
- v) दावा रहित बोनसः इसका तात्पर्य कामगरों को देने योग्य उस बोनस से है जिसका छः महीने से अधिक समय से भुगतान/दावा नहीं किया गया हो।
- vi) विशेष आरक्षी खाताः इस आरक्षी खाते का पोषण सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों को तथा दिवंगत सदस्यों के नामितों/उत्तराधिकारियों को सदस्यों के अंशदानों से यदि ये नियोक्ताओं द्वारा जमा नहीं किये गये हों, निधिवापसी के लिए उपरोक्त (ii) पर संदर्भित जब्ती से अंतरण द्वारा किया जाता है।
- vii) आरक्षी खाते पर ब्याजः चूंकि आरक्षी खाते में जमाशेष का भविष्य निधि के साथ निवेश किया जाता है, उस पर आनुपातिक ब्याज को आरक्षी लेखे के उपशीर्ष में सामान्य ब्याज मूल से अंतरण कर रखा जाता है।
- viii) आरक्षी लेखा विलंब शुल्क: इस आरक्षी खाते का निर्माण सदस्यों की उन जीवन बीमा पॉलिसियों जो सदस्यों की भविष्य निधि से प्रीमियम जमा नहीं करने के कारण समाप्त या प्रदत्त हो गई थीं, को पुर्नजीवित करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को विलंब शुल्क के भुगतान के प्रयोजन हेतु उपर्युक्त (2) में संदर्भित जब्ती खाते से निधियों का अंतरण करके किया गया है।
- ix) विविध आरक्षी खाता: इसका तात्पर्य कुछ लघु अज्ञात जमा राशियों से है।
- 16.2 अभी निम्नलिखित आरक्षी खातों का उपयोग नहीं होता है:
 - (i) एकमुश्त अंशदान
 - (ii) रेवा एवं कोरिया के निधिवापसी रहित अंशदान
 - (iii) जब्त किया गया बोनस
 - (iv) विशेष आरक्षी खाता
 - (v) आरक्षी खाते पर ब्याज
 - (vi) विविध आरक्षी खाता

17. कोयला खान पेंशन योजना, 1998:

- 17.1 कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 को एक नई कोयला खान पेंशन योजना, 1998 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जो 31.3.1998 से प्रभावी होकर आरंभ हुई। कोयला खान परिवार पेंशन की संपूर्ण समग्रनिधि को कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के अंतर्गत ''पेंशन निधि'' में अंतरित किया गया। फिर भी, बंद कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के अंतर्गत समाविष्ट मामलों में भी भुगतान ''पेंशन निधि'' से किया जा रहा है।
- 17.2 वर्ष 2024-25 के दौरान 31.03.2025 के अनुसार कोयला खान पेंशन योजना-1998 की पेंशनर एवं जीवित सदस्यता क्रमश: 6,33,256 एवं 3,51,567 है।

वर्ष की समाप्ति पर जीवित सदस्यता का क्षेत्रवार वर्गीकरण निम्नलिखित है:

क्षेत्रीय कार्यालय	सीएमपीएस 98 अंतर्गत पेंशनर की संख्या	सीएमपीएस 98 की जीवित सदस्यता
धनबाद-।	61412	13212
धनबाद-॥	73007	13190
आसनसोल-।	38483	13233
आसनसोल-॥	38034	11454
आसनसोल-॥।	48166	13470
रांची-।	29570	17651
रांची-॥	41881	15041
जबलपुर	38666	34554

छिंदवाड़ा		33087	8489
बिलासपुर	A .		
नागपुर		36665	42413
सिंगरौली		55611	28355
		15866	25013
गोदावरीखानी		63072	40446
कोथागुडम		23501	14248
कोलकाता		3242	470
तालचर		10510	30147
संबलपुर		12603	21596
देवघर		4652	4765
मारगेरिटा		4335	1700
नई दिल्ली		893	2120
योग :-		333	2120
થાય .=		633256	351567

18. अंशदानः

18.1 08 जून 2018 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 540 (अ) के तहत 01 अक्टूबर 2017 से प्रभाव के साध सदस्य और नियोक्ता के पूर्व में सीएमपीएस, 98 के पारा 3 (ख), (ग) और (घ) के अंतर्गत पेंशन योगदान के स्थान पर अक्टूबर, 2017 के प्रथम दिवस अथवा कर्मचारी के पदग्रहण की तिथि, जो भी बाद में हो, से संदेय मूल वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (बीडीए) पर कर्मचारी के वेतन के सात प्रतिशत के बराबर राशि और नियोक्ता से समान योगदान जमा किया जाना निर्धारित किया गया।

इससे पहले पेंशन निधि में सदस्य और नियोक्ता के अंशदान को उनके भविष्य निधि अंशदान से पृथक किया जाता था। इस पृथकता की दर कुल परिलब्धियों का 1 व 1/6 % था जो 30 नवंबर 2017 तक प्रभावी था।

सदस्यों की कुल परिलब्धियों के 1 व 2/3 % की दर से केन्द्र सरकार भी पेंशन निधि में अंशदान करती है बशर्ते कि किसी सदस्य के मामले में जिसकी कुल परिलब्धियां ₹1600/- प्रतिमाह से अधिक है, केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान योग्य अंशदान, ₹1600/- प्रतिमाह की उसकी कुल परिलब्धियों पर भुगतान योग्य राशि तक सीमित होगा।

अप्रैल, 1989 के पहले दिन अथवा योगदान की तारीख से, जो भी बाद में हो, मार्च, 1996 के 31वे दिन तक कर्मचारी को भुगतान किए गए मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते (शब्द वेतन को सा.का.नि. 689(ड.) दि. 29.08.2000 के आलोक में शब्दों मूल वेतन एवं डी.ए. द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।) के 2% के बराबर राशि तथा अप्रैल, 1996 के पहले दिन अथवा योगदान की तारीख से जो भी बाद में हो, कर्मचारी के ''कल्पित" वेतन के 2% के बराबर राशि उसके वेतन से अंतरित की जाएगी जो 30 नवंबर 2017 तक प्रभावी था।

जुलाई, 1995 के पहले दिन अथवा योगदान की तारीख को, जो भी बाद में हो, कर्मचारी के वेतन के आधार पर परिकलित की जाने वाली एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि, जुलाई, 1995 के पहले दिन अथवा योगदान की तारीख से, जो भी बाद में हो, कर्मचारी के वेतन से अंतरित की जाएगी जो 30 नवंबर 2017 तक प्रभावी था।

भारत का राजपत्र सा.का.नि. 119(क) दिनांक 17 फरवरी 2023 को सीएमपीस, 98 में हुए संशोधन के अनुसार "पैरा 9 के, उप पैरा (2) में, पैरा 3 के खंड (ख), (ग), (घ), (ड) और (च), के स्थान पर शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक के स्थान पर पैरा 3 के खंड (ड), (च) और (छ) शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक को रखा जाएगा।"

18.2 कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान के साथ-साथ 20 रुपये प्रति टन की दर से अतिरिक्त योगदान के माध्यम से पेंशन फंड में योगदान तथा केन्द्र सरकार का अंशदान का संग्रह निम्नानुसार है: -

(र करोड़ में)

	2022-23	2023-24	2024-25
पेंशन निधि	4367.40	5,637.77	5052.07
केन्द्र सरकार का अंशदान	0.57	10.64	10.82

19. निवेशः

- 19.1 कोयला खान पेंशन योजना के प्रावधानों के अनुसार परिवार पेंशन निधि के धन का निवेश पी.ए.ओ., नई दिल्ली द्वारा अनुरक्षित लोक लेखे में जमा के रूप में किया जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 1208.33 करोड़ की अगली राशि ब्याज के रूप में प्राप्त की जानी है जिसका इस लेखे में पुनैर्निवेश किया जाएगा जिससे कुल जमा राशि ₹ 14,215.68 करोड़ से बढ़कर ₹ 15424.01 करोड़ हो जाएगी।
- 19.2 लोक लेखे में जमा राशि पर अब 8.5% की दर पर ब्याज मिलता है।

20. हितलाभों का भुगतानः

- 20.1 कोयला खान परिवार पेंशन योजना 1971, के अंतर्गत दो प्रकार के लाभ थे। आवर्ती, अर्थात् सेवाकाल में किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के सदस्य का मासिक परिवार पेंशन का भुगतान किया जाता है जो प्रत्येक मामले में ₹ 2000 के एक मुश्त गारंटी अनुदान से अलग होती है। ये व्यक्ति सेवानिवृत्ति अथवा सेवा समाप्ति के बाद योजना में निर्धारित दर पर सेवानिवृत्ति अथवा धननिकासी लाभ पाते हैं। सीएमपीएस-98 की शुरूआत के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया है और सभी प्रावधानों को सीएमपीएस 98 के तहत शामिल कर दिया गया है।
- 20.2 कोयला खान परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत परिवार पेंशन तथा अन्य लाभों हेतु दावों के निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति तथा परिवार पेंशन/सीएमपीएस भुगतान नीचे दर्शाई गई है:

क्र. सं.	प्रकृति	निष्पादित दाव	ों की संख्या	अदा की गई राशि	ा (रु. करोड़ में)
		2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
i)	परिवार पेंशन हेतु दावे* (नीचे (8) में शामिल)	0	0	OF THE PARTY	
ii)	एक मुश्त जीवन गारंटी लाभ	0	0		100
iii)	सेवानिवृत्ति लाभ	0	0	A Property	
iv)	धननिकासी लाभ	0	0		F0.10.40
v)	परिवार पेंशन अंशदान की निधिवापसी	0	0	5427.74	5242.68
vi)	3) से 5) तक उल्लिखित लाभों से संबंधित पुनप्र्रेषण	0	0		
vii)	मामले घटाएं जिनमें वर्ष के दौरान पेंशन बंद की गई	0	0		E A Tiles
viii)	मामले जिनमें परिवार पेंशन भुगतान की गयी	0	0		

20.3 यह भी उल्लेखनीय है कि कोयला खान भविष्य निधि का प्रशासनिक खर्च की भरपाई कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए प्रशासनिक प्रभार से की जाती है तथा कोयला खान पेंशन योजना की केन्द्र सरकार और कोयला कंपनियों द्वारा।

21. पेंशन निधि की निवल वृद्धिः

21.1 31.03.2025 के अनुसार पेंशन निधि में निवल जमा शेष निम्नलिखित था:-

(र करोड़ में)

01.04.2024 के अनुसार आदि शेष	22,898.90
2024-25 के दौरान पेंशन फंड में सदस्यों और नियोक्ताओं का अंशदान	5052.07
2024-25 में प्राप्त केन्द्र सरकार का अंशदान	10.82
2024-25 के दौरान प्राप्त ब्याज (आरक्षी व अधिशेष)	1776.56
कुल :-	29738.68
2024-25 के दौरान भुगतान किए गये लाभ	5242.68
घटाव : अन्य	0.00
शेष:-	24495.66

21.2 ₹24.495.66 करोड़ का निवल शेष निम्नलिखित प्रकार रखा गया है:

(कस्मीन में)

	(र फराड़ म)
8.5% की दर से ब्याज वाले सार्वजनिक खाते में जमा	15424.01
निवेश (खाता मूल्य)	8170.06
ऋण, अग्रिम और अन्य वसूली योग्य	432.37
बैंक शेष	469.22
	निवेश (खाता मूल्य) ऋण, अग्रिम और अन्य वसूली योग्य

जोड़:- 244495.66

22. कोयला खान पेंशन यीजना'98 के अंतर्गत परिवार पेंशन एवं निष्पादनः

- 22.1 परिवार पेंशन का वितरण राष्ट्रीयकृत बैंकों में पेंशनभोगियों के बचत खाते में जमाओं के माध्यम से किया जा रहा है जो दिनांक 01.04.2011 से प्रभावी है।
- 22.2 कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के आरंभ के साथ ही, कोयला खान परिवार पेंशन की सभी परिसंपत्तियां एवं देयताएं कोयला खान पेंशन निधि खाते में अंतरित की गई है।
- 22.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के अंतर्गत पेंशन के निष्पादन हेतु फार्म पी0एस0-6/सहज में प्राप्त निष्पादित किए गए दावों निम्नलिखित हैं:-

01.04.2024 के अनुसार लंबित पेंशन दावों की संख्या	475
2024-25 के दौरान प्राप्त दावों की संख्या	(+) 27852
कुल :-	28327
2024-25 के दौरान निष्पादित दावों की संख्या	(-) 26842
शेष :-	1485
अस्वीकृत/लौटाये गये दावों की संख्या	(-) 1390
31.03.2025 के अनुसार लंबित दावों की संख्या	95

22.4 पेंशन मामलों से संबंधित उपर्युक्त का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे दिखाया गया है:-

क्षेत्रीय कार्यालय	आदि शेष	प्राप्ति	जोड़	निष्पादित	अस्वीकृत/बंद	शेष
धनेबाद-।	120	1480	1600	1564	31	5
धनबाद-॥	148	1667	1815	1670	136	9
आसनसोल-।	12	1560	1572	1552	17	3
आसनसोल-॥	0	1316	1316	1308	6	2
आसनसोल-॥।	3	1497	1500	1496	2	2
रांची-।	10	1226	1236	1188	47	1
रांची-॥	38	1801	1839	1702	133	4
जबलपुर	28	1395	1423	1392	18	13
छिंदवाड़ा	2	880	882	880	1	1
बिलासपुर	5	4019	4024	3957	66	1
नागपुर	6	2100	2106	2104	0	2
सिंगरौली	66	1067	1133	893	193	47
गोदावरीखानी	11	3084	3095	2893	201	1
कोथागुडम	.0	1302	1302	851	451	0
कोलकाता	5	279	284	277	5	2
तालचर	1	1438	1439	1439	0	0
संबलपुर	13	1455	1468	1423	43 🧓	2
देवघर	0	195	195	160	35	0
मारगेरिटा	7	85	92	87	5	0
नई दिल्ली	0	6.	6	6	0	0
जोड़ :-	475	27852	28327	26842	1390	95

23. कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजनाः

23.1 कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 11ग में समाविष्ट उपबंधों की शर्तों के अनुसार कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना कोयला खान भविष्य निधि के सभी सदस्यों को समाविष्ट करती है। कोल इंडिया लिमिटेड एवं उसकी सहयोगी कंपनियों सहित तथा सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना के लागू होने से छूट प्रदान की गई है क्योंकि उन्होंने अपनी स्वयं की जीवन आवृत्ति योजना आरंभ की है, जो कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी है। फिर भी, कोल इंडिया लिमिटेड के मामले में यह छूट उसके उन कर्मचारियों के संबंध में है, जो राष्ट्रीय कोयला मजदूर वेतन समझौता

द्वारा नियंत्रित होते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहयोगी कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों को एस्.ओ. 822(ड.) दिनांक 24.03.2009 के आलोक में कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना के लागू होने से छूट प्राप्त है।

- 23.2 इस प्रकार, सांविधिक कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना की व्यप्ति निम्नलिखित तक सीमित है:
 - i) दामोदर घाटी निगम के स्वामित्व वाली कोयला खानों के कर्मचारी
 - ii) टाटा आयरन व स्टील कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व वाली कोयला खानों के कर्मचारी
 - iii) इंडियन आयरन व स्टील कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व वाली कोयला खानों के कर्मचारी
 - iv) जम्मु व कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड के कर्मचारी
 - v) सभी कोयला खानों में ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित व्यक्ति।
- 23.3 कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 11 (3) (क) में कोयला खान भविष्य निधि संगठन के निरीक्षकों द्वारा योजना के कार्यान्वयन से छूट प्राप्त इकाइयों के निरीक्षण किए जाने तथा निरीक्षण प्रभार भुगतान किए जाने का भी प्रावधान है।
- 23.4 सीएमपीएफओ के न्यास बोर्ड ने दिनांक 05.10.2021 को आयोजित अपनी 174वीं बैठक में लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण योजना को वापस लेने की सिफारिश की है जिसपर मंत्रालय द्वारा कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध अधिनियम 1948 को पुन: लिखाए जाने संबंधी निर्देश दिया है

24. अंशदानः

- 24.1 कर्मचारियों को जमा संबद्ध बीमा निधि में कोई अंशदान नहीं करना होता है। नियोक्ता समग्र पारिश्रमिक विस्ते क्ल पारिश्रमिक, महंगाई भत्ता तथा पुनग्र्रहण भत्ता, यदि हो, सम्मिलित होते हैं, को मिलाकर के 0.5% की दर से अंशदान करते हैं के सरकार भी नियोक्ता के अंशदान की आधी राशि के बराबर अंशदान करती है।
- 24.2 वर्ष 2024-25 के दौरान बीमा निधि में नियोक्ताओं का अंशदान ₹ 0.00 करोड़ था जबकि सरकार का अंशदान ₹ 0.00 करोड़ था।

25. निवेशः

25.1 कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा निधि के संपूर्ण संचय का 7.5% ब्याज मिलने वाले लोक खाते में निवेश किए जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार 31 मार्च 2024 तक लोक खाते में कुल ₹ 443.22 करोड़ जमा थे। प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान केन्द्र सरकार के लोक लेखे में जमा किए जाने हेतु ब्याज के रूप में ₹ 33.24 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है। जिससे 31 मार्च 2025 को जो राशि ₹ 443.22 करोड़ थी से बढ़कर 31.03.2025 को कुल जमा राशि ₹ 476.46 करोड़ हो गई है।

26. लाभों का वितरणः

- 26.1 जहां तक छूट प्राप्त कोयला कंपनियों का संबंध है, जमा सम्बद्ध बीमा योजना के अंतर्गत लाभों का भुगतान का कुछ संबंधी मामलों में प्रतिबंधित है जो उस तारीख जिस पर छूट प्रभावी हुई, से पहले घटित हुए हों। गैर-छूट प्राप्त कोयला कंपनियों के उक्ष छूट प्राप्त कोयला कंपनियों में सदस्यों की गैर-छूट प्राप्त श्रेणियों के, मृत्यु संबंधी सभी दावों का निष्पादन जमा संबद्ध बीमा बोबना के अंतर्गत हुआ।
- 26.2 वर्ष के दौरान जमा सम्बद्ध बीमा लाभ हेतु कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ। अतः, जमा सम्बद्ध बीमा लाभ हेतु र शून्य का भुगतान किया गया है।
- 26.03 सीएमपीएफओ के न्यास बोर्ड ने दिनांक 05.10.2021 को हुई अपनी 174वीं बैठक में लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण योजना को वापस लेने की सिफारिश की और तदनुसार कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1948 में संशोधन हेतु केंद्र सरकार को प्रस्तावित किया गया है।

27. डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड में शुद्ध अभिवृद्धिः

27.1 जैसा कि न्यासी परिषद ने मंजूरी दे दी है, जमा सम्बद्ध बीमा गैर परिचालन में है। 31.03.2025 को जमा सम्बद्ध बीमा निधि का निवल शेष ₹476.46 करोड़ था।

28. संगठनः

28.1 यह निधि कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 3क के अंतर्गत गठित त्रिपक्षीय न्यासी परिषद में निहित तथा उसके द्वारा संचालित होती है। नियोक्ताओं, कर्मचारियों, एवं राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यासियों का कार्यकाल आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार उस तारीख से प्रभावी होगा जो उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता

है। 13 सितंबर 2023 एवं 23 नवंबर 2023 को जारी आदेश के अनुसार बोर्ड का गठन **अनुलग्नक-।** में दर्शाया गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड ने तीन बैठक की और इनकी महत्वपूर्ण सिफारिशों पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।

28.2 बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त धनबाद स्थित अपने मुख्यालय तथा देश भर में फैले 20 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से, कोयला खान भविष्य निधि योजना, कोयला खान पेंशन योजना एवं कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना जैसी तीन योजनाएं संचालित करते हैं। इन कार्यालयों की स्थिति और अधिकार क्षेत्र अनुलग्नक-।। में प्रदर्शित किए गए हैं।

निरीक्षणः

- 29.1 उक्त योजना का प्रभावपूर्ण संचालन करने के लिए नियमित निरीक्षण आवश्यक कार्य है। निरीक्षण में तीन स्तर निहित होते हैं जैसा नीचे इंगित है: =
 - (i) भविष्य निधि निरीक्षकों प्रवर्तन अधिकारियों तथा अधिकारियों द्वारा इस विचार से यह सत्यापित करने के लिए कोलियरियों का निरीक्षण कि कोयला कंपनियों द्वारा योजना के सांविधिक उपबंधों का पालन किया जा रहा है या नहीं। इन निरीक्षणों का उद्देश्य दावों के निष्पादन तथा गैर प्रविष्ट दस्तावेजों की प्रविष्टि के लिए वांछनीय सूचनाएं एवं आवश्यक दस्तावेजों का संग्रहण भी होता है।
 - (ii) संबंधित अपर आयुक्तों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण किए जाते हैं और ऐसे निरीक्षण क्षेत्रीय आयुक्तों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा अपने से संबंधित नियंत्रणाधीन अधिकारियों/शाखाओं के संबंध में भी किए जाते हैं।
 - (iii) मुख्यालय के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा निरीक्षण।

30. प्रशासनः

30.1 स्वीकृत 934 पदों की तुलना में 31.03.2025 के अनुसार पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या 583 थी। इस प्रकार वर्ष की समाप्ति पर 351 पद रिक्त थे। स्वीकृत एवं भरे हुए पदों का श्रेणीवार विवरण अनुलग्नक-।।। में दर्शाया गया है।

31. कर्मचारियों हेतु कल्याणकारी उपायः

- 31.1 कोयला खान भविष्य निधि के कर्मचारियों को वैसे बोनस की अनुज्ञा की जाती है जैसा वर्ष दर वर्ष केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए घोषित किया जाता है।
- 31.2 कोयला खान भविष्य निधि के कर्मचारियों के तकनीकी रूप से सरकारी कर्मचारी नहीं होने के कारण, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आरंभ की गई समूह बीमा योजना का विस्तार इस निधि के कर्मचारियों तक नहीं किया जा सका है। लेकिन, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा एक समूह बचत-सह-बीमा स्कीम आरंभ की गई है और इसका विस्तार कोयला खान भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों तक किया गया है। प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान जीवन बीमा निगम को प्रीमियम के रूप में ₹ 44,508.00 (चौवालीस हजार पांच सौ आठ रुपये मात्र) की राशि का भुगतान किया गया है। 23 कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति हितलाभ के रूप में ₹ 8,56,177 (आठ लाख छप्पन हजार एक सौ सतहत्तर रूपये मात्र) की राशि का भुगतान किया गया है।
- 31.3 इस संगठन में सेवाकाल में मृत्यु होने पर कर्मचारियों के परिवारों को एक मुश्त नकद लाभ उपलब्ध कराने के लिए मृत्यु अनुदान की एक योजना प्रचलित है। मृत्यु अनुदान की यह योजना कोयला खान भविष्य निधि कर्मचारी हितकारी निधि नियमावली में समाविष्ट है। बोर्ड के अनुमोदन से यह योजना 01.04.1984 से प्रभावी होकर अस्तित्व में आई। यह नई योजना सेवाकाल में मृत्यु के मामले में इस संगठन के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विशेष अंशदान की प्रावधान करती है। बोर्ड भी संगृहीत विशेष अंशदानों के बराबर कर्मचारी हितकारी निधि में समान अनुदान देती है।

32. शिकायत एवं सतर्कताः

- 32.1 सदस्यों की शिकायतों के निवारण हेतु मुख्यालय में एक अलग प्रकोष्ठ कार्यरत है, जबिक क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों का निपटारा स्वयं क्षेत्रीय आयुक्तों द्वारा किया जाता है। अधिकांश शिकायतें दावों के निष्पादन तथा वैयक्तिक खातों को अद्यतित करने में देरी के बारे में होती हैं। दिनांक 31.03.2025 के अनुसार, बिना सतर्कता जांच वाले कुल 29 शिकायती मामले संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालय में निपटाए जाने थे। वर्ष के दौरान 970 मामलों का निपटारा किया गया।
- 32.2 31.03.2025 के अनुसार, कुल 29 मामले निष्पादन हेतु शेष थे जैसा नीचे दर्शाया गया है: –

01.04.2024 के अनुसार लंबित गैर-सतर्कता शिकायतों की संख्या		58
2024-25 के दौरान प्राप्त गैर-सतर्कता शिकायतों की संख्या		941
	कुल:-	999
2024-25 के दौरान निष्पादित गैर-सतर्कता शिकायतों की संख्या	0	970
31.03.2025 के अनुसार लंबित गैर-सतर्कता शिकायतों की संख्या		29

- 32.3 निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में यह सूचना प्रदर्शित की गई कि सदस्य केवल अधिकारियों से मिलें, किसी अन्य व्यक्ति से नहीं। अधिकारियों को यह सलाह दी गई कि सदस्यों से सहयोग भावना के साथ मिलें, उनकी शिकायतें धैर्यपूर्वक सुने और तत्काल उनका निराकरण करें। जहां इस तथ्य के कारण समस्या का समाधान करना संभव नहीं हुआ कि कुछ ब्यौरे दूसरे स्टेशनों पर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों से संग्रह किए जाने थे, वे तारीखें जब तक मामले दुरूस्त किए जाएंगे और वह तारीख जिस पर सदस्य/आगंतुक फिर से मिलेंगे, सदस्यों को सुचित की गई।
- 32.4 जैसा कि दिनांक 31/03/2017 को राज्यसभा में प्रस्तुत 150वीं रिपोर्ट की अनुसंशा के पैरा 24 के अंतर्गत वॉछित है। समिति यह अनुसंशा करती है कि वित्त वर्ष 2024-25 में निष्पादित किए गए एवं लंबित सतर्कता मामले तथा लंबित मामलों के प्रकार को भी वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	डीआई मामले निपटाए गए	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मामलों का निस्तारण	डीआई मामले लंबित	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मामले लंबित
2023-24	05	. 01	09	10

32.5 उपरोक्त के अलावा, सिमति ने संगठन द्वारा की गई ऑडिट आपत्तियों के जवाबों के साथ लंबित पैराग्राफ और आरटी आई मामलों से संबंधित विवरण को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने की अनुसंशा की है। वर्ष 2024-25 के हेतु रिपोर्ट नीचे दिखाई गई है: -

सूचना अधिकार अधिनियम वार्षिक रिटर्न प्रक्रिया (2024-25) वार्षिक रिटर्न प्रपत्र

प्राधिकार : कोयला मंत्रालय (कोयला खान भविष्य निधि संगठन)

		वर्ष 2024-2	5 में प्रगति			
- 24	01.04.2024 को अधिशेष	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राप्ती की सं0 (जिसमें अन्य जन सूचना प्राधिकारी को अंतरित मामले शामिल)	प्राधिकारी को	अंतरित मामलों से प्राप्ति	अनुरोध/ अपील खारिज	निर्णय जहाँ अनुरोध/ अपील स्वीकार किए गए
अनुरोध	00	410	0 383		1	0 -
प्रथम अपील	00	148	0	0	0	148
ऐसे अधिक	गरी की संख्या जहाँ '	केसी अधिकारी पर अनुशासनात्मक व	नार्रवाई की गई	0		
सीएपीआईओ पदनामित की सं0 सीपीआईओ पदनानि			अ. अ. पदनामित की सं0		मित की सं0	
	0	21			#1	

ऐसे मामलों की सं0 जहाँ अनुरोध खारिज करने में विभिन्न प्रावधान लगाये गए

8(1)										धारा	Ų		
a	В.	c	d	e	f	g	h	i	j	9	11	24	अन्य
				F 5.4		1 78			1			47.1	
, ti	ांजीकरण शुल		गुल्क राशि		(र में) तिक्त शुल्क	एवं अन्य	प्रकार				दंड राहि	शे	
6	3810				15	12					0		
											H		

उस व्यक्ति का नाम जो प्रविष्टि /अपलोड करता है	एस० के० पंडित
उस व्यक्ति का पदनाम जो प्रविष्टि /अपत्लोड करता है	सहायक आयुक्त/के.ज.सू.अ.

लेखें तथा लेखापरीक्षाः

- 33.1 सीएमपीएफ, 1998 के पैरा 21 के साथ पठित और सीएमडीएलआई, 1976 के पैरा 25 के साथ पठित, सीएमपीएफ, 1948 के पैरा 68 के तहत जैसा कि आवश्यक है, कोयला खान भविष्य निधि, कोयला खान पेंशन निधि और कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा से जुड़ी निधि के वार्षिक खातों का वर्ष 2024-25 का लेखा विभिन्न विवरणों के रूप में इसके साथ संलम्न हैं।
- 33.2 कोयला खान भविष्य निधि योजना के प्रशासन व्यय की पूर्ति सदस्यों तथा नियोक्ताओं के अनिवार्य अंशदान की कुल राशि पर 3% की दर से नियोक्ताओं से प्रशासनिक प्रभार की लेवी से की जाती है। वर्ष 2024-25 के दौरान प्रशासन खाते पर व्यय की अपेक्षा ₹ 449.17 करोड़ की मात्रा में आय की अधिकता हुई। पूंजीगत व्यय अर्थात भूमि एवं भवन पर व्यय राजस्व आय से प्राप्त किया जाता है। प्रशासनिक खाते का संचयी राजस्व अधिशेष 31 मार्च, 2024 के अनुसार ₹ 4725.12 करोड़ से बढ़कर 31.03.2025 के अनुसार ₹ 5174.29 करोड़ हो गया है।
- 33.3 आय एवं व्यय के साथ-साथ अधिशेषों की तुलनात्मक स्थिति नीचे दर्शाई गई है: -

(र करोड में)

	(, , , , , , ,		
	2022-23	2023-24	2024-25
प्रशासन खाते में कुल आय (निवेश पर ब्याज भी शामिल)	555.44	682.74	661.40
प्रशासन खाते से कुल व्यय	208.23	318.94	222.80
वर्ष का अधिशेष राजस्व	353.38	378.50	449.17
घटाएं, पूर्व समयावधि समायोजन / पेंशन के प्रशासनिक खर्च हानि का समायोजन	75.32 (41.78+33.54)	2.03	00.00
वर्ष की समाप्ति पर संचयी राजस्व अधिशेष	4348.64	4725.12	5174.29

- 33.4 कोयला खान पेंशन योजना का संचालन व्यय हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। कोयला खान भविष्य निधि तथा कोयला खान पेंशन योजना के समान प्रयोजनों हेतु प्रशासन व्यय, कोयला खान पेंशन योजना में समाविष्ट प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, दोनों योजनाओं के प्रशासन खातों के बीच विभाजित किया जाना अपेक्षित है।
- 33.5 वर्ष 2024-25 के दौरान कोयला खान परिवार पेंशन योजना/पेंशन योजना का संचालन व्यय ₹ 2154.29 लाख था। इसकी तुलना में, सरकार से ₹ शुन्य का अंशदान प्राप्त हुआ। इस प्रकार आय पर व्यय में ₹ 2154.29 लाख की अधिकता थी। आय एवं व्यय के साथ-साथ अधिशेष की तुलनात्मक स्थिति नीचे दिखाई गई है:-

(₹लाख में)

	2022-23	2023-24	2024-25
परिवार पेंशन/पेंशन योजना का प्रशासन व्यय, उभयनिष्ठ व्यय के हिस्से सहित	3685,14	3957.47	2154.29
कोयला खान पेँशन योजना के प्रशासन व्यय हेतु सरकार से प्राप्त राशि	1665.00	0.00	0.00
व्यय की तुलना में अधिक/कम आय	(-) 2020.14	(-) 3957.47	(-) 2154.29

- 33.6 कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना का संचालन का खर्च समग्र पारिश्रमिक के 0.1% की दर पर नियोक्ताओं द्वारा भुगतान किए गए प्रशासन प्रभार तथा नियोक्ताओं द्वारा भुगतान किए गए प्रशासनक प्रभार की आधी मात्रा के बराबर सरकारी अंशदान से पूरा किया जाता है।
- (i) वर्ष 2024-25 के दौरान कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना के केन्द्रीय प्रशासन खाते में नियोक्ता का अंशदान की राशि ₹ 8.15 लाख थी।
 - (ii) उक्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय प्रशासन खाते में केन्द्र सरकार से ₹ शून्य की राशि प्राप्त हुई।
- 33.7 बड़ी कोयला कंपनियों को कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना से छूट प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप, जमा संबद्ध बीमा कार्य हेतु नियोजित कर्मचारियों की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा वापस ले ली गई। परिणमतः, जमा सम्बद्ध बीमा निधि के केन्द्रीय प्रशासन खाते में से उभयनिष्ठ मंदों पर व्यय का समानुपातिक हिस्सा ही एकमात्र व्यय रह गया है। परिणामस्वरूप, जमा सम्बद्ध बीमा

निधि के केन्द्रीय प्रशासन खाते में राजस्व अधिशेष के संचयन में प्रगामी वृद्धि रही है। डीएलआई से व्यय की अपेक्षा आय की अधिकता पिछले वर्ष के ₹ 13.53 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹ 13.87 करोड़ हो गई है।

34. लेखापरीक्षाः

केन्द्र सरकार के परिच्छेद 59(i) के अनुसरण में तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ केन्द्र सरकार द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार, कोयला खान भविष्य निधि योजना के वार्षिक लेखों की परीक्षा उस राज्य के महालेखाकार द्वारा की जा रही है जिसमें निधि संगठन का कार्यालय स्थित है। इस व्यवस्था के अनुसार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग (बजट संभाग), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 के परिच्छेद 20(1) के अंतर्गत वर्ष 2008-2009 से कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद के लेखों की परीक्षा का कार्य सौंपा गया है। तदनुसार, संगठन के वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखों की परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (पीडीसीए, कोलकाता) द्वारा की गई है। उक्त लेखापरीक्षा का प्रमाणपत्र इस वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

अनुलग्नक-।

न्यासी बोर्ड का गठन कोयला खान भविष्य निधि, 23 नवंबर 2023 के अनुसार

अध्यक्ष

1. सचिव, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली। पिन-110001

सदस्य पदेन

2. सी.एम.पी.एफ. आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद (झारखंड), पिन-826014

भारत सरकार के प्रतिनिधि

3. अवर सचिव, भारत सरकार 4. (सीएमपीएफओ मामलों के प्रभारी), कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली. पिन-110 001

संयुक्त सचिव-सह वित्त सलाहकार, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली-110 001

5. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अथवा उनका प्रतिनिधि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन. भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110 066

राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

6. अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या 7- अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या 8- अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या ओडिशा राज्य सरकार द्वारा सचिव, नामनिर्दिष्ट रैंक अधिकारी

छतीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट रैंक अधिकारी

सचिव, झारखंड राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट रैंक अधिकारी

नामनिर्दिष्ट रैंक अधिकारी

9. अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या 10. अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा सचिव, तेलंगााना राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट रैंक अधिकारी

11-अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट रॅंक अधिकारी

नियोक्ताओं के प्रतिनिधि

12- अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला भवन, परिसर संख्या-04, एमएआर, प्लॉट नं०-एएफ-3, एक्शन एरिया-1ए, न्युटाउन, राजारहाट, कोलकाता-700156 (पश्चिम बंगाल)

13- अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, कोथागुडम, भद्रादी कोथागुडम, तेलंगाना-507101

14- अध्यक्ष -सह- प्रबंध निदेशक, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाकघर जागृति विहार, बुर्ला, जिला- संबलपुर-768020

15- अध्यक्ष -सह- प्रबंध निदेशक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, पोस्ट बॉक्स नं० 60, जिला – बिलासपुर (छत्तीसगढ़) पिन :- 495006

16- अध्यक्ष -सह- प्रबंध निदेशक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, कचहरी रोड, रॉची-834029 (झारखंड)

17- भारत सरकार के संयुक्त सचिव, (कोयला खान भविष्य निधि संगठन मामलों के प्रभारी), कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली-110001

कर्मचारियों के प्रतिनिधि

18. श्री रामेन्द्र कुमार, अध्यक्ष, ए.आई.टी.यू.सी., महासचिव, इंडियन माईन वर्कर्स फेडरेशन, डाकघर - भुरकुंडा- 825301 जिला- हजारीबाग (झारखण्ड)

21. श्री के. लक्ष्मा रेड्डी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ राज्य कार्यालय, टीआरटी-141, जवाहरनगर, हैदराबाद-500020 19. श्री राकेश कुमार, अध्यक्ष कोयला मजदूर कॉग्रेस (एचएमएस), निकट प्रीमियर नरसिंग होम, डाकघर - गोपालपुर, आसनसोल-713304 जिला- वर्दवान (पश्चिम बंगाल)

22. श्री आशिष कृष्ण मूर्ति, कोषाध्यक्ष, अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ, फ्लैट नंबर 202, ऑरेंज हाईट अपार्टमेंट, एस्सार पेट्रोल पंप के पीछे, लाहिडी कृपा सोसाईटी, खामला, नागपुर-440024 20. श्री डी.डी. रामानंदन, राष्ट्रीय सचिव, भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र, महासचिव, अखिल भारतीय कोयला श्रमिक संघ,
4सी बिनॉय शांति प्रीति अपार्टमेंट, जवाहर नगर डाकघर के सामने, कांके रोड,
रॉची-834008 (झारखंड)


23. श्री डी.एन. सिंह, अध्यक्ष भारतीय कोयला खान अधिकारी संघ (शीर्ष निकाय) और मुख्य प्रबंधक (खनन), सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड (रॉची)

वर्ष 2024-2025 की वार्षिक रिपोर्ट

अनुलग्नक-॥

कोयला खान भविष्य निधि कार्यालयों की सूची

क्रम	कार्यालय	- क्षेत्राधिकार		स्थापना की
सं०		क्षेत्र /संभाग	कंपनी	तारीख
1	मुख्यालय, धनबाद	सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा समन्वयन।		1949
2	रॉची	आंचलिक कार्यालय (मार्च 2017)	धनबाद, आसनसोल व रॉची में अवस्थित क्षे. का.	. मार्च 2017
3	भुवनेश्वर	आंचलिक कार्यालय (मार्च 2017)	क्षे। का. संबलपुर, बिलासपुर, जबलपुर व दिल्ली	मार्च 2017
4	हैदराबाद	स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, नेशनल इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसींग सेंटर, आंचलिक कार्यालय (मार्च 2017)	क्षे. का. सिंगरौली, कोथागुडम, गोदावरीखनी व नागपुर	सिंतबर 1973
5	धनबाद-।	क्षेत्र सं॰ II, IV,VI,VII, VIII, IX(भालगोरा), XII भा.को.को.लि.,(मुख्यालय), सुदामडीह	भाकोकोलि., सीआईएल, सीएमपीडीआईएल.	अक्तूबर, 1971
6	धनबाद-॥	क्षेत्र सं० I, III, IV, V, X, XI, ब्लॉक II, के.पी. क्षेत्र, इस्को एवं टिस्को प्रकोष्ठ	भारत कोकिंग कोल लि0, इस्को, टिस्को	फरवरी, 1981
7	आसनसोल-।	पांडेश्वर एरिया, बांकोला, केंडा, झंझरा व सोनेपुर बाजार क्षेत्र।	ईसीएल	अक्तूबर, 1971
8	आसनसोल-॥	क्षेत्र -कजोरा, कुनुस्तोरिया, सतग्राम।	ईसीएल	अगस्त, 1981
9	आसनसोल-॥।	श्रीपुर, सोदपुर, सीतारामपुर, इ.को.लि. मुख्यालय व सी.एम.पी.डी.आई.एल. क्षेत्र -।, क्षेत्र- सालनपुर, निरसा व कप्सरा	ईसीएल, सी.एम.पी.डी.आई.एल.	अक्रूबर, 1971
10	रांची-।	क्षेत्र- एन.के. पीपरवार, राजहारा, सीकमी (जे.एम.डी.सी. खदानें)	सीसीएल, एमपीडीआईएल, जे.एम.डी.सी.	अक्तूबर, 1977
11	रांची-॥	एजीएम चरही, सिरका, अरगडा, बरकाकाना एजीएम, प. बोकारो, कुजु, सौंडा एजीएम, रजरप्पा एजीएम, ढोरी, बी. एंड के., कथारा, गिरिडीह, डी.व्ही.सी.।	सी.सी.एल., टिस्को, डी.व्ही.सी.।	सितंबर, 1981
12	जबलपुर	क्षेत्र- हसदेव, चीरीमीरी, सोहागपुर, वैकुण्ठपुर, जमुना व कोटमा, जोहिला, बिसरामपुर	एस.ई.सी.एल.	फरवरी, 1972
13	छिंदवाड़ा	पेंच व कन्हान।	डब्ल्यू.सी.एल., एस.ई.सी.एल.	सितंबर, 1981
14	बिलासपुर	क्षेत्र- कोरबा, कुसमुंडा, गेरिया, रायगढ़, एस.ई.सी.एल. मुख्यालय, बिलासपुर, सी.एम.पी.डाी.आई.एल. क्षेत्र -1V	एस.ई.सी.एल.	सितंबर, 1981
15	नागपुर	एरिया - नागपुर, चन्द्रपुर, बाल्लापुर, माजरी, वानी, पाथरखेडा, डब्ल्यू.सी.एल. मुख्यालय	डब्ल्यूसीएल, सीएमपीडीआईएल	सितंबर, 1981
16	सिंगरौली	सिंगरौली, बीना, एन.सी.एल. मुख्यालय	एनसीएल, सीएमपीडीआईएल	अगस्त, 1981
17	गोदावरीखनी	रामागुंडम, ग्रेंड I, II, III, IV, बेलमपल्ली, श्रीरामपुर एरिया, रामकृष्णा, मंदमारी, सी.आई.एल., मेसर्स एस.सी.सी.एल	एस.सी.सी.एल., सी.आई.एल.	सितंबर, 1973
18	कोथागुडेम	कोथागुडेम, ग्रुप येलान्डु, मजुगरू डिविजन, एस.सी.सी.एल. मुख्यालय	एस.सी.सी.एल.	सितंबर, 1981
19	कोलकाता	कोल इंडिया के कार्यालय तथा कोयला कंपनियों के कार्यालय/यूनिटें	सीआईएल, ईसीएल, बीसीसीएल, सी.सी.एल.	जनवरी, 1981
20	तालचर	एरिया - तालचर, जगनाथ, कलिंगा, वसुंधरा, स्वतंत्र इकाई	एम.सी.एल., सीएमपीडीआईएल	सितंबर, 1981
21	देवघर	चित्रा, जे.पी., राजमहल ओ.सी.पी., राजमहल एरिया, सिमलींग	ई.सी.एल.	दिसम्बर, 1981
22	मारगेरिटा	नार्थ इस्टर्न कोल फील्ड	एन.ई.सी.एल.	मार्च, 1982
23	संबलपुर	एरिया - ईब घाटी, ओरिएन्ट, लखनपुर, केन्द्रीय कार्यशाला	एम.सी.एल., सीएमपीडीआईएल	मई, 1997
24	दिल्ली	कालाकोट, आर0एस0ओ0 लखनऊ, दिल्ली, चंडीगढ़ व जयपुर	जम्मू व काश्मिर मिनरल लिमिटेड व सी0आई0एल0 के आर0एस0ओ0	जुलाई, 2006



वर्ष 2024-2025 की वार्षिक रिपोर्ट

अनुलग्नक-॥।

31.03.2025 को अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या

क्रम सं०	अधिकारी/ कर्मचारी की श्रेणी	स्वीकृत पद	पदस्थापित	कमी	टिप्पर्ण
1	2	3	4	5	6
1	को.खा.भ.नि. आयुक्त	1	1	0	
2	मुख्य सतर्कता अधिकारी	1	1	0	7/6
3	अपर आयुक्त	3	1	2	
4	वित्तीय सलाहकार	1	0	1	
5	क्षेत्रीय आयुक्त-।	19	5	14	
6	क्षेत्रीय आयुक्त-॥	28	9	19	
7	वरीय वित्तीय अधिकारी	. 2	0	2	7
8	वित्तीय अधिकारी	4	0	4	
9	सहायक अभियंता (सिविल)	1	0	1	
10	सहायक आयुक्त (आईटी)	1	0	1	
11	सहायक आयुक्त	35	21	14	
12	सहायक निदेशक (ओएल)	1	1	0.	
13	निजी सचिव	1	1	0	
14	प्रवर्तन अधिकारी	60	74	26	
15	लेखा अधिकारी	40			
16 4	भविष्य निधि निरिक्षक(समाप्त कर दिया गया)	0	2	-2	
17	अनुभाग अधिकारी	170	115	55	
18	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	. 5	5	0	
19	आशुलिपिक ग्रेड-।	9	9	0	
20	आशुलिपिक ग्रेड-॥	11	3	8	
21	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	10	10	0	
22	वरिष्ठ समाजिक सुरक्षा सहायक	138	131	- 7	
23	आशुलिपिक ग्रेड-॥।	11	0	11	
24	सामाजिक सुरक्षा सहायक	322	133	189	
25	उच्च श्रेणी लिपिक(समाप्त कर दिया गया)	0	2	-2	
26	ड्राईवर ग्रेड-। (समाप्त कर दिया गया)	0	1	-1	
27	ड्राईवर ग्रेड-॥ (समाप्त कर दिया गया)	0	3	-3	3
28	ड्राईवर (सामान्य ग्रेड) (समाप्त कर दिया गया)	0	7	-7	
29	एमटीएस	60	48	12	
	Total:-	934	583	351	



कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER COAL MINES PROVIDENT FUND

वार्षिक लेखा 2024-25 ANNUAL ACCOUNTS 2024-25

मुख्यालय : कोयला खान अविष्य निधि संगठन, धनबाद - 826001 (झारखंड)
HEAD QUARTER: COAL MINES PROVIDENT FUND ORGANIZATION, DHANBAD- 826001 (JHARKHAND)

कोयला खान भविष्य निधि

31.03.2025 तक त्लन पत्र

कॉर्पस / पूजी निषि और देयताएं	अनुसूची	<u>(राशि - रै)</u> 31.03.2025 के अनुसार	<u>(राशि - है)</u> 31.03.2024 के अनुसार
कॉर्पस/प्जी निधि आरक्षित एवं अधिशेष वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	. 78	1,182,749,439,909.81 88,552,687,057.32 50,562,314,932.46	1,198,272,658,947.87 14,764,738,938.47 50,028,952,594.08
<u>कुल</u>		1,321,864,441,899.59	1,263,066,350,480.42
परिसंपतियाँ			
निवेश वर्तमान संपतियाँ, ऋण और अग्रिम	4 10	1,285,278,385,806.83 36,586,056,092.76	1,224,584,822,120.48 38,481,528,359,94
		1,321,864,441,899.59	1,263,066,350,480.42
आकस्मिक देयताएँ और महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	9		

स्यान: दिनांक: ह/0 (संतोष कुमार) (निरंजन कुमार मिश्रा) सहायक आयुक्त क्षेत्रीय आयुक्त

ह/0 (सजीश कुमार एन) (आयुक्त)

29

कोयला खान भविष्य निधि

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय

यो (राशि - है) (राशि - है) 31.03.2025 के अनुसार 31.03.2024 के अनुसार	₹ 10,807,033,551.00 ₹ 11,894,030,144,00 ₹ 35,658,724,481.13 ₹ 32,847,282,952.93 ₹ 28,368,887,976.87 ₹ 25,832,814,954.65 ₹ 2,180,055,529.69 ₹ 3,352,398,821.70 # 14,720,077,341.00 ₱ 14,768,416,076.80	v hv	מיניסיים איני מיניסיים איניסיים איניסיי	₹ 13,163,157.32 ₹ 148,607,848.00 ₹ 32,703,910.43 ₹ 26,587,850.65 ₹ 147,379,994.03 ₹ 287,138,839.74 ₹ 193,247,061.78 ₹ 462,334,538.39	₹ 90,134,184,676.47 ₹ 87,747,907,571.56	₹ 91,068,722,080.00 84,735,607,634.00 ₹ 720,479,869.00 669,950,627.00	है 1,856,665,024.12 1,587,006,592.54 बुक्तिन है 244,700,664.00	₹ 93,645,866,973.12 87,237,265,517.54	₹ -3,511,682,296.65 510,642,054.02	
आय	क्याज से आय : केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ सार्वजनिक क्षेत्र के बांड निजी क्षेत्र के बांड	ावशेष जमा थे।जना अल्पकालिक जमा रसीदें / सार्वाचे जमा एसटीजी ईटीएफ ताक्षांश	कुल (ए) पेशन मुख्य खाते पर ब्याज मेथला मुख्य खाते पर ब्याज मेथला कंपालियों द्वारा मासिक अशेदान के भुगतान में देरी के लिए	द्रशत्मक ब्याज सुरक्षि (स्थिप) पर ब्याज विविध आय (निवेश) यूएलएफ पर लाझ/हानि कुल (बी)	कुल योग सी (ए॰ बी)	<u>ब्याज डयय</u> सदस्य खाते पर ब्याज (टीई में रिपोर्ट के अनुसार) सदस्य खाते पर ब्याज @7.6% (प्रावधान किया गया) पीएफ प्रशासन निधि पर ब्याज (@7.6%)	प्रतिभूतियों के मोचन पर लाभाहानि आईएलएफएस और आरसीएपी में अपेक्षित हानि के लिए प्रावधान - चाल् वर्ष की बुक्ति	Bed (3f)	आय से व्यय (सी-डी) अधिक होने पर शेष राशि को आरक्षित एवं अधिशेष खाते में स्थानांतरित किया जाता है	

ह/0 (सजीश कुमार एन) (आयुक्त)

(निरंजन कुमार मिश्रा) क्षेत्रीय आयुक्त

ह/0 (संतीण कुमार) सहायक आयुक्त

कोयला खान भविष्य निधि (मुख्य) खाता

31.03.2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए रसीद और भुगतान खाता

(राशि - १) वितीय वर्ष - 2024-25	87,234,333,450.00	226,734,443,670,00 10,411,934,747.22	113,916,454,543.76	115,942.62	20,058,219.13	9,930.56	295,201,588.00	2,218,945,641.02	1,433,334,475.62 5,661.00	2,862,030,499.54 4,340,483,695.58 5,176,584.00			405 369 567 639 66
भुगतान	<mark>निवेश</mark> केंद्र सरकार प्रतिभूति सावजानिक क्षेत्र के उपक्रम	एसदोडोआएटो. बिलाएफडी निजी क्षेत्र के बॉन्ड यूरलएफ स्टीएफ एसदीजी	<u>वर्ष के दौरान किया गया उपनिवेश</u> बाद का योगदान	<u>ट्यय</u> बैंक शुल्क	<u>प्रतिभूति खरीद पर दिया गया ब्याज</u> केंद्र सरकार की प्रतिभूति पर दिया गया व्याज सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमीं पर दिया गया व्याज	राज्य सरकार पर दिया गया थ्याज सावेजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर दिया गया ब्याज निजी क्षेत्र पर दिया गया ब्याज विशेष कर संग्रह पर दिया गया ब्याज	पेशन मुख्य खाते में राशि स्थानांतरण पीएफ एडमिन खाता हुएमडी	बक आर नकद समापन शुष् एसबीआई मुख्य खाता -। आईडीबीआई मुख्य खाता	खाता ॥ (क्षेत्र) बीजीआई मुंबई केनरा बैंक धनबाद	एसदीआई फंड प्रबंधन बैंक यूटीआई एएमसी बैंक एसदीआई मुख्य खाता - (सुरप्रि)		Will the state of	
(राशि - १) वित वर्ष 2023-24	97,472,250,154.99 46,073,247,500.00	363,248,258,738.00 7,824,566,479.55 610,000,000.00	101,386,633,474.65	5,092,186.83	7,606,557.38	41,849,889.37				2,761,182,728.33 4,187,319,508.35 2,719,255,943.50 1			629,245,812,390,71
(राश - १) विसीय वर्ष - 2024-25	1,043,432,213.00	1,864,603,965.76 5,661.00 7,390.00 2,761,182,728.33	4,187,319,508.35 2,719,255,943.50	8,265,500,000.00 29,234,140,000.00 32,609,600,000.00	9,731,266,934.59 226,682,887,216.15 1,350,000,000.00	11,095,096,119.00 35,003,125,691.69 28,440,065,741.00	11,763,116,975.00	32,703,910,43	28,795,809.36	108,200,000.00		84,624,143,841.20	406,368,567,038.05 629,245,812,390,71
पावती	<u>बैंक और नक्त प्रारंभिक जमा</u> एसवीआई मुख्य खाता - । आईडीबीआई मुख्य खाता	खाता ॥ (क्षेत्र) बीओआई धुंबई केनरा बैंक धनबाद एसबीआई फंड एमजीटी बैंक	भूग्याङ् एष्टनता घक एसबीआई मुख्य खाता - I (सुरभि)	<u>जियेश मोचन</u> केद्र सरकार प्रतिभूति राज्य सरकार प्रतिभूति सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	तारमारमारम् निजी क्षेत्र बांड यू.एल.एफ.	इंटाएफ स्वाज आय और विविध्य प्राप्तियां केंद्र सरकार की प्रतिभूति पर ब्याज सायजातिक क्षेत्र के उपक्रम पर ब्याज	एफडी/एसटीडीआर पर ब्याज एसडीएस पर ब्याज जिली क्षेत्र के उपक्रम पर ब्याज एसटीडी पर ब्याज	परिपक्तता यूरलएफ पर ब्याज विविध प्राप्तिया (निवेश) हेरीमान	क्टारफ बयाना राशि जमा स्थिति धाता संख्या । पर स्थाज मिर्माण प्रमित्ता	भारक राज्य निवास सरकारी एवं अन्य अंश्वरात पेशन प्रशस्य खाता (सरकारी अंशरान) पेशन प्रशासन (सरकारी अंशरान)	डीएलआई मुख्य खाता पेशन मुख्य से प्राप्त शाहि अनुवर्ती अंशदान	अश्वाम	
2023-24	851,357,07	3,613,821,538.00 5,661.00 7,390.00 279,686,518,78		8,284,800,000,00 42,375,280,000,00 7,703,600,000	12,577,468,756.23 362,796,476,575,79 2,949,000,000.00	12,079,099,759,00 31,667,248,818,30 25,076,940,869,03	3,661,031,329,70 1,677,053,633,00		132,975,196.00	106,400,000.00	80,601,588.00 712,868,002.24	99,268,611,075.23	629,245,812,390.71

ह/0 (सजीश कुमार एन) (आयुक्त)

(जिस्ताम कुमाद जिल्हा) संगीय आप्रयन

ह/0 (संदर्गण कुमार) सहायक आयुक्त

बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

कॉर्पस / पूजी निधि (अनुसुची - 1)

(क) प्रारंक्षिक अशदान	(राशि - १) ३१.०३.२०२५ के अनुसार	(राभि - र) 31.03.2024 के अनुसा
प्रारंभिक जमा योग : वर्ष क्रीरान प्राप्त राशि	2,153,689.00	2,153,689.00
बटाव: वथ क दाराज वापसा जमा शेष (ए)	2,153,689.00	2,153,689.00
(ख) 01.01.1949 से ब्याज सहित योगदान		
प्रारंभिक जमा योगः वर्षे के दौरान प्राप्त राशि सम्बन्धः भी के सम्बन्धः में में	1,062,072,935,346.21 175,692,865,921,20	978,112,945,769.84 184,633,755,048.78
वदाय, सान्ययर के आकृश से निष्णंन के तिर आवश्यक समायोजन घटाव: वर्षे के दौरान किया गया निपटान जमा शेष (बी)	76,268,392,526,65 113,916,454,543,76 1,047,580,954,197.00	100,673,765,472,41
	(राधि - १) 31.03.2025 तक	(राशि - है) 31.03.2024 तक
(ग) उचंत खाता		
प्रारं भिक जमा योग : वर्ष के दौरान प्राप्त राशि योग : प्रटम्य बीमा जन्म याना	121,309,149,891.81 84,624,143,841.20	121,938,686,231.36 98,114,542,095.23
घटावः वर्षे के दौरान समायोजन जन्मा शेष (ई)	84,624,143,841.20 121,309,149,891.81	98,744,078,434,78
(ष) स्वैष्टिक अंथदान		
प्ररंभिक शेष योग : वर्ष के दौरान प्राप्त राशि घटाव: वर्ष के दौरान समायोजन जमा शेष (जी)	14,888,420,020,85 1,031,237,888.85 13,857,182,132.00	14,888,420,020.85 1,154,068,980.00 1,154,068,980.00 14,888,420,020.85

1,198,272,658,947.87

1,182,749,439,909.81

कुल (एमबीन सीन बीन हुन एकन जी)

आरक्षित एवं अधिशेष खाता (अनुसूची - 2)

(क) आरक्षित एवं अधिशेष खाता	(राशि - ₹) 31.03.2025 तक	(राशि - ₹) 31.03.2024 तक
(1') उचत ब्याज <i>आदि शेष</i> योग: पूर्व अवधि समायोजन	14,764,738,938.47	15,206,677,220.45 (952,580,336.00)
योगः सी-केयर्स के साथ आंकड़ों को अद्यतन करने के लिए ब्याज और वीसी शीर्ष के साथ योगदान से स्थानांतरित योगः ब्यय पर आय का आधिक्य	77,299,630,415.50	510 642 054 02
जमा शेष	-	14,764,738,938,47

14,764,738,938.47

88,552,687,057.32

....€

वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची - 3)

	(साश - ₹) 31.03.2025 क	(राशि - ₹) 31.03.2024 के	
	अनुसार	अनुसार	
) डीएलआई मुख्य खाते में देय राशि	11,734,876.56	11,734,876.56	
ख) डीएलआई प्रशासन खाते में देय राशि	18,739,121.00	18,739,121.00	
) पेशन प्रशासन को देय राशि	1,323,609,000.00	1,323,609,000.00	
) पीएफ प्रशासन को देय राशि	10,200,362,202.04	9,479,998,275.66	
) अवगीकृत अंशदान	39,007,869,732.86	39,007,869,732.86	
) पेशन मुख्य खाते में देय राशि		187,001,588.00	
<i>₹</i> 00	50,562,314,932.46	50,028,952,594.08	

निवेश (अन्सूची - 4)

	137,244,303,874.19 4,342.21 455,808,935,054.43 7,226.41 368,597,251,781.41 31,147,515,807.14 16,272,981,189.02 165,225,032,556.00 165,225,032,556.00 164,87 48,073,886,357.65	,806.83 1,224,584,822,120.48	
VIIVE III III III III III III III III II	129,027,696,977.19 512,667,194,342.21 381,300,347,226.41 21,316,327,262.65 14,842,114,389.02 165,225,032,556.00 2,413,851,948.48 58,485,821,104.87	1,285,278,385,806.83	
	(क) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ (अनुलग्नक-अ) (ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ (अनुलग्नक-ब) (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के बांड (अनुलग्नक-स) (घ) निजी क्षेत्र के बांड (अनुलग्नक-द) (ङ) एसटीजी (अनुलग्नक-इ) (च) विशेष जमा योजना (अनुलग्नक-च) (छ) यूएलएफ (अनुलग्नक-छ)	क्राय	

वर्तमान परिसंपतियाँ, ऋण एवं अग्रिम (अन्सची - 5)

विविध देनदार	(राशि - ₹) 31.03.2025 क अनुसार	(रागि - है) 31.03.2024 क अनुसार
(क) पेशन खाते से प्राप्त राशि		
कुल(क)		
जकद और बैंक शेष		
(क) एसबीआई मुख्य खाता -।	2,218,945,641.02	1,043,432,213.00
(क1 एसबीआई मुख्य खाता - । (सुरमि)	5,176,584.00	2,719,255,943.50
'ख') बैंक खाता॥ क्षेत्र में शेष (अनुलग्नक - ॥)	1,433,334,475.62	1,864,603,965.76
(ग) बैंक ऑफ इंडिया (मुंबई)	5,661.00	5,661.00
(घ) केनरा बैंक (धनबाद) खाता संख्या - 0251201002067	7,390.00	7,390.00
(ड) आईडीबीआई बैंक खाता संख्या। (मुख्यालय) खाता संख्या - 01210300000	200,000.00	500,000.00
(च) बेंक यूटीआई	4,340,483,695.58	4,187,319,508.35
(छ) बैंक एसबीआई एमएफ	2,862,030,499.54	2,761,182,728.33
\$ \text{\alpha}(\text{\alpha})	10,860,483,946.76	12,576,307,409.94
अजित लेकिन ब्याज देय नहीं		
	2,231,943,831.00	2,520,006,399.00
(क) राज्य सरकार का प्रातम्। (अनुलग्नक-क)	8,611,262,788.00	7,955,654,068.00
	11,110,813,843.00	11,161,933,388.00
	547,209,018.00	954,613,870.00
(ड) विशेष जमा योजना (अनुलग्नक-एन)	2,892,569,748.00	2,924,709,413.00
च) एसटीजी (अनुलग्नक-ओ)	331,772,918.00	372,671,160.00
(四) 我(用)		15,632,652.00
\$rd(31)	25,725,572,146.00	25,905,220,950.00
कुल(कु+खु+ग्र)	36,586,056,092.76	38,481,528,359.94
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	बैंक खाता संख	ज्या॥ (क्षेत्रीय) में शेष राशि	
क्रमाक	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
1	आसनसोल (आसनसोल क्षेत्र-॥)	272,462.70	1,386,241.4
2	बराकर (आसनसोल क्षेत्र-॥।)	108,339,892.90	3,224,849.8
3	बिलासपुर	2,495,407.54	123,609.5
4	छिंदवाड़ा	4,315,210.10	19,734,457.1
5	देवघर	51,926.18	99,410,503.1
6	धनबाद (धनबाद क्षेत्र-।)	2,371,128.88	553,182.8
7	हैदराबाद	5,117,413.13	186,149,888.0
8	जबलपुर	843,460,617.94	90,194,652.4
9	झरिया (धनबाद क्षेत्र-III)	(37,852,608.00)	
10	कतरास (धनबाद क्षेत्र- ॥)	38,557,624.00	(37,852,608.0
11	कोलकाता	53,522.85	127,698.0
12	कोठागुडम	797,541.50	25,842.2
13	मागैरिटा	43,709.91	250,128,879.6
14	नागप्र	1,061,363.00	39,535,428.1
15	नई दिल्ली	10,739.98	1,222,779.0
16	रामगढ़ (रांची क्षेत्र-दवितीय)	19,573.90	13,431.9
17	राची (रांची क्षेत्र-।)	32,226,036.50	517,083,839.0
18	रानीगज (आसनसोल क्षेत्र-।)		92,901.5
19	संबलप्र	3,721,422.11	7,084,567.2
20	सिंगरौली	7,206,814.50	29,494,283.5
21	तालचेर	418,378,310.00	478,455,466.0
		2,686,366.00	178,414,073.0
	कुल	1,433,334,475.62	1,864,603,965.7

कोयला खान भविष्य निधि मुख्य खाता 31-03-2024 को तुलन-पन का अंश निर्मित करने वाली अनुस्चियाँ अनुस्ची 8-महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. सामान्य

- खाते ऐतिहासिक लागत के आधार पर और चल रहे चिंता के विषय के लेखांकन सिद्धांतों पर तैयार किए जाते हैं।
- 米 लेखांकन नीतियां जो विशेष रूप से अन्यथा संदक्षित नहीं हैं , सुसंगत हैं और आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों
- खातों को क्षेत्रीय कार्यालयों / मुख्यालय कार्यालय के अनुभागों , अभिरक्षक, निधि प्रबंधकों, बँकरों आदि के संबंधित प्रमुखों द्वारा विधिवत हस्ताक्षारित/प्रमाणित रिपोटौं पर तैयार/संकलित किया जाता है।

2. आय

) निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ट्यय

3

- प्रावधान के माध्यम से सदस्यों के खाते पर ब्याज का हिसाब दिया जाता है।
- पेंशन और पीएफ प्रशासन निधि पर ब्याज को प्रोद्भवन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। E
- पीएफ प्रशासनिक खाते द्वारा प्रतिपूर्ति किए गए बैंक शुल्क/कमीशन से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति पीएफ प्रशासनिक 流 स की आती खाने Œ

निवेश

निवेश लागत पर कहा जाता है , जिसमें प्रबंधन शुल्क को छोड़कर ब्रोकरेज शामिल है , लेकिन अप्राप्त आय यदि कोई विधि में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। म्ल्यांकन की

5. अशदान

- विभिन्न सदस्यों से प्राप्त अंशदान को शुरू में उचंत खाते में अंतरित कर दिया जाता है जब तक कि इसे संबंधित सदस्य खाता बड़ी खाते में प्रविष्ट नहीं किया जाता है।
- ii) वर्गीकरण पूरा होने के बाद कोचला कंपनी से प्राप्तियों को मान्यता दी जाती है।

- बैंक शुल्क और प्रबंधन शुल्क की प्रतिपूर्ति पीएफ प्रशासनिक खाते से की जाती हैं।
- पिछले वर्ष के आंकड़े जहां भी आवश्यक हो, पुनर्गिठत और पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।
- ब्याज आरक्षित निधि, पेशन निधि, भविष्य निधि प्रशासनिक निधि पर ब्याज वर्ष के दौरान सदस्यों के खाते पर नागू ब्याज दर के रूप में .6% प्रति वर्ष स्वीकार किया जाता है। यह दर बोर्ड द्वारा प्रस्तावित है और भारत सरकार की स्वीकृति अभी प्रतीक्षित है। तदनुसार, वित वर्ष 2024-25 के लिए सदस्यों को ब्याज के रूप में ₹9,106.87 करोड़ प्रदान किए गए हैं।
- के समय भुगतान किए गए/प्राप्त प्रीमियम / छूट को प्रतिभूतियों के मोचन के समय पी एंड एल खाते में अंतरित कर दिया जाता i
- कोयला कंपनियों द्वारा तदर्थ आधार पर जमा किया गया अंशदान तब तक अवर्गीकृत माना जाता है जब तक कंपनी अंशदान का विवरण नहीं भेजती।
- इस स्तर पर कोयला कंपनी से प्राप्तियों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि पी.एस-5 अधूरा है।
- vii) चालू वर्ष के लिए एसडीएस ब्याज की औसत दर 7.1% है।
- मेसर्स जेएंडके मिनरल्स, जम्मू से 31.03.2025 तक ₹ 68.36 करोड़ (विलंब प्रभार सहित) की राशि वसूल की जानी है। VIII)
- आलोच्य अवधि के दौरान ऋण निवेश के मोचन पर रे 185.67 करोड़ की राशि हानि के रूप में और यूरलएफ (अल्ट्रा लिक्विड फंड) में लेनदेन पर रे 14.74 करोड़ लाभ के रूप में दर्ज की गई है। (X
- खाता संख्या बंद होने के बाद क्षेत्रीय कार्यालय, झिरया से संबंधित खाता संख्या-Ⅱ में, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ₹ 3,78,52,608.00 की अधिक ताशि हस्तांतरित की गई है। इसके परिणामस्वरूप खाता संख्या-11, झरिया में ऋणात्मक शेष दिखाई दे रहा है
 - रिलायंस कैपिटल लिमिटेड में रै121.00 करोड़ और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में रे97.43 करोड़ के निवेश को डिफॉल्ट किया गया है और इसे डिफॉल्ट/तनावग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है और अलग से प्रकट किया गया है। नियमों के तहत समाधान प्रक्रिया चल रही है। अंतिम समाधान के बाद निवेश का लेखा-जोखा रखा जाएगा।
 - वर्ष के दौरान, अशोध्य/तनावग्रस्त निवेशों के विरुद्ध निम्नालिखित प्राप्तियाँ निम्नानुसार हैं: xii)
- क) डीएचएफएल ₹655.99 करोड़ के निवेश के कुल बही मूल्य के विरुद्ध र10.29 करोड़ प्राप्त हुए।
- ख) आईएलएंडएफएस र19.48 करोड़ के निवेश के कुल बही मूल्य के विरुद्ध र2.60 करोड़ प्राप्त हुए।
- ग) आरसीएपी ₹66.55 करोड़ के निवेश के कुल वहीं मूल्य के विरुद्ध अंतिम निपटान के रूप में प्रॉप्त १७१.13 करोड़।

- डीएचएफएल की समाधान प्रक्रिया की घोषणा कर दी गई है और कुल प्राप्ति र597.55 करोड़ है, इस प्रकार शेष र655.99 करोड़, जब तक कि बोर्ड बट्टे खाते में डालने पर सहमति नहीं दे देता, तब तक दबावग्रस्त परिसंपतियों के अंतर्गत दिखाई देंगे। xiii)
- वर्ष के दौरान, 01-01-1949 से ब्याज सहित अंशदान और स्वैच्छिक अंशदान के अंतर्गत देयता को सी-केयर्स से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों परिणामस्वरूप, 01-01-1949 से ब्याज सहित अंशदान और स्वैच्छिक अंशदान से र7626.84 करोड़ और र103.12 करोड़ की राशि डेबिट के अनुसार अद्यतन किया गया है। समायोजन लेनदेन आरक्षित एवं अधिशेष (ब्याज उचंत) के माध्यम से निष्पादित किए गए। करके आरक्षित एवं अधिशेष (ब्याज उचंत) में जमा कर दी गई है। xiv)
- प्रबंधन अनुस्ची-3 और 6 में दशीई गई राशि के विरुद्ध स्रोत दस्तावेज़ों की ट्रैकिंग कर रहा है, जिनमें 5 वर्षों से अधिक समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ है। सत्यापन योग्य दस्तावेज़ों से समर्थित सभी आँकड़ों को अगले वर्ष आरक्षित निधि और अधिशेष से स्थानांतरित/समायोजित किया जाएगा।
- xvi) वर्ष के दौरान किसी भी निवेश का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।
- ग. सीएमपीएफ संगठन के अधिशेष को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(25) के तहत आयकर लगाने से छूट दी गई है।

कोयला खान भविष्य निधि प्रशासन (खाता संख्या VIII)

31-03-2025 तक तुलन पत्र

(राशि ₹ में)

31-03-2024 के अनुसार	20,58,55,914.00 47,25,11,89,724.35 12,85,65,922.38	60,31,36,11,560.73		29,87,84,494.47 48,87,23,08,376,46	60,31,36,11,560.73	
31-03-2025 के अनुसार	20,58,55,914.00 51,74,29,00,817.58 13,65,86,13,890.91	65,60,73,70,622.49		40,00,53,162.67 53,55,24,19,868.68 11,65,48,97,591.14	65,60,73,70,622.49	
अनुसूची	3 2 -	कुल		4 10 00	कि	
कॉर्पस/प्जी निधि और देयताएं	समग्र निधि,प्जी निधि आरक्षी निधि व अधिशेष चाल् देनदारियाँ व प्रावधान		परिसंपतियाँ	स्थिर परिसंपतियाँ निवेश चालू परिसंपतियाँ, ऋण व अग्रिम		

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ आकस्मिक देनदारियां

स्थान: दिनांक: ह/0 (संतोष कुमार) सहायक आयुक्त

ह/0 (निरंजन कुमार मिश्रा) क्षेत्रीय आयुक्त

ह/० (सजीश कुमार एन) (आयुक्त)

कोयला खान भविष्य निधि प्रशासन (खाता संख्या VIII)

31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

	í	h	V	
ĺ	9	į	ÿ	
	j		,	

31-03-2024 के अनुसार	2,66,93,05,935.00	3,20,34,841.00 31,11,69,058.78 1,37,43,29,559.87 97,15,18,283.69	13,57,48,307.00 62,61,36,221.92 13,47,721.91	66,99,50,627.00 86,93,697.64 65,04,481.00 2,06,62,657.96	6,82,74,01,392.57	47,68,65,658.29 32,64,759,90 67,10,747.46	24,98,06,5969,59 56,37,13,883,99 1,33,45,893,00 11,98,54,039,00	7,48,22,846.50 1,53,18,40,507.58 5,31,51,012.00	9,59,96,988.58	3,18,93,73,306,29 .13,36,40,146.00 1,33,64,015.00	3,78,50,32,247,28
<u>अनुस्</u> यी 31-03-2025 के अनुसार	2,22,84,32,446.51	3,17,09,916.00 16,63,50,145.67 1,49,46,94,407.10 1,22,66,48,016.25	11,56,14,478,00 71,66,72,340,77 12,23,270,90	72,04.79,869.00 43,55,252.70 5,36,897.84 (9,27,63,804,69)	6,61,39,53,236.05	49,57,46,246,50 20,13,717.64 60,85,754.98	23,10,07,603,18 77,39,66,290,87 1,52,76,813,00 12,79,47,281,00	52,34,19,498,08 4,78,55,467.00	45,81,498,57	2,22,78,99,170.82 9,60,51,844.00 98,05,184.00	4,49,17,11,003.23
<u>आय</u> विकीसेवाओं से आय	ासकीय प्रभार	निवेश पर ब्याज केद्र सरकार की प्रतिमेतियाँ तिजी क्षेत्र के बंधपत्र राज्य सरकार की प्रतिमृतियाँ राज्य सरकार की प्रतिमृतियाँ एस टी.बी.सर व एक.डी.	एसटीजी एलआईसी में निदेश पर उपचित व्याज विविध प्राप्ति- सरिप्ते खाते (स्वीप) पर ब्याज सिहत बैंक ब्याज निक्र	बावप आप । बावप आप । बाविध प्राप्ति (सुरीमें खाते पर ब्याज महित) सुरीमें खाते पर ब्याज प्रतिमृतियाँ की प्तर्थात्ति पर लाशाहानि	संस्थ	<u>ट्यय</u> स्यापना परिट्यय स्यापना ट्यय जिसमें फुट्टी यात्रा रियायत शामिल है जन्य प्रशासनिक ट्यय निराया, शुल्क व कर	ावावध आंकारमक खच व आवता प्रभार अन्य प्रभार मृत्य हास डीएतआ द्वारा आते से संबंधित निवेश पर ब्याज 17.6% औसत)	प्रतिमृतियों की पुनस्पान्ति पर लाग्नाहानि डी.एच.एफ.एक.दवारा करार का अनुपालन न करने पर ब्याज में नुकसान का प्रावधान डी.बी.आर.एस में जीवन बीमा निगम में अतिरिक्त प्रावधान कर्मचारी सामान्य मेविच्य निधि पर ब्याज का प्रावधान	असमानपातीय स्वय बैंक प्रशार व पोर्टफीलियो प्रबंधक शुल्क पैशन प्रशासन पर नुकसान (सीएमपीएस-1998 के अनुसार)	घटायें, ब्यय का समानुपाती भाग जो आवंदित है: (1) कोयला खान परिवार पेशन प्रशासक खाता (8) कोयला खान जमा संबद्ध प्रशासन खाता	नुलन पत्र के तिए अंतरित निवल अधिषेश

आक्सिक देनदारियां एवं महवपूर्ण लेखांकन नीतियां

ह/0 (संतोष कुमार) (निरंजन कुमार मिशा) सहायक आयुक्त क्षीय आयुक्त संधीय आयुक्त

(makine) out

42

कोयला खान भविष्य निधि प्रशासन (खाता संख्या VIII)

31-03-2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पावती एवं अगतान वाता

2024-25	54,50,566.98		3,82,57,09,060,00	56,85,00,000.00	45,97,03,498.00	13,56,43,86,200.00	A0 ** 00 ** 04	11,550.00	19,15,232.86	VIII.			3,64,58,014.80	89,547.00	58,13,26,246.50	32,65,07,737,27 20,13,717,64 77,38,10,722,08	55,19,421.98	- 6	00'968'89'8	2,41,70,777.00	37 098 74		18,41,78,142,47	79,10,248.65 50,87,182.38	2,23,81,467.68	4,30,80,000,00	23,54,021,26	22,65,40,22,372.83
anautin	<u>शणक परिकंशीत्रची</u> कम्पहितक उपलक्षण कम्पहरानेसंगित श्रुणपण मनीमर् व जिल्लापर	अन्य प्रश्नियोत्ते वाहन निवेश	केट्र, सरकार की प्रतिभूतियाँ राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ सावजनिक क्षेत्र उपक्रम	मिजो क्षेत्र कापग एकामुक्ती-मार्चेणना	स्सरोजा इटीएफ प्रशासन	वीएल ओधनपुण्नएक गुएसएक गुरुस्थ	आवन बन्ना मन्तर कुटीएफ स्वास उपातित सेविन देव नही	हितक्षमी जिपि मिर्फ मार्ग मिर्फ स्टिंग पर स्थान मा मिर्फान	कद सरकार का प्रात्मातमा एडन सरकार की प्रतिभूतियाँ साईक्टोनिक के मुराज्ञम	रसटेजी वेहिच जना	हार्य स्वापन त्योहप्र अपिन विविध्य जम्मा हिस्कारी निधि	और आहे । बाहन / क्ष्युदर अधिम	कन्युद्ध आव्यन जीवान संस्था निरम्भ अस्ति अस्ति अस्ति स्थानस्य स्थित	समान्य मंत्रिय मिर्ग खता - V मुह निर्माण अधिम	स्मापना खर्च जिसमें पुट्टी यात्रा रिवायत शामिल है	मिनिया आकृतिभागः छत्। य आवत्। प्रभार कृत्येत्वा कृत्ये कृति (संक-त)	अन्य अन्य (तानका) अन्य अन्य (तानका वाक्य वीक प्रमार	क्षेपण्डनाई विविध प्राप्ति	और सम्बन्ध हो। नवीम पेशन स्कीम अधियान	वृति कर श्रीकीयम्	विविध्य प्राप्ति हैंस हे मन्द्र अति होंद्र मन्द्र अति । ॥ (विष्णास्प)	Annual Control of Cont	अस्तर - ((हर्म)) सम्बन्धित (हर्म) सिक्टी केंद्र (मब्दु) - सिक्या खाता	SERI - XV	- VI अब्रिक्ट मिरि प्रशासन	सरक्रि ब्याता - V	SIGHT - XII	
Refer av	10,89,195,00 # 22,62,035,43 F	* E 0E	4,51,06,95,430.00 TO 2,41,03,11,760.00 H	_	29,00,00,000.00 = 39,25,47,605.01 \$	29,79,20,76,143.57 F	5-65-19	1,21,798.00	24,21,570,83 7,30,229,51				5,62,746.00	16,18,400.00			-		_	92,23,824,00	76.00	1.198	10,01,61,282,61	_	-	-	2,53,285,58	40,60,26,68,184,71
शिसीय वर्ष 2024-25	37,036.74	10,01,61,282,61	22,30,85,489,20 66,57,977,65 65,45,712,38	1,82,24,525.02 8,03,46,092.61	11,45,50,180.00 1,07,13,101,74 21,44,916.06	2,53,285,58	5,67,66,574.92	70,40,00,000,00	13,64,75,22,189,00	3,19,62,960.00	1,19,77,71,662,11 16,77,00,847,67 13,46,623.84	14,38,63,628,00	12,23,270.90	23,67,532.00		10,20,94,002.98	11,580.00		2,13,38,042.00	9,10,768,00	On was on as we	11,459,00,001,00		Work I Story				22,68,40,22,372.83 40,80,26,88,184,71
and a	हैंक एवं नक् <u>तु आपि क्षेप</u> नक्द साता - III (मृष्ट्याक्षय) केंक खाता - III (क्षेण	अप्रता - VIII (सन्द्रपात्रय) ब्राजा - VIII (सन्द्र) किन्या वैक	भारतीय स्टेट देन (मंददे) - निवेश काता महिष्य निष्टि प्रशासन महिष्य निष्टि प्रशासन (सुरजि)	खाता - XVI सन्ता - XV	Sirici - V.	अस्ता - XIV निर्वेष पनप्राप्ति	कट्ट सरकार प्रातिभातिया निजी क्षेत्र षपपत्र सावधि जामा	राज्य सरकार प्रातम्। सार्वजनिक क्षेत्र क्षण्य जीवन बीमा निगम	यूएतएफ एफटीऔ बाबन सीमा निगम	क्षा स्टब्स प्रतिभृतियों पर स्याज राज्य सरकार प्रतिभृतियों पर स्याज	सावजानेक क्षेत्र उपहल्प पर ब्याज जिली क्षेत्र बंधपत्र पर ब्याज सर्जि	वस्तिकी विविध प्राप्ति	प्रसाम के निवेश पर स्थात	अध्या का वर्षमा मृह मिमाण अधिम त्यीतर अधिम	सम्मान्य मिथि खाता -V स्योगर अधिम	नक्षे पंशन वोजना अंशदाम बाहन असिम	क्षेत्रपुरंत आद्यम हित्तकारी जिल्लि क्ष्मासकीय प्रमार	मकत किराया अधिम बाइ व मुखा अधिम	जीआहेएस जीवन बीमा निगम	वृती कर टीडीएस	जीएसरमजाड़ेई डीएसजाड़े एकन प्रशासन से बसुत्रीयोग्य व्यय	क्रमधारी सामान्य भावन्य भावन						
विसीय वर्ष 2023-24	27,859.74	10,19,42,360,79	3,50,20,319,68 g 27,41,148,65 g 69,91,910,38 g						29,73,54,11,870.05	3,19,62,960,00	32,11,76,710,78	-	13,47,721.91	24,39,097.00			1,17,620.00	STREET, SQUARE, SQUARE,	9,13,534.00		desirate de la constitución de l	8,31,18,028.00		45				40.60.26.68.184.71

हिर्मात क्यार जिल्हा स्थान क्यार

пабля мален (пиж ация) (п/2

৪০০ (মনীয় ফুলাম খেন) (সামুকন)

तुनन पत्र का अंश निर्मित करने वाली अनुस्थियां समग्र निधी / पुंजी निधि (अनुसुधी 1)

राशि ह में 31-03-2024 के अनुसार	20,58,55,914.00	20,58,55,914.00		राशि ह में 31-03-2024 के अनुसार	43,48,64,64,015.07	2,03,06,538.00	3,78,50,32,247.28	47,25,11,89,724.35		राशि ह में 31-03-2024 के अनुसार	46,93,35,025.45	76,19,19,746.00	77,57,09,262.01	9,16,48,35,035.92		12,85,65,65,922.38
राशि ह में 31-03-2025 के अनुसार	20,58,55,914.00	20,58,55,914.00	त्ति 2)	राशि ह में 31-03-2025 के अनुसार	47,25,11,89,724.35		4,49,17,11,093.23	51,74,29,00,817.58	सूची ३)	राशि ह में 31-03-2025 के अनुसार	46,93,35,025.45	79,10,76,350.96	80,47,45,027.52	9,68,82,54,534.00	10,20,94,002.98	13,65,86,13,890.91
	(क) लेखा के पंजी शीर्ष पर देनद्रारियां	No.	आरक्षित एवं अधिशेष खाता (अनुसूची 2)	डवच पर आव की अधिकता	anth the	घटाव: आय पर व्यय का आधकता का काण्याणभणना पशन प्रशासन खाता स अतरण घटाव: पूर्व अवधि समायोजन	आंड :पा व एक पर प्रमासत परान प्रशासन घाटा ओड़:वर्ष के दौरान अधिशेष	अतः शेष	चाल् देनदारियाँ व प्रावधान (अनुसूची 3)		(क) पंशन मुख्य खाते में देय राशि	(ख) कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि (खाता V) को देय राशि	(म) प्रशासन खाते में देय और व्यय	(ङ) सीएमपीएफ के अपने कर्मचारी की परिमाषित लाभ संवानिवृत्ति योजनाओं के लिए प्रावधान ।मा त्याय के जिए पातशान	(छ) एनपीएस ट्रस्ट ब्रेगतान	le en

अचल परिसंपतियाँ (अनुसूची 4)

राशि ह में 31-03-2024 के अनुसार	10,82,29,195.12	18,28,43,228.65	5,78,521.88	1.00	1,99,616.00	30.54.266.12	1.00	1,60,383.70				29,87,84,494,47		राशि ₹ में 31-03-2024 तक	40 52 94 345 30	18,43,76,40,900.63	16,49,17,14,406.00	1,09,61,36,888.74	1,84,93,22,295.14	12,39,18,800.00	1,25,82,97,923.16	20 00 00 00 00 00
राशि ह में 31-03-2025 के अनुसार	10,82,29,195.12	17,86,16,041.65	2,33,853.88	1.00	58.84.694.09	10,71,790,25	1.00	75,617.70	5,01,36,761.00	3,78,20,652.00	1,40,17,498.00	40,00,53,162.67		राशि ₹ में 31-03-2025 तक	39,44,70,345.30	21,81,28,48,872.63	17,74,19,41,635.00	4//8/0/1/101/40/1	79,00,02,295.14	10.00 51 53 122 31	1,71,80,01,419.16	53 55 24 19 868 68
													निवेश (अनुसूची 5)									1
	(क) भूमि (ख) पट्टा भूमि व मकान	(ग) इमारत (ष्र) संयंत्र एवं सशीत्ती			(छ) कन्प्यूटर/संबंधित उपकरण	(अ) फनाचर व स्थावर वस्तु (ब्रा) तहन	(अ) अन्य परिसंपतिया	असर्त संपतियाँ (ईआरएफपी)	डब्ल्युआईपी - असर्त संपतियाँ	डब्ल्युआईपी - संपदा		क क			(क) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ (अनुकरनक - क के अनुसार) (ख) रास्य सरकार की पनिभनियाँ (अनुकरनक	(ग) सावेजनिक क्षेत्र के बंधपत्र (अनुसन्नक - व के अनुसार)	(ष) निजी क्षेत्र के बंधपत्र (अनुलग्नक - घ के अनुसार)	(ड) एसटोडीआर(बैको में सार्वाध जमा (अनुभग्नक - इ. के अनुसार) (च) एसटीजी (अन्वजनक - च के अनुसार)	(छ) यूएलएफ (अनुजन्नक - छ के अनुसार)	एनआईसी में निवेश	(भ) इ ८। एफ (अन्तन्तक - ज क अनुसार)	

वर्तमान परिसंपतियाँ, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 6)

מומת לשלוג	राशि ह में 31-03-2025 के अनुसार	राशि ह में 31-03-2024 के अनुसार	
 (क) उपगत ट्यय तथा पेशन प्रशासन खाते से वसूली योग्य (ख) कर्मचारियों के पेशन सह ग्रेट्युदी (खाता-VI) से वसूली योग्य राशि (ग) को.खा.भ.लि. मुख्य खाते से वसूली योग्य राषि (प) जीएसटी द्वारा जन्त की गई राशि (वापसीयोग्य) (घ) जीएसएआई (घ) जीएसएअआई 	26,98,03,413,55	26,98,03,413.55 9,47,99,98,275.66	
कुल(क)	10,47,01,65,615,59	9,74,98,01,689.21	
नकद एवं बैंक शेष			
(क) नकद अधिशेष			
(क) खाता सं. III (मृख्यालय) (ख) खाता सं. III (क्षेत्रीय) (अनुलग्नक-। के अनुसार)	37,036.74	37,036.74	
बैंक जमा			*
मारताय २८८ वर - खाता VII (मुख्यालय) (बाता सं. 10970307072) वैक खाता III में शेष (अनुबन्नत - अ के अनुसार)	18,41,78,142.47	10,01,61,282.61	
प्रतिभूति सेवाएँ, मृंबई (खाता स. 11139435036)	1,36,75,002.03	22,30,85,499.20	
पाएफ प्रशा. अशदान खाता पीगफ प्रशा अंशदान खाता (सरक्षि)	4.30.80.000.00	11.45.50.180.00	
खाता संख्या - VI पॅशन (जीवन बीमा निगम)	2,23,81,467.68	1,82,24,525.02	
खाता सं XV छट्टी नकदीकरण (जीवन बीमा निगम)	50,87,182.38	65,45,712.38	
(V) र्वैच्य्टी (जीवन बीमा निगम)	79,10,248.65	66,57,977.65	
खाता - V (जीपीएफ)	1,53,51,259.02	1,07,13,101.74	
सारमपाएफ-जाएसएलआई (खाता - XII) सीएमपीएफ - एनपीएस (खाता - XIV)	2,51,615.19	2,53,285.58	
1	ON AN OCHECKE	02 000 00 10 000 00	
কুল(আ)	29,44,26,556.55	96,27,19,609,39	

क्षण और अधिम

1		. 0	9	اما					1 1
राशि ह में 31-03-2024 के अनुसार	9	50,000.00	95,37,985.00	95,87,985.00		57,27,805.00 29,00,88,295.00 44,20,92,035,00	4,07,51,052.00 8,09,726.00	82.04.09.406.00	11.14.25.18 689 80
राशि ₹ में 31-03-2025 के अनुसार			72,60,000.00	72,60,000.00		54,74,761.00 35,25,95,343.00 47,28,83,622.00	3,94,00,350.00	88,30,45,419.00	11,65,48,97,591.14
	(क) त्योहार अधिम (ख) कंप्यटर भगिम	(ग) वाहन आश्रम	(ष) गृह निर्माण अग्निम	कुल(ग)	उपचित स्याज जो देय नहीं है	(क) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ (अन्तरग्वक - ट) (ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ (अन्तरग्वक - ठ) (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के बंधपत्र (अन्तरग्वक - इ) (ध) निजी क्षेत्र के बंधपत्र (अन्तरग्वक - ट्रा	(ष) एसटीजी (अन्तरग्नक-द) (ष) एसटीजी (अन्तरग्नक - त)	आह(घ)	जोड़(कं+ख+ग+घ)

			सकल ब्लॉक	16			मुल्यहास			निवस स्लोक	ब्लोक
स.	मूल्यहास सी दर	31/03/2024 के अनुसार अधिकेष	वर्ष के दौरान बोग	"विक्रय । समायोजन	31/03/2025 के अनुसार अधियोष	31/03/2024 के अजुसार	वर्षे के दौरान	समायोजन	कुल मूल्यक्रस	31/03/2024 के अनुसार अधिशेष	31/03/2025 के अनुसार अधियेष
श्रीम	-	10.82.29.195.12	-	1	10 80 30 405 43						
2 परस्य भाग्ने एवं बचाउन		25 84 750 00			10,06,460,100,16			,	-	10,82,29,195,12	10,82,29,195.12
т	4 5000	00.001,19,20			32,81,730.00	19,35,304.00			19,35,304.00	13,46,426.00	13,46,426,00
7	1,00%	26,75,43,450.00			26,75,43,450,00	8,47,00,221.35	42,27,187.00		8.89.27.408.35	18 28 43 228 65	17 88 16 041 BS
+	6.33%	54,44,995.38			54,44,995.38	48,66,473,51	3,44,668,00		52 11 141 51	5 78 521 88	9 43 853 88
	8.20%	77,17,219.30	The state of the s		77.17,219.30	77,17,218.30	1	4	77 17 218 20	100	00 4
6 कायालय उपकरण	19.00%	1,98,72,986.65	40,39,843.98		2.39.12.830.63	1 96 73 370 65	16 18 829 00	-	24202400000	4 00 949 00	00.000 00 00
कम्प्यटर्ग उपकरण	31.67%	27.20 19.828 58	50 R5 434 ng		20 000 20 02 40	00 00 00 00 00 00	000000000000000000000000000000000000000	-	2, 12, 32, 133,00	00.818,818.00	20,20,630,98
A DESCRIPTION OF THE PROPERTY.	0.5097	7 55 64 606 70	07.000 40.74		21,10,00,602,00	20,30,40,97,3.30	15,53,585,00		27,12,00,568.56	23,72,855.00	58,84,694.09
7	9.00.70	77'00'8'80'00'1	54,05,282,13		8,11,30,198.85	7,28,10,640.60	74,47,768.00		8,00,58,408.60	30,54,266,12	10.71.790.25
7	11.60%	1,57,98,651.01			1,57,98,651,01	1,57,98,650.01			1.57.98.650.01	1.00	100
इ.स.स्यान्सायद्वयर			5,01,36,761.00		5,01,36,761.00						5.04 36 781 00
डब्ल्य आड्रेया ड्रह्मया			3,78,20,652.00		3,78,20,652.00						3 78 30 683 00
डब्ल्युआहुपा - अवन			1,40,17,498.00		1,40,17,498,00		-	-			3,78,20,032,00
10 अन्य परिसपतियां	6.33%	13,39,109.20			13,39,109,20	11.78.725.49	84 786 00		12 63 401 40	1 80 383 70	D. 490.11,490.00
44	1	77,69,12,071.94	11,65,45,481.20		89,34,57,553,14	47.81.27.577.47	1.52.76.813.00	1.	49 24 04 390 47	20 07 84 404 43	01.110,61
िफिल वर्ष का कल यांग		77.07.41,552.51	61.70.519.43		77.69 12 071 94	48 AT 58 373 AT	+	22 444 00	10.000.000.000.000	14.404.40.10.00	40,00,33,102.01

आय और व्यय खाते का हिस्सा बनने वानी अनुसूचियां अवकाश यात्रा रियायत सहित स्थापना व्यय (अनुसूची 12)

साथ हमें

राशि ह में 31-03-2025 के अनुसार

31,08,893.00 2,89,552.00 22,81,89,349.50 1,85,68,895.00 24,32,33,964.00

भते व मानदेय (अन्लग्नक के अन्सार)

बोनस

अधिकारी का वेतन स्थापना का वेतन

छुट्टी यात्रा रियायत (अधिकारी) छुट्टी यात्रा रियायत (स्थापना)

19,51,69,952.29 46,51,595.00 2,81,072.00 22,89,114.00 3,25,85,948.00 24,18,87,977.00 31-03-2024 के अन्सार

47,68,65,658.29

49,57,46,246.50

23,55,593.00

90

कार्यालय वाहुन (अनसूची 13.1)

14,13,495.00 6,00,222.64 20,13,717.64

32,64,759.90

15,95,555.03

17,09,550.00 43,00,178.46 7,01,019.00

8,18,333.00 79,557.00 51,87,864.98

67,10,747.46

900

पेट्रोल, ऑड्न व ल्यूबरिकैन्टस् मरम्मत व अन्रक्षण

किराया, शल्क व कर अनुसूची 13.2)

क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए मकान किराया जल शुल्क, बीमा प्रीमियम, नगरपालिका सेवा और अन्य कर 60,85,754.98

900

Silv

विविध आकस्मिकताएं और आवती प्रभार (अनुसूची 13.3)

	राशि ₹ में 31-03-2025 के अन्सार	राशि ह में 31-03-2024 के अनुसार
लेखा परीक्षा शत्क	4,31,254.00	75,000.00
वहुन शब्क	00.009	46,854.34
वाह्न शब्क	90,385.00	3,95,380.00
निर्देश	5,24,583.00	8,06,196.00
वाहन किराये पर लेना	39,20,367.00	27,49,024.00
स्कल बस किराये पर लेना	3,39,012.00	
कार्यालय भवन और कर्मचारी आवासों का रखरखाव		3,27,63,958.95
सदस्य खाते का यंत्रीकरण	3,06,30,736,27	7,26,24,250.32
चिकित्सा सहायता (असे सहित)	11,76,89,954.69	8,25,97,684.58
बैठक ह्यय	29.45.069.00	55,00,657.80
विविध आकस्मिक त्यय	64,54,516.36	53,32,528.50
जुनमंदर के जिए तेज	21,09,853.62	21,66,122.34
TOTAL STATE	•	20.024.00

24,98,0				66'696'9
	8	603.18	07,603.18	24,98,06
	00	603.18	07,603.18	
	00	603.18	07,603.18	

4,09,85,489.16

19,79,401.00 5,84,04,050.24 1,33,750.00 52,47,321.00 1,06,750.00

31,67,714.00 2,75,164.00

1,24,722.00

20,024.00

समृह ग और घ के कर्मचारियों को वर्दी की आपूति कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी सूविधाएँ प्रशिक्षण

मृद्रण और प्रचार स्रक्षा गाडे व्यय

अन्य व्यय

अन्य शल्क (अनुसूची 13.4)

31-03-2025 के अनुसार 明司司

31-03-2024 अन्सार साशि हमें

2,40,83,598.00 1,83,084.00 2,86,709.70 28,66,990.58 5,42,79,228.20 32,44,73,187.20 79,88,465.36 29,103.00 19,66,957.90 10,64,55,315.84 1,90,75,360.84 26,964.00 43,176.00 16,13,201.66 12,54,063.99 60,140.00 24,13,875.00 3,26,310.00 2,97,44,729.66 1,19,766.72 2,62,372.94 1,41,09,057.30 30,63,404.11 3,69,81,675.96 43,38,79,577.00 3,40,37,005.00 93,55,765.72 35,398.00 1,76,11,878.00 12,07,024.38 29,570.00 27,37,616.66 12,620.00 14,22,15,704.52 1,95,49,511.38 2,67,80,440.40 11,78,754.40 7,13,094.00 ग्रीकस्मिक प्रतिष्ठान (जलकर्मी, माली और सफाईकर्मी) कार्यालय उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव पूराने रजिस्टरों की जिल्दसाज़ी शुल्क एलआईसी को जीएसएलआई प्रीमियम पासबुक सैहित फॉर्म और स्टेशनरी फ़ट्टी वेतन और पेशन अंशदान भवन की मरम्मत और रखरखाव पूराने फ़र्नीचर की मरम्मत गेस्ट हाउस का रखरखाव फुट्टी नकदीकरण डाक/मनीऑर्डर/कमीशन पुस्तक और पत्रिकाएँ टेलीफोन शुल्क पोशाक ध्रुलाई प्रभार पेशन और एफ़पी बिजली शुल्क परामर्श शुल्क मान्नी खर्च लिवे भाड़ा गेच्यरी

(सजीश कुमार एन)

56,37,13,883.99

3,40,324.72

77,39,65,290.87

किक

(आयुक्त)

क्षेत्रीय आयुक्त (निरंजन कुमार मिश्रा)

सहायक आयुक्त (संतोष कुमार)

भते और मानदेव

	साकी तमें	साशि हमें
	31-03-2025 के अनुसार	31-03-2024 के अन्सार
संतान शिक्षा भता	78,52,935.00	54,32,042.00
महंगाई भता (स्थायी एवं अनुमानित)	14,43,12,487.00	12,38,78,511.36
दिव्यांगता भता		1
मानदेय	12,76,345.00	12,49,149.00
मकान किराया अता (स्थायी एवं अनुमानित)	3,10,95,689.00	2,71,46,780.00
रोकड़ भता		33,400.00
समयोपिर भता	94,700.00	20,562.00
विशेष प्रतिपूरक भता (स्थायी एवं अनुमानित)	29,25,340.00	7,52,303.08
यात्रा पर यात्रा भता स्थापना	99,90,549.00	1,10,30,247.00
स्थानांतरण पर यात्रा भता स्थापना	36,42,532.00	13,89,359.00
यात्रा पर यात्रा भता आधिकारी	81,58,822.50	49,33,407.00
स्थानांतरण पर यात्रा भता अधिकारी हेत्	22,10,857.00	9,79,658.00
न्यासियों को यात्रा भता	5,19,836.00	3,18,283.00
परिवहन भता (स्थायी एवं अनुमानित)	1,57,16,105.00	1,71,44,759.44
असंवित्तरित वेतन भता		8,22,668.41
ध्लाई भता (समूह घ)	3,93,152.00	38,823.00

19,51,69,952.29

22,81,89,349.50

अनबंध-।

खाता संख्या ॥ (क्षेत्रीय) में शेष नकद

क्रमांक	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	31.03.2025 के अन्सार	31.03.2024 के अनुसार
1	आसनसोल	- 3	o not make the original
2	बराकर		
3	बिलासप्र		
4	छिंदवाड़ाँ	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	
5	देवघर	21,000.00	21,000.00
6 .	धनबाद		21,000.00
7	ईडीपी हैदराबाद		
8	मुख्यालय	-15	
9	हैंदराबाद		40/4
10	जबलपुर	1.74	1.74
11	जम्म	1.77	1.79
12	झरिया	- 1	
13	कारगली		
14	कतरास	-10	
15	कोलकाता	-	AND THE RESERVE AND THE RESERV
16	कोठागडम	- 1	Indiana in the second
17	कोठागुडम मार्गेरिटा		
18	मुग्मा		
19	नागपर	252.00	252.00
20	नई दिल्ली	202.00	202.00
21	रामगढ		
22	रांची	15,783.00	15,783.00
23	रानीगंज	10,100.00	10,700.00
24	संबलपर	- 1	
25	सिंगराँली	-	
26	तालचेर		
	कृत	37,036.74	37,036.74

अन्लग्नक - ञ

खाता संख्या III (क्षेत्रीय) में शेष नक्द

क्रमांक	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
1	आसनसोल	58,86,917.43	42,30,783.30
2	बराकर	57,56,453.01	62,53,416.15
3	बिलासपुर	1,05,31,828.41	34,91,737.59
4	छिंदवाड़ाँ	38,93,293.47	66,17,039.92
5	देवघर	15,47,615.00	14,74,900.00
6	धनबाद	1,83,07,212.18	54,731.38
7	ईडीपी हैदराबाद	13,97,238.13	20,66,860.33
8	हैदराबाद	72,51,585.84	49,73,567.83
9	मख्यालय	1,48,67,173.97	97,45,851.05
10	जें बलपर	84,86,167.77	83,58,899.31
11	जम्म ै	- 1	-
12	झरियां	(5,11,216.43)	(5,11,216.43
13	कारगली	-	
14	कतरास	2,46,59,326.02	74,60,842.69
15	कोलकाता	13,76,003.63	16,43,998.47
16	कोठागडम	23,07,538.74	27,97,430.74
17	मागॅरिँटा	10,75,011.25	11,84,701.25
18	मग्मा	1,782.73	1,782.73
19	नागप्र	43,85,485.01	56,62,507.01
20	नई दिल्ली	31,79,993.07	28,51,961.15
21	रामगढ	1,54,15,058.91	52,38,866.10
22	रांची	1,97,68,448.00	45,41,348.00
23	रानीगंज	2,12,24,874.91	43,60,506.62
24	संबलपुर	32,58,041.50	41,65,346.50
25	सिंगरौँली	40,20,524.00	43,35,740.00
26	तालचेर	60,91,785.92	91,59,680.92
	कृत	18,41,78,142.47	10,01,61,282.61

कोयला खान भविष्य निधि प्रशासन (खाता संख्या VIII) 31-03-2025 को तुलन-पत्र का अंश निर्मित करने वाली अनुसूचियाँ अनुसूची 7 एवं 8 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ - खातों के लिए नोट एवं आकस्मिक देयताएं

क. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :

. सामान्य

- खाते ऐतिहासिक लागत के आधार पर और चल रहे चिंता के विषय के लेखांकन सिंद्धांतों पर तैयार किए जाते हैं।
- लेखांकन नीतियां जो विशेष रूप से अन्यथा संदर्भित नहीं हैं, सुसंगत हैं और आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिंद्धांतों के अनुरूप हैं।
- iii) आकरिमकताओं को जहां भी लाग हो, व्यक्त किया जाता हैं।
- म्ख्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों/अनुभागों के संबंधित प्रमुखों, अभिरक्षक, निधि प्रबंधकों, बैंकरों आदि दवारा हस्ताक्षरित/प्रमाणित रिपोटौं पर खाते तैयार/संकलित किए जाते हैं।

2. आय

- अन्य अंतर निधि खाता के साथ अग्रिम पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लेखा-जोखा में लिया जाता हैं।
- पीएफ प्रशासन प्रभार के अधीन अंशदान को नक्द आधार पर लेखा-जोखा में लिया जाता हैं।
- iii) निवेश पर ब्याज को उपचय के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

3. व्यय

- पीएफ प्रशासन के ट्यय की गणना नकद आधार पर की जाती है।
- डीएलआई प्रशासन और पेंशन प्रशासन से संबंधित सभी व्यय मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनसार पीएफ प्रशासन खाते से किए जा रहे हैं और इन खातों में अंतरित कर दिए गए हैं। (iii

अचल परिसंपतियाँ

अचल परिसंपतियां ऐतिहासिक लागत पर व्यक्त की जाती हैं।

5. निवेश

i) निवेश लागत में व्यक्त किया जाता है जिसमें प्रबंधन शुल्क को छोडकर ब्रोकरेज शामिल किया जाता हैं।

6. मृल्यहास

1) अचल परिसंपतियों पर मूल्यहास सीधी रेखा विधि पर लगाया जाता है।

ख. खातों के लिए नोट

- पीएफ मुख्य खाते पर लगने वाले बैंक प्रभार और कमीशन की प्रतिपूर्ति पीएफ प्रशासनिक खाते से की जाती हैं।
- पिछले वर्ष के आंकड़े जहां भी आवश्यक हो, पुनर्गिठित और पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।
- खरीद के समय भुगतान किए गए/प्राप्त प्रीमियम / छूट को प्रतिभूतियों के मोचन के समय पी एंड एन खाते में अंतरित कर
- पेंशन प्रशासनिक खाते से संबंधित बजटीय व्यय पीएफ प्रशासनिक खाते से अंतरित किया जाता हैं। iv.
- डीएलआई प्रशासनिक खाते और पेशन प्रशासनिक खाते के लिए आनुपातिक व्यय पीएफ प्रशासनिक खाते से अंतरित किया, 7
- vi) डीएलआई प्रशासनिक निधि पर ब्याज @7.6% प्रति वर्ष लगाया जाता है।
- vii) सीएमपीएफ मुख्य खाते पर ब्याज @7.6% प्रति वर्ष लगाया जाता है।
- खाता-V (जीपीएफ) का रखरखाव प्रत्ययी हैसियत में सीएमपीएफ प्रशासन खाते द्वारा किया जाता हैं परंतु इसके तहत लेनदेन आरओ-7 के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है तथा आदि शेष व अंतःशेष को पृथक दिखने के बजाय प्राप्ति एवं भुगतान खातों में दिखने वाले लेनदेन के साथ जोड़ दिया जाता हैं। VIII)
- कार्यालय के कम्प्यूररीकरण के लिए सदस्यों के खाते का मशीनीकरण का का सृजन किया गया और कंप्युटर और अन्य उपकरण की खरीदी से संबंधित ऐसे सभी व्यय इस शीर्ष के अधीन डाले गए। ix)
- सीएमपीएफओ के कर्मचारियों द्वारा 02 (दो) निधियाँ बनाई गई हैं, अर्थात् परोपकारी निधि और मनोरंजन क्लब निधि। ये निधियाँ क्रमशः सीएमपीएफओ के कर्मचारियों के अंतिम संस्कार समारोह और मनोरंजन कार्यों के लिए बनाई गई हैं और इन दोनों शीषों के अंतर्गत व्यय विनिमेय हैं। X
- सीएमपीएफओं के कर्मचारियों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना अनुभाग के माध्यम से अग्रिम संवितरित और वसूल किए गए हैं। हालाँकि, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के रोकड़ अनुभाग द्वारा आरओ-7 तैयार करने के दौरान, एक अग्रिम की वसूली अन्य अग्रिमों के शीर्ष के अंतर्गत दिखाई दे सकती है और इससे आकड़ों में अंतर हो सकता है। xi.
 - xii) नई पेशन योजना के शेष का मिलान अभी जारी है।

- 31.10.2008 के अनुसार मुख्यालय के बैंक खाता-III (भारतीय स्टेट बैंक) में शेष राशि के समापन शेष में रा1.57 लाख का xiii)
- 31.10.2008 के अनुसार मुख्यालय के बैंक खाता-V और बैंक खाता-VI (भारतीय स्टेट बैंक) में शेष राशि के समापन शेष में क्रमशः ३४८.७६ लाख और १२.७४ लाख का अंतर है। xiv)
- आकस्मिक देयताएँ: ईडीपी अनुभाग, सीएमपीएफ मुख्यालय, धनबाद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एसएपी से संबंधित भुगतान जारी कर दिया गया है और आज तक केवल ₹10 लाख रोके गए हैं। इसके अतिरिक्त, मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तिमिटेड (आरसीआईएल) के लंबित बिल से संबंधित ₹1,41,34,874/- का भुगतान लंबित है। XV)
 - वर्ष के दौरान, खराब/दबावग्रस्त निवेशों के विरुद्ध निम्नलिखित वसूली निम्नान्सार है: XVi)
- डीएचएफएल ₹ 3.65 करोड़ के निवेश के कुल बही मूल्य के विरुद्ध ₹ 0.06 करोड़ प्राप्त हुए।
- ऋण के मोचन के तहत र 10.03 की हानि हुई है एवं यूएलएफ के माध्यम से किए गए लेनदेन पर र 0.76 का लाभ दर्ज किया आरकैप - ₹ 3.30 करोड़ के निवेश के कुल बही मूल्य के विरुद्ध अंतिम निपटान के रूप में ₹ 3.53 करोड़ प्राप्त हुए। xvii)
 - कंपनी अधिनियम 2013 (एसएलएम) में विनिर्दिष्ट दर पर अचल संपतियों पर मूल्यहास लगाया गया है। xviii)
 - डीएचएफएल की समाधान प्रक्रिया की घोषणा की गई है और कुल वसूली योग्य राशि ₹3,65,05,457.74 है। xix)
- कोयला खान पेशन योजना 1998 के पैरा 18 (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार पेशन प्रशासन के व्यय की पूर्ती करने के लिए र21,54,28,609.51 की राशि पेंशन प्रशासन खाते में अंतरित कर दी गई है। XX)
- प्रबंधन अनुसूची-3 और 6 में दिखाई देने वाली राशि के विरुद्ध सीत दस्तावेजों को ट्रैक करने की प्रक्रिया में है, जिसमें 5 वर्षों से अधिक समय से लेनदेन निष्पादित नहीं किए गए हैं। सत्यापन योग्य दस्तावेजों से समर्थित सभी आंकड़े अगले आरक्षित एवं अधिशेष से स्थानांतरित/समायोजित किए जाएँगे। xxi)
 - यह भी घोषित किया जाता है कि को.खा.भ.नि.सं. ने अपने कर्मचारियों को सभी सेवानिवृति लाभों के निवेश और भुगंतान के लिए एलआईसी केशसाथ एक विशेष व्यवस्था की है। अतः अनुसूची-6 के अंतर्गत कर्मचारी पंशन सह ग्रेच्युटी AC-VI से प्राप्त होने वाली ₹26.98 करोड़ की राशि अब प्रासंगिक नहीं है और इसे अगले वर्ष समायोजित किया जाएगा। (iixx

- प्राप्त हुई। आज की तिथि तक र10.21 करोड़ की राशि समाधान की प्रक्रिया में है और अंतिम परिणाम का हिसाब अगले वर्ष विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों को सरकारी दिशानिदेशों के अनुसार एनपीएस से ओपीएस चुनने पर एनपीएस ट्रस्ट से निकासी राशि के दौरान लगाया जाएगा। xxiii)
- प्रबंधन ने सभी प्रजीगत व्यय संबंधी व्यय (प्रत्यक्ष खरीद मदों के अलावा) को सीडब्ल्य्आईपी के रूप में दर्ज करने की नीति तैयार की है। xxiv)
- के बड़े काम को भी पूंजीकृत करने का निर्णय लिया और उसे डब्ल्यूआईपी-बिल्डिंग के माध्यम से भेजा। वर्ष के दौरान, सीपीडब्ल्युडी के माध्यम से आसनसील क्षेत्रीय कार्यालय की बड़े पैमाने पर मरम्मत के लिए पहला चालू बिल डब्ल्यूआईपी-प्रबंधन ने सी-केयर्स परियोजना के कार्यान्वयन में दर्ज त्यय को प्ंजीकृत करने का निर्णय लिया और तदनुसार, ईआरपी-सॉफ्टवेयर के उद्देश्य के लिए अचल संपत्ति खाते की एक नई श्रेणी बनाई गई है। इसके अलावा, प्रबंधन ने भवन की मरम्मत बिल्डिंग के अंतर्गत दर्ज किया गया। XXV)
- वर्ष के दौरान किसी भी अचल संपति/निवेश का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है। xxvi)
- प्रबंधन अनुसूची-3 में प्रदर्शित राशि के विरुद्ध स्रोत दस्तावेजों को ट्रैक करने की प्रक्रिया में है, जिसमें 5 वर्षों से अधिक समय लेनदेन नहीं किया गया है। सत्यापन योग्य दस्तावेजों से समर्थित नहीं होने वाले सभी आंकड़े अगले वर्ष आरक्षित और अधिशेष से स्थानांतरित/समायोजित किए जाएँगे। 中部 xxvii)

सीएमपीएफ संगठन के अधिशेष को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (25) के तहत आयकर लगाने से छूट दी गई je.

कोयला खान पेंशन निधि मूख्य खाता

31-03-2025 तक तुलन पत्र

कॉर्पस/प्जी निधि और देयताएं	अनुसूची	(राशि-₹) 31-03-2025 के अनुसार	(राशि-₹) 31-03-2024 के अनुसार
कॉर्पस/प्जी निधि प्जी और अधिशेष वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	- 0 m	(17,93,82,11,278.20) 2,62,89,48,48,684.94	(16,14,02,86,570.83) 2,45,12,92,21,833.30
कुल		2,44,95,66,37,406.74	2,28,98,89,35,262.47
<u>परिसंपतियाँ</u> निवेश वर्तमान संपतियाँ, ऋण और अग्रिम	4 10	2,31,80,20,89,659.40	2,23,34,45,70,806.28
g		2,40,81,80,23,067.74	2,28,98,89,35,262.47
आकस्मिक देयताएँ महत्वपूर्ण लेखांकन गीतियाँ	9	4,13,86,14,339.00	0.00
*			+

स्थान:

ह/0 (संतोष कुमार) सहायक आयुक्त

ह/0 (निरंजन कुमार मिश्रा) क्षेत्रीय आयुक्त

ह/0 (सजीश कुमार एन) (आयुक्त)

कोयला खान पेंशन निधि मुख्य खाता

31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

आय	अनुस्पी	(राशि-रै) 31-03-2025 के अनुसार	(राशि-₹) 31-03-2024 के अनुसार
स्याज आय सार्वजनिक खाते		12,08,33,24,870.00	11,13,67,04,950.00
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ एउच सरकार की प्रतिभृतिया		2 64 63 37 138 00	91,33,11,575.49
सार्वजनिक क्षेत्र के बॉड		2,12,68,45,127.00	1,96,38,11,963.93
निजी क्षेत्र के बॉड अल्पावधि जमा प्राप्तियां/सावधि जमा		6,93,42,377.00	11,78,08,146.35
एस टी जी	141	11,81,17,270.00	11,61,90,363.00
विविध आय (निवेश)		11,34,250.98	30,23,059.39
सुराम खात पर ब्याज यू एल एफ पे लाभ		3,07,99,929.84	3,06,66,942.63
कुल		17,88,57,14,104.81	16,74,62,88,295.89
<u>व्यय</u> अतिभूतियों की पुनर्प्राप्ति पर हानि अन्तिस्त गर्ने ग्रासाम ज्ञान अग्यीगती पर अपेश्वित स्ति पर सिन		12,00,87,253.17	-15,97,39,289.26
गाङ्गरत स्य स्पर्यंत तथा आरतास्ता पर अपादात हाथ पर हाथा का प्रावधाना			3,00,60,180.00
कुल		12,00,87,253.17	18,97,99,469.26
व्यय पर आय की अधिकता (क-ख) आरक्षी व अधिषेश में अंतरित		17,76,56,26,851.64	16,55,64,88,826.63
आकस्मिक देनदारियां महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	9	E Sulta da	

ह/0 (निरंजन कुमार मिश्रा) क्षेत्रीय आयुक्त

> ह/0 (संतोष कुमार) सहायक आयुक्त

ह/0 (सजीश कुमार एन) (आयुक्त)

कोयला खान पेंशन निधि मुख्य खाता

31-03-2025 को समाप्त अवधि के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता

वितीय वर्ष 2024-25	1,93,05,74,000.00	9,39,66,54,900,00	45,437.98 52,29,14,94,698.37 2,89,90,327.53	र ब्याज मा ब्याज ब्याद 15,51,069.00	12,241.09 -1,38,169.80 11,96,298.75 (63,13,238.13) 2,23,89,50,223.54 12,01,963.00 2,33,58,77,465.26 12,02,02,895.06 9,94,000.00	72 49 64 EE 248 30
भूगतान	निवेश सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम केंद्र सरकार की प्रतिभूति सन्य सरकार की प्रतिभूति	10.10	वैंक शुक्क पैशन संवितरण खाता पैशन सवितरण कमीशन सीएमपीएफ मृख्य को देय राशि	प्रतिभूति खरीद पर दिया गया ब्याज केंद्र सरकार की प्रतिभूति पर दिया गया ब्याज राज्य सरकार की प्रतिभूति पर दिया गया ब्याज र्बंक शुल्क सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड पर दिया गया ब्याज निजी क्षेत्र के बॉन्ड पर दिया गया ब्याज एसटीजी पर दिया गया ब्याज	बैंक खाता - अंतिम शेष एसबीआई खाता /॥ (मृख्य खाता) पॅशल निवेश खाता केनरा वैंक (धनबाद) खाता /॥ (क्षेत्र) खाता /॥ (क्षेत्र) खाता /॥ (क्षेत्र) खाता /॥ (क्षेत्र) पंशल अंशदाल खाता पंशल अंशदाल खाता पंशल अंशदाल खाता	35.01
वितीय वर्ष 2023-24	5,18,07,79,400.00	20,00,00,000.00 34,02,31,80,849.14 86,40,49,161.93	21,009.47 54,35,26,71,624.07 14,17,45,260.51	17,347.22	12,241.09 24,84,26,333,12 11,96,298.75 (83,13,238.13) 64,72,60,210,44 16,36,367,620,46 5,63,67,620,46	1,06,39,96,50,489,84
वितीय वर्ष 2024-25	12,241.09	11,96,298.75 (63,13,238.13) 64,72,60,210.44 18,36,343.00	5,63,67,620,46 5,63,67,620,46 1,46,55,00,000,00 2,24,04,60,000,00 46,85,00,000,00	1,10,39,84,721.84 9,57,88,45,056,00 29,52,01,588,00 43,08,21,84,908,61	81,96,59,399,00 2,64,14,09,763,00 2,07,72,66,967,00 13,29,95,034,00 11,83,10,111,00 3,18,27,412,84 11,34,250,98 7,30,31,85,082,39	72,49,61,55,248.39
Palls	बैंक खाता -आदि शेष एसबीआई खाता VII (मुख्य खाता) पेशन निवेश खाता	खाता VII (क्षेत्र) खाता XIII (क्षेत्र) पेशन संवित्तरण खाता पेशन अशदान खाता पेशन अशदान खाता	अतिरिक्त पेंशन अंशदान निवेश मोधन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम राज्य सरकार की प्रतिभूति केंद्र सरकार की प्रतिभूति	एसटाडाआएएफडा निजी क्षेत्र के बांड प्राप्तरफ मीएमपीएफ मूख्य खाते में देय राशि पेशन अंशदान निधि आय	केंद्र सरकार की प्रतिभृति से प्राप्त ब्याज राज्य सरकार की प्रतिभृति से प्राप्त ब्याज सार्वजिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त ब्याज विजी क्षेत्र के बॉक्ड से प्राप्त ब्याज एसटीजी से प्राप्त ब्याज इंटीएफ लाभाश विविध आय (निवेश) विविध आय (निवेश) अतिरिक्त पंशान अंश्वान	कुल
+7-0707 LA SIIIA	12,241.09 3,42,11,367.59 11,590.00	12,30,993.75 (32,54,023.94) 3,55,05,22,072.46 92,90,80,974.11	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	17,00,29,482.56 ff 14,80,00,000.00 v 33,92,20,27,190.76 v 49,36,43,31,589.73 v 3		1,06,39,96,50,489.84

ह/0 (संतोष कुमार) सहायक आयुक्त

हा0 (निरंजन कुमार मिन्ना) क्षेत्रीय आयुक्त

ह/0 (सचीय कुमार पना) (आयुक्तार)

त्लन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुस्ची 1 - कॉर्पस/प्जी निधि

अनुस्ची 2 - आरक्षित एवं अधिशेष

राशि ह में 31-03-2024 के अनुसार 2,28,67,96,69,963.67 16,55,64,88,826.63 (10,69,36,957.00)	2,45,12,92,21,833.30
साधा ह में 31-03-2025 क अनुसार 2,45,12,92,21,833.30 17,76,56,26,851,64	2,62,89,48,48,684,94
(क) <u>आरक्षी निधि व अधिशेष</u> आदि शेष जोड़ः वर्ष के दौरान स्यय पर आय की अधिकता जोड़ः पूर्व वर्ष का समायोजान	अंतः शैष

अनुसूची 3-वर्तमान देयताएँ

राशि ह में 31-03-2025 के अनुसार

राशि ₹ में 31-03-2024 के अनुसार

(क) सीएमपीएफ मुख्ट

(क) सीएमपीएफ मुख्य खाते में देय राशि		
अनुसंद	अनुसूची 4-निवेश	
(क) सार्वजनिक खाते में जमा	राशि ₹ में 31-03-2025 के अनुसार	राशि है में 31-03-2024 के अनुसार
प्रारंभिक शेष जोड़ें. वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	1,42,15,67,63,149.45	1,31,02,00,58,199.45
अंतिम शेष	1,54,24,00,88,019.45	1,42,15,67,63,149.45
(ख) निवेश केंट सरकार की पनिभनियाँ (अन्तवबनक-गा	A 27 700 E	00000
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ (अनुलग्नक-बी)	36,91,34,87,620,65	35.50.22.30.369.65
सार्वजनिक क्षेत्र के बांड (अनुलग्नक-सी)	28,15,18,93,283.00	27,70,04,52,962.68
निजी क्षीत्र के बाड (अनुसरनक-डी)	1,26,04,29,803.45	2,36,77,58,599.78
निजी क्षेत्र के बाड - चूके/तेनावग्रस्त (अनुत्रमक-डा)		
एसटाजा (अनुलग्नन-इ)	1,51,63,21,674.84	1,51,63,21,674.84
इटाएफ (अनुलग्नक-एफ्)	3,91,76,92,162.51	3,47,95,96,865.37
यूएलएफ (अनुलग्नक-जी)		17,38,18,500.01
क्ष जोड़ (ख)	77,56,20,01,639.95	81,18,78,07,656.83
जोड़ (क+ख)	2,31,80,20,89,659.40	2,23,34,45,70,806.28

अनुस्ची 5-वर्तमान परिसंपतियाँ, ऋण और अग्रिम

अन्लग्नक - एम

बैंक खाता संख्या -VII (क्षेत्र) में शेष राशि

31-03-2024 क अनुसार	9		1 44 852 00	201701111	16 229 00	2 29 994 75									27.350.00							7 65 334 50	2010011	12,538.50		11,96,298.75
31-03-2025 क अनुसार			1.44.852.00		16.229.00	2.29.994.75				•					27.350.00				4			7.65.334.50		12,538,50		11,96,298.75
क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	आसनसील (आसनसील क्षेत्र-॥)	बराकर (आसनसील क्षेत्र-III)	बिलासप्र	स्दिवाड़ा	देवधर	धनबाद (धनबाद क्षेत्र-।)	हैदराबाद	<u>ज</u> बलपूर	जरुम	झरिया (धनबाद क्षेत्र-॥॥)	करगली (रांची क्षेत्र-॥॥)	कतरास (धनबाद क्षेत्र-॥)	कोलकाता	कोठागुडम	मार्गेरिटा	मुग्मा (आसनसोल क्षेत्र-IV)	नागप्र	नई दिल्ली	रामगढ़ (रांची क्षेत्र-दवितीय)	रांची (रांची क्षेत्र-।)	रानीगंज (आसनसोल क्षेत्र-।)	संबलपर	सिंगरीकी	तालचेर		कुल
क्रम सं.	1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	100

अन्लग्नक - एन

बैंक खाता संख्या -XIII (क्षेत्र) में शेष राशि

	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	31-03-2025 क अन्सार	31-03-2024 क अनुसार
	आसनसोल (आसनसोल क्षेत्र-॥)	61,961.70	61,961.70
	बराकर (आसनसोल क्षेत्र-॥।)		
3 बिलासपुर		1,86,387.06	1,86,387.06
4 छिदवाड़ा			
5 देवधर		1,831,00	1,831.00
6 धनबाद (धनबाद क्षेत्र-।)	नबाद क्षेत्र-।)		
7 हैदराबाद		12,54,778.93	12,54,778.93
8 जबलप्र		36,301,05	36,301.05
9 जम्म			
10 झिरिया (धन	झिरिया (धनबाद क्षेत्र-॥।)	(81,46,895.76)	(81,46,895.76)
11 करगली (रांची क्षेत्र-III)	वी क्षेत्र-111)		1
12 कतरास (धन	कतरास (धनबाद क्षेत्र-॥)		1
13 कोलकाता			+
14 कोठागृडम		1,54,027.37	1,54,027.37
15 मार्गेरिटा		95,677.17	95,677.17
16 मुग्मां (आसनसोल	नसोल क्षेत्र-IV)	1,783.25	1,783.25
17 नागप्र		,	
18 नई दिल्ली			4
19 रामगढ़ (रांची	ी क्षेत्र-दवितीय)		*
20 रांची (रांची क्षेत्र-।	क्षेत्र-।)		
21 रानीगंज (आसनसोल	सनसील क्षेत्र-।)	,	•
22 सबलप्र			1
23 सिंगरीली		1	•
24 तालचेर		40,910.10	40,910.10
	कल	(63,13,238,13)	(63.13.238.13)

अन्तरनक - आ

पेंशन संवितरण खाते में शेष राशि

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	क्रम स.	बैंक का नाम	31-03-2025 के अनसार	31-03-2024 के अनसार
अगंध बैंक (खाता - 0292) बैंक ऑफ बंड़ीदा (खाता - 0295) बैंक ऑफ बंड़ीदा (खाता - 0296) बैंक ऑफ बंड़ीदा (खाता - 0296) बैंक ऑफ बंडिया (खाता - 2286) बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 2286) बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 2034) सेंट्र बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 0157) पंजाब नेशनल बैंक (खाता - 0157) पंजाब नेशनल बैंक (खाता - 0157) पंजाब नेशनल बैंक (खाता - 2038) स्टेंट बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 2054) प्रको बैंक (खाता - 2069) प्रको बैंक (खाता - 2064) प्रको बैंक (खाता - 2064) प्रको बैंक (खाता - 2064) प्रको बैंक आफ इंडिया (खाता - 2054) प्रकाइंटड बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 2054) प्रकाइंटड बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 0730) प्रकाइंटड बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 0730)	1		3,70,43,157,80	3 99 29 520 RD
बैंक ऑफ बड़ीदा (खाता - 0295) 2,26,09,446,99 2,6 बैंक ऑफ बड़ीदा (खाता - 0296) 1,72,508,00 19,9 बैंक ऑफ बड़ीदा (खाता - 2286) 1,42,86,405.30 19,9 बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 2034) 30,31,658.49 2,9 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 0157) 40,21,250.27 4,13,7 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 0157) 5,75,48,676.92 5,7 स्टेंट बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 2054) 6,89,37,457.49 12,11 यूको बैंक (खाता - 2069) 2,01,70,69,075.36 2,2 यूको बैंक (खाता - 2064) 6,89,37,457.49 12,11 यूकोइंड बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 0730) 34,811.55 5,13,89,50,223.54 64,77	2	आध बैक (खाता - 0292)	17,446.79	5.40.274.67
बैंक ऑफ बड़ीदा (खाता - 0296) 1,72,508.00 विंक ऑफ इंडिया (खाता - 2286) 1,42,86,405.30 1 1,4	8	ऑफ बड़ौदा	2,26,09,446,99	2.66.23.863.99
बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 2286) 1,42,86,405.30 19 बैंक ऑफ महाराष्ट्र 34,18,411.31 2 केन्सरा बैंक (खाता - 2634) 30,31,658.49 2 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 0157) 40,21,250.27 पंजाब नेशनल बैंक (खाता - 0157) 5,75,48,676.92 5 स्टेट बैंक ऑफ हेंद्रशाबाद (खाता - 8038) 2,01,70,69,075.36 प्रको बैंक (खाता - 2069) 59,80,125.34 12, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 2054) 6,89,37,457.49 युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 0730) 34,811.55	4	ऑफ बड़ौदा (खाता	1,72,508.00	1,72,508,00
बैक ऑफ महाराष्ट्र केनरा बैंक (खाता - 2634) 30,31,658.49 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 0157) 40,21,250.27 पंजाब नेशनल बैंक (खाता - 0147) 5,75,48,676.92 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 9038) 2,01,70,69,075.36 युको बैंक (खाता - 2069) 6,89,37,457.49 युकाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 2054) 6,89,37,457.49 युकाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 0730) 34,811.55	2	ऑफ इंडिया (खाता -	1,42,86,405,30	19.90,59.892.10
केनरा बैंक (खाता - 2634) 30,31,658.49 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 0098) 7,79,791.93 1462 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 0157) 40,21,250.27 40,21,250.27 40,21,250.27 5,75,48,676.92 स्टेट बैंक ऑफ हेंदराबाद (खाता - 0747) 5,75,48,676.92 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 9038) 2,01,70,69,075.36 युको बैंक (खाता - 2064) 6,89,37,457.49 युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 2054) 6,89,37,457.49 युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 0730) 34,811.55 क्ल काफ इंडिया (खाता - 0730)	9	आप	34.18.411.31	2 43 71 266 31
सेट्रल बैक ऑफ इंडिया (खाता - 0157) 40,21,250,27 पंजाब नेशनल बैंक (खाता - 0157) 5,75,48,676,92 पंजाब नेशनल बैंक (खाता - 0747) 5,75,48,676,92 स्टेट बैंक ऑफ हेंदराबाद (खाता - 9038) 2,01,70,69,075,36 प्रको बैंक (खाता - 2069) 2,01,70,69,075,36 युको बैंक (खाता - 2069) 6,89,37,457,49 युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 2054) 6,89,37,457,49 युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 0730) 34,811,55	1	केनरा बैंक (खाता - 2634)	30,31,658.49	2.90.06.870.49
हांडेयन ओवरसीज बैंक (खाता - 0157) 40,21,250,27 पंजाब नेशनंत्र बैंक (खाता - 0747) 5,75,48,676,92 स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (खाता - 9038) 2,01,70,69,075,36 युको बैंक (खाता - 2069) 99,80,125,34 युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 2054) 6,89,37,457,49 युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 0730) 34,811,55	80	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 0098)	7,79,791.93	13.74.87.046.43
पजाब नेशनल बैंक (खाता - 0747) 5,75,48,676.92 स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (खाता - 9038) 2,01,70,69,075.36 युको बैंक (खाता - 2069) 99,80,125.34 युनो बैंक (खाता - 2069) 6,89,37,457,49 युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 0730) 34,811.55	o	इंडियन ओवरसीज बैंक (खाता - 0157)	40,21,250.27	40.21.250.27
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (खाता - 9038) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 8288) 2,01,70,69,075.36 युको बैंक (खाता - 2069) 99,80,125.34 1 युको बैंक आफ इंडिया (खाता - 2054) 6,89,37,457,49 युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 0730) 34,811.55	10	पजाब नेशनल बैंक (खाता - 0747)	5,75,48,676.92	5.70.30.209.93
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 8288) 2.01,70,69,075.36 युको बैंक (खाता - 2069) 99,80,125.34 12, योनयन बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 2054) 6,89,37,457.49 युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 0730) 34,811.55	11	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (खाता - 9038)		
युको बैक (खाता - 2069) 99,80,125.34 12, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 2054) 6,89,37,457.49 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 0730) 34,811.55 कुल 2,23,89,50,223.54 64,	12	बैंक आफ	2,01,70,69,075.36	24.84.510.74
युनियन बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 2054) 6,89,37,457.49 युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (खाता - 0730) 34,811.55 कुल 2,23,89,50,223.54 64,	13	बुक	99,80,125.34	12.13.60.222.57
युनाइटेड बैक ऑफ इंडिया (खाता - 0730) 34,811.55 कुल 2,23,89,50,223.54 64,	14	बैक ऑफ इंडिया	6,89,37,457.49	39 724 58
2,23,89,50,223.54	15	बैंक ऑफ इंडिया	34,811.55	51,33,049.56
		कुल	2,23,89,50,223.54	64,72,60,210,44

कोयला खान पेंशन निधि खाता

31-03-2025 को तुलन-पत्र का अंश निर्मित करने वाली अनुस्चियाँ

अनुसूची 6 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां :

1. सामान्य

खाते ऐतिहासिक लागत के आधार पर तथा चालू व्यवसाय के लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर तैयार किए जाते

लेखांकन नीतियां, जिनका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप और सुसंगत होनी चाहिए। ≘

खातों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों प्रमुखों / मुख्यालय के अनुभागों, संरक्षक , निधि प्रबंधकों, बैंकरों आदि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित/प्रमाणित रिपोटौं के आधार पर तैयार/संकलित किया जाता है।

2. आय

निवेश पर ब्याज का लेखा उपार्जन आधार पर किया जाता है।

अंतर-खाता शैष पर ब्याज का लेखा उपार्जन आधार पर किया जाता है।

iii) सार्वजनिक खाते पर ब्याज का लेखा उपार्जन आधार पर किया जाता है।

3. व्यय

पेशन प्रशासन से संबंधित व्यय पेशन प्रशासन खाते में दर्ज किए जाते हैं।

龙 ु बैंक शुक्क/कमीशन पेंशन प्रशासनिक और पीएफ प्रशासनिक खाते में अंतरित स्थानांतरित किए जाते Ê

प्रतिभूतियों के मोचन पर हानि/लाभ का लेखा प्रतिभूतियों के मोचन के समय किया जाता है।

बैंक को बैंक शुल्क के भुगतान सहित पेंशन के संवितरण में सीएमपीएफ योजना के अनुसार सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं। 2

4. निवेश

निवेश लागत पर बयान किया गया है, जिसमें प्रबंधन शुल्क को छोड़कर ब्रोकरेज शामिल है।

5. अंशदान

पेंशन अंशदान का हिसाब नकद आधार पर दिया जाता है।

सरकारी अंशदान की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है और इसे समग्र निधि/प्ंजी निधि में शामिल किया जाता है।

ख. खातों के लिए नोट

=

i) पेंशन प्रशासनिक खाते दवारा प्रतिपूर्ति किए गए बैंक शुल्क और प्रबंधन शुल्का

1) पिछले वर्ष के आंकड़े जहां भी आवश्यक हो, पुनर्गिठत और पुनर्थवस्थित किए गए हैं।

अंतर खाता शेष पर ब्याज @7.6% प्रति वर्ष अर्जित किया जाता है।

खरीद के समय भुगतान किए गए/प्राप्त प्रीमियम/छूट को प्रतिभूतियों के मोचन के समय पी एंड एन खाते में अंतरित कर दिया जाता है। 2

प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए डाटा के आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से पेशन संवितरण किया जाता है और बैंक विवरण के आधार पर खातों की पुस्तकों में हिसाब किया जाता है। 5

पेंशन संवितरण में से , कुछ पेंशन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ही वितरित की जाती है और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्त्त आरओ विवरण के आधार पर प्रस्तकों में दर्ज की जाती है। (E)

vii) सार्वजनिक खाते में जमा पर ब्याज से प्राप्त आय भारत सरकार की पुष्टि के अधीन है।

रैं5.00 करोड़ की निवेश राशि को डिफॉल्ट/स्ट्रेस्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है , जिसमें डीएचएफएल निवेश से रिलायस कैपिटल लिमिटेड में ₹23.00 करोड़ रुपये और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड में अप्राप्त रे67.67 करोड़ भी शामिल हैं 31-03-2024 के अनुसार। VIII)

- डीएचएफएल की समाधान प्रक्रिया की घोषणा की गई है और ₹129.00 करोड़ के कुल जोखिम में से ₹61.33 करोड़ की वस्ती की गई है। ×
- वर्ष के दौरान, सीएमपीएफओ को खराब/दबावग्रस्त निवेशों के विरुद्ध निम्नलिखित वसूली प्राप्त हुई जो इस प्रकार है:

₹13.52 करोड़ ब) आईएलएंडएफएस - ₹1.34 करोड़ के निवेश के कुल बही मूल्य के विरुद्ध ₹0.15 करोड़ प्राप्त हुए। स) आरसीएपी - ₹12.65 करोड़ के निवेश के कुल बही मूल्य के विरुद्ध अंतिम निपटान के रूप में अ) डीएचएफएल - ₹67.67 करोड़ के निवेश के कुल बही मूल्य के विरुद्ध ₹1.05 करोड़ प्राप्त हुए।

ऋण निवेश के मोचन पर रॅ12.01 करोड़ की हानि हुई है और ULF (अल्ट्रा निक्विड फंड) में निवेश पर रॅ0.82 करोड़ का लाभ हुआ है। (ix

फंड का कुल कोष केवल ₹22,898.90 करोड़ हैं। इसलिए, एक्चुअरी द्वारा मूल्यांकन किए गए शुद्ध देयता के लिए प्रावधान करना संभव नहीं है क्योंकि इससे कोष ऋणात्मक हो जाएगा। हालाँकि , यह भी प्रस्तुत किया जाना है कि पंशन फंड का मूल्यांकन सीएमपीएस 1998 के पैरा 22 के अनुसार 31-03-2022 तक एक्चुरियल द्वारा किया गया है। मूल्यांकन रिपोर्ट में फंड की शुद्ध देयता (कमी) र47,961 करोड़ दर्शाई गई है। चूँकि , 31-03-2024 तक सभी सदस्य वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान का उपयोग करके और निवेश से निकासी करके कमी को पूरा करके सीएमपीएस 1998 के अंतर्गत समय पर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। (iiix

बोर्ड ने भारत सरकार के परामर्श से अतिरिक्त पेंशन अंशदान की दर र 10 प्रति टन से बढ़ाकर रै20 प्रति टन करने र700 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़कर र1400 करोड़ हो का निर्णय लिया। अपेक्षित अतिरिक्त पेशन अंशदान वर्तमान जाएगा

xiv) वर्ष के दौरान किसी भी निवेश का पुनर्मुल्यांकन नहीं किया गया।

机 ग. सीएमपीएफ संगठन के अधिशेष को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (25) के तहत आयकर लगाने से छूट दी गई

कोयला खान पेंशन प्रशासन खाते

31-03-2025 तक त्लन पत्र

-ह) (याशि -ह) 31.03.2024 के अनुसार तार		4,027.52 2,09,93,18,262.01	4,027.52 2,09,93,18,262.01	2,12,83,54,027.52 2,09,93,18,262.01	4,027.52 2,09,93,18,262.01		
(राशि - ₹) 31.03.2025 के अनुसार		2,12,83,54,027.52	2,12,83,54,027.52	2,12,83,5	2,12,83,54,027.52		
अनुसंची		7 7		м		4	
विवरण	कॉर्पस/प्जी निधि और देयताएं	आरक्षित और अधिशेष वर्तमान देयताएं और प्रावधान	कुल	संपतियाँ वर्तमान संपतियाँ, ऋण और अग्रिम राशि	कुल	महत्वपूर्ण लेखांकन गीतियां	

ह/0 (सजीश कुमार एन) (आयुक्त)

ह/0 (निरंजन कुमार मिश्रा) क्षेत्रीय आयुक्त

ह/0 (संतोष कुमार) सहायक आयुक्त

स्थान: धनबाद दिनांक:

कोयला खान पेंशन प्रशासन खाते

31-03-25 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते

राशि - ह) 31.03.2024 के अनुसार	39,57,47,415.98	39,57,47,415.98	00 000 00 27 77	4.17,00,269.36	4	+	16,50,000.00	82,50,000.00	3,30,00,000.00	3,88,30,000.00	1,3	1,00,000.00	13,36,40,146.00	22,00,000.00	11,000.00	39,57,47,415.98	
(राशि - है) 31.03.2025 के अनसार	21,54,28,609.51	21,54,28,609.51		7,90,35,765.51	40,70,000.00	1,79,30,000.00	16,50,000.00	82,50,000.00	30,000,000.00	3,88,30,000.00	1,38,60,000.00	1,00,000.00	9,60,51,844.00	22,00,000.00	11,000.00	21,54,28,609.51	
अनुसूची																	ाधिषेश में अंतरित
आव	पीएफ प्रशासन खाते से स्थानांतरित राजस्व	新时…(部)	<u>ड्यय</u>	बैंक कमीशन	बानस जन्म जिल्ला सन्त	भास स्थित नता	मिनाइ महा- आद्यार १५ ८५ १५ १५	मान्त ६५ ६८६मध्। गद किराजा भ्रमा. मिलिकारी एवं स्थापना	महत्त्रमाँ के खाता का मशीनीकरण	प्रभावना का वेतन	मिक्सी का नेत्रज	अस्तिकार वर्ष प्रसार	माह्या देवरा में ममानापान हिस्सेतारी	गानामान भना-मधिकारी एवं स्थापना	प्रशास धुलाई प्रभार	कुल(ख)	ट्यय पर आय की अधिकता (क-ख) आरक्षी व अधिषेश में अंतरित

हार (सजीय कुमार एम) (आयुक्त)

ह/0 (निरंजन कुमार मिश्रा) क्षेत्रीय आयुक्त

> हा0 (संतोष कुमार) सहायक आयुक्त

महत्वपूर्ण लेखांकन मीतियां

कोयला खान पेंशन प्रशासन खाते

31.03-2025 तक तलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अन्स्चियां

अनस्यी 1 - आरक्षित और अधिशेष

विवरण

(राशि - ह) 31.03.2025 के (राशि - ह) 31.03.2024 के

अनसार

प्रारंभिक जमा

योग : चालू वर्ष

घटाव : पिछले वर्ष का समायोजन

घटाव: आय से अधिक व्यय को सीएमपीएफ प्रशासन खाते में स्थानांतरित करें

जमा शेष

अनुसूची 2 - वर्तमान देयताएँ और प्रावधान

विवरण

खाता VIII (पीएफ प्रशासन) को देय राशि बैंक कमीशन और प्रबंधन शुल्क के लिए पेशन खाते को देय राशि

(राशि - १) 31,03,2025 के (राशि - १) 31,03,2024 के

2,09,93,18,262.01

2,12,83,54,027.52

2,09,93,18,262.01

2,12,83,54,027.52

अनुसूची 3 - वर्तमान संपत्तियां, ऋण और अग्रिम राशि

कुल रुपये में...

(राशि - ₹) 31.03.2025 के (राशि - ₹) 31.03.2024 क अनसार

1,32,36,09,000,00

1,32,36,09,000.00 77,57,09,262.01 2,09,93,18,262,01

कुल रुपये में...

ऋण एवं अग्रिम सरकारी अनुदान के लिए खाता संख्या । से प्राप्त राशि खाता VIII (भविष्य निधि प्रशासन) से वसूली योग्य राशि

विवर्ण

2,12,83,54,027.52

सहायक आयुक्त

(संतोष कुमार)

ह/0 (निरंजन कुमार मिथा) सेत्रीय आयुक्त

(सजीश कुमार एन) (आयुक्त) . 0/9

कोयला खान पेंशन प्रशासन लेखा

31-03-2025 को तुलन पत्र का अंश निर्मित करने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 4 - महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ:

1. सामान्य

- खाते ऐतिहासिक लागत के आधार पर और चल रहे चिंता के विषय के लेखांकन सिद्धांतों पर तैयार किए जाते हैं।
- लेखांकन नीतियां जो विशेष रूप से अन्यथा संदक्षित नहीं हैं, मुसंगत हैं और आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं। Œ
- खातों को क्षेत्रीय कार्यालयों / मुख्यालय के अनुभागों, अभिरक्षक, निधि प्रबंधकों, बैंकरों आदि के संबंधित प्रमुखों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित/प्रमाणित रिपोटौ पर तैयार/संकलित किया जाता है। 1

2. आय

- रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रशासनिक शुल्क (प्राप्त अनुदान) के रूप में सरकार से प्राप्त ₹ 0.00 करोड़ की राशि और प्रोद्भवन आधार पर लेखा में लिए गए है।
- कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 के पैरा 18(3) में निहित प्रावधानों के अनुसार पेंशन प्रशासन ट्यय करने के लिए 21,54,28,609,51का राजस्व भविष्य निधि प्रशासन से अंतरित किया गया है। íii

3. व्यय

0

पैशन प्रशासन से संबंधित सभी व्यय भविष्य निधि प्रशासन खाते से किए जा रहे हैं और मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे खाते में स्थानांतरित किए जा रहे हैं।

ख. खातों के लिए नोट

- i. बैंक शुल्क में पेंशन निधि खाते से संबंधित बैंक शुल्क शामिल हैं। पेंशन प्रशासनिक खाते द्वारा बैंक शुल्क और प्रबंधन शुल्क की प्रतिपृति की जाती है।
- व्यय में भविष्य निधि प्रशासन खाते से काल्पनिक आधार पर पेंशन के संवितरण के लिए लगे अधिकारियों और कर्मचारियों का व्यय शामिल है।
- !!!. पिछले वर्ष के आंकड़े जहां भी आवश्यक हो, पुनर्गिठित और पुनर्यवस्थित किए गए हैं।
- सीएमपीएफ संगठन के अधिशेष को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (25) के तहत आयकर लगाने से छूट दी गई है।

कोयला खान जमा संबद्ध बीमा निधि अंशदान लेखा

31-03-2025 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

समग्र निधि/प्जी निधि एवं देनदारियां	अनुसूची	(राशि - ₹) 31.03.2025 के अनुसार	(राशि - र) 31.03.2025 के (राशि - र) 31.03.2024 के अनुसार
समग्र निधि आरक्षी निधि व अधिषेश	5 - 2	1,04,32,44,709.87 3,80,17,33,064.12	1,04,32,44,709.87 3,46,93,97,140.62
जोड़		4,84,49,77,773.99	4,51,26,41,850.49
परिसंपतियाँ			
निवेश चालू परिसंपतियाँ, ऋण व अग्रिम	6,4	4,76,46,35,782.98 8,03,41,991.01	4,43,22,19,332.98 8,04,22,517.51
जोड़		4,84,49,77,773.99	4,51,26,41,850.49
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	S	•	
स्थानः धनबाद दिनांकः			

ह/0 (सजीश कुमार एन) (आयुक्त)

ह/0 (निरंजन कुमार मिश्रा) क्षेत्रीय आयुक्त

> ह/0 (संतोष कुमार) सहायक आयुक्त

कोयला खान जमा संबद्ध बीमा निधि अंशदान लेखा

31-03-2025 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

आय	अनुस्ची	(राशि - ₹) 31.03.2025 के अनुसार 31.03.2024 के अनुसार	(राशि - ₹) 31.03.2024 के अनुसार
ब्याज (विविध) लोक खाते में जमा पर ब्याज जोड़(क)		33,24,16,450.00 33,24,16,450.00	30,92,24,600.00
<u> ज्याय</u>			
जोड़(ख)			
व्यय पर आय की अधिकता (क-ख) आरक्षी व अधिशेष खाते में अंतरित		33,24,16,450.00	30,92,24,600.00
	*		4. 4
The same of the sa			

76

महत्वपूर्ण लेखाकन नीतिया

ह/0 (निरंजन कुमार मिश्रा) क्षेत्रीय आयुक्त

ह/0 (संतोष कुमार) सहायक आयुक्त

हं/0 (सजीश कुमार एन) (आयुक्त)

कोयला खान जमा संबद्ध बीमा निधि अंशदान लेखा

31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

ट्यय
649.00 बैंक शुल्क
डीएलआई प्रशा. खाता-1 से प्राप्त राशि
बँक खाता
- जमा शेष
6,22,954.85 एसबीआई खाता IX (मुख्यालय) 1,36,682.00 एसबीआई खाता IX (क्षेत्र)
22,470.71 आईडीबीआई खाता IX
7.82.756.56

ह/0 (संतोष कुमार) सहायक आयुक्त

ह/0 (निरंजन कुमार मिशा) क्षेत्रीय आयुक्त

ह/0 (सजीश कुमार एन) (आयुक्त)

कोयला खान जमा संबद्ध बीमा निधि अंशदान लेखा

31-03-2025 के अनुसार तुलन पत्र का अंश निर्मित करने वाली अनुसूची

अनुस्वी 1-समग्र निधि/प्ंजी निधि

विवरण	प्राप्त अशेदान प्राप्त ब्याज	किया
	के दौरान प्र के दौरान प्र	के दौरान
	आदि शेष जोड़: वर्ष जोड़: वर्ष	वर्ष

1,04,32,44,709.87

1,04,32,44,709.87

(राशि-ह) (राशि-ह) 31-03-2025 के अनुसार 31-03-2024 के अनुसार

1,04,32,44,709.87	
1,04,32,44,709.87	

अनुस्ची 2-आरक्षि निधि व अधिशेष

अंतःशेष

	(राशि-र)	(राशि-₹)
विवरण	31-03-2025 के अनुसार 31-03-2024 के अनुसार	31-03-2024 के अनुसार
आदि शेष	3,46,93,97,140.62	3,16,01,72,540.62
जोड़: व्यय पर आय की अधिकता	33,24,16,450.00	30,92,24,600.00
घटाव : पूर्व अवधि आइटम	80,526.50	1
अंतःशेष	3,80,17,33,064,12	3,46,93,97,140.62

अनुसूची 3 - निवेश

(राशि -ह में) 31-03-2024 के अनुसार	4,12,29,94,732.98	1 1	30,92,24,600.00	4,43,22,19,332.98		(राशि-₹) 31-03-2024 तक		6,22,954.85	22,470.71	6,73,19,433.11	5,86,100.28	1,17,34,876.56	8,04,22,517.51	ह/0 (सजीश कुमार एन) (आयुक्त)
(राशि -र में) 31-03-2025 के अनुसार	4,43,22,19,332.98		33,24,16,450.00	4,76,46,35,782.98	ऋण व अग्रिम	(राशि-ह) 31-03-2025 तक		6,22,306.85	22,470.71	6,73,19,433.11	5,86,748.28	1,17,34,876.56	8,03,41,991.01	
विवरण	वर्ष के आरंभ में शेष जोड़: वर्ष के दौरान किया गया निवेश	- भायता खान	जोड़: वर्ष में उपचित ब्याज पुनर्निवेशित	वर्ष के अंत में शेष	अनुसूची ४ - चालू देनदारियाँ, ऋण व अग्रिम	विवरण	बैक में जमा राशि	एसबीआई खाता IX (मुख्यालय) एसबीआई खाता IX (सेंत्र) (अनुलग्नक A)	आईडीबीआई खाता IX (खाता संख्या 012103000003728)	<u>ऋण और अग्रिम राशि</u> डीएलआई प्रशासन खाते से प्राप्य राशि	डीएलआई प्रशासन खाते से वस्लनीय बैंक कमीशन	सीएमपीएफ मुख्य खाता संख्या । से प्राप्य राशि	कुल रुपये में	ह/0 (संतोष कुमार) (निरंजन कुमार मिश्रा) सहायक आयुक्त क्षेत्रीय आयुक्त

अन्बंध- क

बैंक खाता संख्या -IX (क्षेत्रों) में शेष राशि

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	31-03-2025 के अनुसार 31-	03-2024 के अनुसा
1	आसनसोल (आसनसोल क्षेत्र-II)		English and
2	बराकर (आसनसोल क्षेत्र-III)		
3	बिलासप्र	33,333.00	33,333.00
4	छिंदवाड़ा		Maria Niga
5	देवघर		
6	धनबाद (धनबाद क्षेत्र-I)		
7	हैदराबाद		2,399.50
8	जबलपुर		72,671.50
9	जम्म्		
10	झरिया (धनबाद क्षेत्र-III)		
11	करगली (रांची क्षेत्र-III)		
12	कतरास (धनबाद क्षेत्र- II)		
13	कोलकाता		-
14	कोठाग्डम		-
15	मार्गेरिटा		-
16	मुग्मा (आसनसोल क्षेत्र-IV)		
17	नागप्र		-
18	नई दिल्ली		
19	रामगढ़ (रांची क्षेत्र-द्वितीय)		5,455.50
20	रांची (रांची क्षेत्र-।)		
21	रानीगंज (आसनसोल क्षेत्र-।)	-	
22	संबलप्र	22,822.50	22,822.50
23	सिंगरौँली	- 1	-
24	तालचेर		
	कुल	56,155.50	1,36,682.00

कोयला खान जमा संबद्ध बीमा निधि खाता

31-03-2025 को तुलन-पत्र का अंश निर्मित करने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 5 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. सामान्य आय

- खाते ऐतिहासिक लागत के आधार पर और चल रहे चिंता के विषय के लेखांकन सिद्धांतों पर तैयार किए जाते हैं।
- ij लेखांकन नीतियां जो विशेष रूप से अन्यथा संदर्भित नहीं हैं, सुसंगत हैं और आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के
- ≣ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित/प्रमाणित रिपोर्टो पर तैयार/संकलित किया जाता है। खातों को क्षेत्रीय कार्यालयों/मुख्यालय कार्यालय के अनुभागों, अभिरक्षक, निधि प्रबंधकों, बैंकरों आदि के संबंधित प्रमुखों

आय

18

- निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- सरकारी अंशदान का लेखा-जोखा नकद आधार पर किया जाता है।

त्यय

- डीएलआई निधि खाते से संबंधित खर्च डीएलआई प्रशासन खाते में हिसाब किया जाता है।
- बैंक शुल्क/कमीशन में डीएलआई फंड खाते के लिए बैंक शुल्क शामिल हैं।
- ≣ के मोचन के समय ही प्रतिभूति के मोचन पर हानि/लाभ का हिसाब लगाया जाता है।

4. निवेश

निवेश लोगत में ट्यक्त किया जाता हैं जिसमें प्रबंधन शुल्क को छोड़कर ब्रोकरेज शामिल किया जाता हैं।

5. अंशदान

-). सार्वजनिक खाते पर ब्याज की गणना उपचय के आधार पर की गई है।
- वर्ष के दौरान भारत सरकार ने ₹33.24 करोड़ सार्वजनिक खाते में जमा ब्याज के रूप में स्वीकृत किया हैं।

ख. खातों के लिए नोट

- बैंक शुल्क और कमीशन में डीएलआई निधि खाते पर बैंक शुल्क और कमीशन शामिल है।
- पिछले वर्ष के आंकड़े जहां भी आवश्यक हो, पुनर्गिठत और पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।
- खरीद के समय भुगतान किए गए/प्राप्त प्रीमियम / छूट को प्रतिभूतियों के मोचन के समय पी एंड एल खाते में अंतरित कर दिया जाता है।
- वर्ष के दौरान किसी भी निवेश का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

ग. सीएमपीएफ संगठन के अधिशेष को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (25) के तहत आयकर लगाने से छूट दी गई है।

कोयला खान जमा संबद्ध बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन खाता (खाता संख्या X)

31-03-2025 के अनुसार तुलन पत्र

ह/0 (संतोष कुमार) (निरंजन कुमार मिश्रा) सहायक आयुक्त क्षेत्रीय आयुक्त	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	कुल	निवेश वर्तमान संपत्तियां, ऋण और अग्रिम राशि	परिसंपति	कुल	आरक्षित एवं अधिशेष वर्तमान देयताएं और प्रावधान	कॉर्पस/पंजी निधि और देयताएं
	₅ Oi		ω 4			2 1	अनुस्ची
ह/0 (सजीश कु (आयु		2,14,87,84,154.26	21,79,39,342.70 1,93,08,44,811.56		2,14,87,84,154.26	2,08,08,77,972.87 6,79,06,181.39	(राशि - ₹) 31.03.2025 के अनुसार
ह/0 (सजीश कुमार एन) (आयुक्त)		2,01,00,81,051.64	20,55,50,593.06 1,80,45,30,458.58		2,01,00,81,051.64	1,94,21,75,518.25 6,79,05,533.39	(राशि - ₹) 31.03.2024 के अनुसार

कोयला खान जमा संबद्ध बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन खाता (खाता संख्या X)

31-03-2025 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

1	A	3
	-	4
	-	4
	A	ø
	-	٦
	- 3	
	λ	ä

हा0 (सतोष कुमार) सहायक आयुक्त (निरंजन कुमार मिश्रा)	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	व्यय (क-ख) से अधिक आय का अधिक्य आरक्षित एवं अधिशेष खाते में स्थानांतरित.	<u>कुल (ख)</u>	डीएचएफएल पर ब्याज न मिलन स होने वाली हो।ने के लिए प्रावधान निवेश के मोचन पर लाभ/हानि सामान्य व्यय का आनुपातिक हिस्सा	वैंक कमीशन	कुल (क)	विविध ब्याज (निवेश) निवेश के मोचन पर लाक्ष/हानि	एसटीजी	सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	निवेश पर ब्याज	प्रशासन शुल्क पीएफ प्रवेश खाते पर ब्याज (7.6%)	अयि अर्थित ।	
ह (सजीक व		13,87,02,454.62	97,88,669.00	1,82,188.00 96,05,184.00	1,297.00	14,84,91,123.62	37,51,159.77 23,885.96	2,05,500.00	20,75,995.19	18,92,556.00 1,16,71,769.70	,	8,15,387.00 12,79,47,281.00	31-U3-2023 के अनुसार 31-U3-2024 के अनुसार	(सर्वि
ह/0 (सजीश कुमार पन) (आयुक्त)		13,53,45,977.31	1,43,16,338.00	9,51,025.00 1,33,64,015.00	1,298.00	14,96,62,315.31	1,34,12,713.38 36,978.01	2,05,500.00	20,72,427.65	1,13,21,150.16		7,68,080.00 11,98,54,039.00	31-03-2024 का अनुसार	(राशि-₹)

	90	20,42,51,883.68	15,88,85,276.56	कुल	20,42,51,883.68
10,36,34,906.44 36,80,618.42 48,512.70	रानापन सन् एस.बी.आई. खाता X (मुख्यालय) निवेश वैंक आईडीबीआई खाता X (मुख्यालय)	9,89,80,413.44 7,33,073.44 48,512.70	18,96,550.00 20,80,232.19 1,12,93,225.70 1,07,684.00 2,05,500.00 37,51,159.77	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर ब्याज राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज निजी क्षेत्र के उपक्रमों पर ब्याज एसटीजी पर ब्याज विविध ब्याज (निवेश)	18,96,550.00 20,67,963.65 3 1,11,67,870.21 3 90,916.11 ft 2,05,500.00 1,34,12,713.38 ft
649.00	<u>ट्यय</u> वैक शुल्क वैक शुल्क		3,14,05,180.32 73,20,000.00 2,48,358.00	सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिभूति केंद्र सरकार की प्रतिभूति यूप्लप्फ स्टेज सरकारी प्रतिभूति निजी क्षेत्र के बांड	5,32,19,808.15 3,60,00,000.00 55,550.00
2,01,22,990.00 3,13,97,600.00	निवेश सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ एसटीजी यूएलएफ किय पर देय ज्याज सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ निजी क्षेत्र के बॉन्ड जिन्य खाते से भगतान की गई राशि ज्याज अर्जित लेकिन देय नहीं	5,10,19,151.90 5,34,70,034.15 698.05	9,89,80,413.44 7,33,073.44 48,512.70 8,15,387.00	कैंक खाता आरंक्षिक शेष राशि अग्रंक्षिक शेष राशि 5,09,658.44 एस.बी.आई. खाता × (मुख्यालय) 5,08,761.04 सुरक्षा सेवा, मुंबई 48,512.70 आईडीबीआई खाता × (मुख्यालय) 7,68,080.00 प्रशासिनक शुल्क अन्य खाते से प्राप्त राशि डीएलआई मुख्य से प्राप्त राशि जितेशों का मोचन	8,48,09,658.44 5,08,761.04 48,512.70 7,68,080.00
वित्तीय वर्ष 2024-25	भुगतान	वित्तीय वर्ष 2023- 24	वितीय वर्ष 2024-25	प्राप्ति	वित्तीय वर्ष 2023-24
	·× ते और भुगतान	प्रशासन खाता -	निक्षेप संबद्ध बीमा प्रशासन खाता -X 31-03-2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राप्ति और भुगतान	ि <u>31-03-2025</u> क	

ह/0 (संतोष कुमार) सहायक आयुक्त

ह/0 (निरंजन कुमार मिश्रा) क्षेत्रीय आयुक्त

ह/0 (सजीश कुमार एन) (आयुक्त)

कोयला खान जमा लिंक्ड बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन खाता (खाता संख्या) X)

31-03-2025 के अनुसार तुलन पत्र का अंश निर्मित करने वाली अनुसूची

अनुसूची 1-आरक्षि निधि और अधिशेष

विवरण		
31-03-2025		
25 को शेष	(মু	

(राशि-₹)

31-03-2024 को शेष

1,80,68,29,540.94 13,53,45,977.31

जोड़: वर्ष के दौरान ट्यय पर आय की अधिकता	आदि शेष
13,87,02,454.62	1,94,21,75,518.25

अंतःशेष

92

2000 77 070 77 00

31-03-2025 को	
शेष 31-0	(साश-₹)
3-1	

6,79,05,533.39	6,79,06,181.39	कुल राशि रू. में
6,73,19,433.11 5,86,100.28	6,73,19,433.11 5,86,748.28	डीएलआई मुख्य खाता में देय राशि डीएलआई मुख्य खाते का बैंक प्रभार
31-03-2024 को शेष	31-03-2025 को शेष	विवरण

विवरण

31-03-2025 市

अनुसार

31-03-2024 市

16,21,80,906.93 2,52,46,080.00 2,18,19,589.90 14,95,60,104.93 2,52,46,080.00 2,18,19,589.90

52,14,565.87 4,78,200.00 30,00,000.00 54,62,923.87 4,61,894.36

30,00,000.00

जोड़ (हमें)...

एसटीजी (अनुलब्नक - च) यूएलएफ (अनुलब्बक - ड) लोक उपक्रम बंध पत्र (अनुलग्नक - ग) केंद्रीय सरकार प्रतिभृति (अनुलग्नक - क) राज्य सरकार प्रतिभृति (अनुलग्नक - ख)

निजी क्षेत्र बंध पत्र (अनुलग्नक - ध)

21,79,39,342.70 20,55,50,593.06

अनुसूची 4 - चालु परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

र्में बेलेंस एस.बी.आई. खाता (मुख्यालय) (खाता संख्या 10976587129) एस.बी.आई. खाता (मुख्यालय) (खाता संख्या 10976587129)-SWIPP

31-03-2025 市 अन्सार 31-03-2024 市

अनुसार

1,02,54,867.44 9,33,80,039.00 36,80,618.42 94,90,794.44

8,94,89,619.00

48,512.70

7,33,073.44 48,512.70

1,87,39,121.00 1,87,39,121.00

1,80,18,58,950.00 1,400.00 1,68,35,16,853.00 1,400.00

4,38,394.00

4,34,400.00

15,67,389.00

4,47,495.00

19,45,933.00

56,864.00

4,43,258.00

56,864.00 943.00

848.00

1,93,08,44,811.56 1,80,45,30,458.58

(सजीश कुमार एन)

(अायुक्त)

अदेय अजित ब्याज सीएमपीएफ प्रवेश खाते से प्राप्य राशि

खाता XII से प्राप्य राशि

सीएमपीएफ खाते से प्राप्य राशि - 1

ऋण एवं अधिम

आईडीबीआई खाता (मुख्यालय) (खाता संख्या 012103000003735)

लोक उपक्रम बंध-पत्र (अनुलग्नक - झ) केंद्रीय सरकार प्रतिभृति (अनुलग्नक - छ) राज्य सरकार प्रतिभृति (अनुलग्नक - अ) एसटीजी (अनुलग्नक - ज)

पीवीटी (अनुलग्नक - ट)

जोड़ (हर्म)...

5/0

ह/0 (संतोष कुमार) सहायक आयुक्त

(निरंजन कुमार मिश्रा) क्षेत्रीय आयुक्त

31-03-2025 को तुलन-पत्र का अंश निर्मित करने वाली अनुसूचियाँ अनुसूची 5 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ कोयला खान डीएलआई प्रशासन खाता

क.महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

1. सामान्य

खाते ऐतिहासिक लागत के आधार पर और चल रहे चिंता के विषय के लेखांकन सिद्धांतों पर तैयार किए जाते हैं।

लेखांकन नीतियां जो विशेष रूप से अन्यथा संदर्भित नहीं हैं, सुसंगत हैं और आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के

E द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित/प्रमाणित रिपोटों पर तैयार/संकलित किया जाता है। खातों को क्षेत्रीय कार्यालयों मुख्यालय कार्यालय के अनुभागों, अभिरक्षक, निधि प्रबंधकों, बैंकरों आदि के संबंधित प्रमुखों

2 आय

निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

E सरकारी अंशदान का लेखा-जोखा नकद आधार पर किया जाता है।

w 2 신 식 식

डीएलआई निधि खाते से संबंधित व्यय डीएलआई प्रशासन खाते से हिसाब में लिया जाता है।

प्रतिभूति के मोचन के समय ही प्रतिभूति के मोचन पर हानि/लाभ का हिसाब लगाया जाता है। बैंक प्रभार/ कमीशन में डीएलआई निधि खाते के लिए लिया जाने वाला बैंक प्रभार भी शामिल हैं।

निवेश

निवेश लागत में ट्यक्त किया जाता हैं जिसमें प्रबंधन शुल्क को छोड़कर ब्रोकरेज शामिल किया जाता है।

Un अशदान

डीएलआई प्रशासन अंशदान नकद आधार पर हिसाब में लिया जाता हैं।

खातों के लिए नोट

- डीएलआई निधि खाते पर बैंक शुक्क और कमीशन शामिल है।
- ii. पिछले वर्ष के आंकड़े जहां भी आवश्यक हो, पुनर्गठित और पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं। 🍇
- iii. खरीद के समय भुगतान किए गए/प्राप्त प्रीमियम / छूट को प्रतिभूतियों के मोचन के समय पी एंड एल खाते में अंतरित कर दिया जाता है।
- v. रिपोर्टिंग अवधि में निरीक्षण प्रभार के रूप में ₹815387.00 प्राप्त हुए।
- रिपोर्टिंग अविधि 2021-22 में डीएचएफएल की समाधान योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है समाधान योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ हैं और शेष राशि पीवीटी होल्डिंग के रूप में दिखाई गई हैं।
- ⊻. वर्ष के दौरान ₹ 1,82,188.00 को ऋण निवेश के मोचन पर हानि के रूप में दर्ज किया गया और ₹ 36,978.01 को यूएलएफ (इक्विटी) के मोचन पर लाभ के रूप में दर्ज किया गया।
- vii. वर्ष के दौरान किसी भी निवेश का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है।
- 1. सीएमपीएफ संगठन के अधिशेष को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (25) के तहत आयकर लगाने से छूट दी गई है।



कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER COAL MINES PROVIDENT FUND

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2024-25 AUDIT CERTIFICATE 2024-25

मुख्यालय : कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद - 826001 (झारखंड)
HEAD QUARTER: COAL MINES PROVIDENT FUND ORGANIZATION, DHANBAD- 826001 (JHARKHAND)

प्थक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद के वर्ष 2024-25 का लेखा



लेखापरीक्षा (खान एवं कोयला) के महानिदेशक का कार्यालय, कोलकाता 234/4, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700020 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कोयला खान भविष्य निधि संगठन के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राय

राय

हमने कोयला खान भविष्य निधि संगठन के वितीय विवरणों का लेखा-परीक्षण निष्पादित किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 के अनुसार वितीय स्थित का विवरण और उस वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा और वितीय विवरणों के नोट शामिल हैं, जिसमें नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अधीन कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1971 के पैरा 59, कोयला खान पेंशन स्कीम के पैरा 20 और कोयला खान संबद्ध जमा बीमा योजना के पैरा 19 के साथ पठित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल है। लेखापरीक्षा 2027-28 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। इन वितीय विवरणों में सीएमपीएफओ के 20 क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के खाते शामिल हैं।

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखांकन पद्धित पर केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूपता, लेखांकन मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में टिप्पणियाँ शामिल हैं। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वितीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, निरीक्षण रिपोर्टी/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।

हमारी राय में, सीएमपीएफओ के संलग्न वितीय विवरणों को लेखांकन नीतियों और उन पर टिप्पणियों और पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों के साथ पढ़ा जाए। निम्नलिखित रिपोर्ट, 31 मार्च 2025 तक स्वायत निकाय की वितीय स्थिति, और उसके वितीय निष्पादन तथा उस वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करती है, जो कि खातों का एक समान प्रारूप / सीएमपीएफओ पर लागू प्रारूप / भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

राय का आधार

हमने कैग के लेखापरीक्षा विनियमों / मानकों / मैनुअल / दिशानिर्देशों / मार्गदर्शन-नोटों / आदेशों / परिपत्रों, आदि के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा किया गया है। हमारी उत्तरदायित्वों का और वर्णन हमारी रिपोर्ट के वितीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ खंड में किया गया है। हम नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप स्वायत निकाय से स्वतंत्र हैं जो वितीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषय पर ज़ोर

कोयला खान भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि प्रशासन शुल्कों के विरुद्ध अंशदानों के लेखांकन

और नकद आधार पर भविष्य निधि प्रशासन शुल्कों के व्यय के लिए लेखांकन नीतियाँ अपनाई हैं।

यह लेखांकन मानकों (एएस) 1 की मूलभूत लेखांकन मान्यताओं के विपरीत था।

वितीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

कोयला खान भविष्य निधि संगठन का न्यासी बोर्ड, शासी निकाय, सीएमपीएफओ पर लागू लेखा प्रारूप

/ भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार वितीय विवरण तैयार करने और निष्पक्ष

प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी है तथा आंतरिक नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है क्योंकि प्रबंधन यह तय करता है

कि ऐसे वितीय लेखा जोखा तैयार करना ज़रूरी है जो धोखाधड़ी या गलती की वजह से होने वाली

बड़ी त्रुटियों से मुक्त हों।

वितीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वितीय विवरण धोखाधड़ी

या त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक

की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें सीएजी के लेखापरीक्षा नियमों, मानकों / मैनुअल / दिशानिर्देशों /

मार्गदर्शन-टिप्पणियों / आदेशों / परिपत्रों आदि के अनुसार हमारी राय शामिल हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

अनिंद्य दासगुप्ता

प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक

स्थानः कोलकाता

दिनांक: 07 नवंबर 2025

कोयला खान भविष्य निधि संगठन के खातों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क. तुलन पत्र

क.1 परिसंपतियाँ

क.1.1 भविष्य निधि प्रशासन

क.1.1.1 संपत्तियों का गैर-पूंजीकरण और मूल्यहास का गैर- आरोपण

सीएमपीएफओं ने निपटान प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और स्वचालन के लिए केंद्रीकृत आईटी पोर्टल से संबंधित कार्य (मार्च 2023) शुरू किया। कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र 29 जून, 2024 को प्राप्त हुआ तथा तदनुसार, संपत्तियों के मूल्य को पूंजीकृत करने की अपेक्षित है। सीएमपीएफओं ने पिछले वर्ष ₹6.64 करोड़ और चालू वर्ष के दौरान ₹25.01 करोड़ जारी किए। हालाँकि, वर्ष 2024-25 के दौरान भुगतान की गई केवल ₹25.01 करोड़ की गई है।

पिछले वर्ष सीएमपीएफओ ने ₹26.64 करोड़ रुपये को राजस्व व्यय माना था। चूँिक कार्य प्रगति पर था, इसिलए इस राशि को प्रगति पर पूँजीगत कार्य मानने के लिए टिप्पणी स्वीकृत की गई। प्रबंधन ने पिछले वर्षों के दौरान संवितिरित राशि के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है, जिसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों के साथ-साथ आरक्षित निधि और अधिशेष को ₹6.64 करोड़ रुपये तक कम दर्शाया गया है।

इसके अलावा, सीएमपीएफओं ने न तो सॉफ्टवेयर के मूल्यहास के संबंध में कोई नीति निर्धारित की है और न ही सॉफ्टवेयर के उपयोगिती काल का कोई आकलन किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों को ₹26.64 करोड़ तक कम दर्शाया गया है और साथ ही आरक्षि निधि और अधिशेष को भी उसी सीमा तक कम दर्शाया गया है।

क.2.1 भविष्य निधि/पेंशन निधि खाते

क.2.1.1 निवेश की हानि का गैर-लेखांकन

सीएमपीएफओं ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉपॅरिशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के वितीय साधनों में ₹1390.25 करोड़ रुपये का निवेश किया था। शासन संबंधी चिंताओं और विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के कारण, डीएचएफएल (नवंबर 2019) दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी)

के समक्ष गया। एनसीएलटी ने डीएचएफएल के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू की और जून 2021 में समाधान योजना को मंजूरी दी। समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद, सीएमपीएफओको 31 मार्च 2025 तक किए गए निवेश के विरुद्ध ₹673.98 करोड़ प्राप्त हुए, जिसके परिणामस्वरूप ₹716.27 करोड़ के निवेश की हानि हुई।

लेखांकन मानक (एएस) 13 के पैराग्राफ 19 में प्रावधान है कि जहाँ दीर्घकालिक निवेशों की बहन राशि में अस्थायी के अलावा कोई गिरावट होती है, वहाँ वहन राशि में परिणामी कमी को लाभ-हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

इसप्रकार, इस हानि को लेखा में बट्टा खात में डालना अपेक्षित है। हालाँकि, उपर्युक्त निवेशों की हानि का लेखा-जोखा नहीं रखा गया और सीएमपीएफओ ने अभी भी अपने खातों में डीएचएफएल में ₹716.27 करोड़ का निवेश दर्शाया है।

इसके परिणामस्वरूप भविष्य निधि/पेंशन निधि के निवेश और कोष को 2,716.27 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है।

वर्ष 2019-20 से इस मुद्दे पर बार-बार टिप्पणी की गई है, हालाँकि, आज तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख. आय और व्यय लेखा

ख.1 व्यय

ख.1.1 व्यय का गैर-प्रावधान (अनुसूची 13.4)

उपरोक्त में वितीय वर्ष 2024-25 के दौरान सीएमपीएफ पेंशन भुगतान और पोर्टफोलियो प्रबंधन शुल्क के लिए कमीशन के रूप में अर्जित ₹5.52 करोड़ रुपये की राशि शामिल नहीं है। ये व्यय अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 की अविध के थे। चूँकि सेवाएँ वितीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदान की गई थीं, इसलिए व्यय का प्रावधान लेखा खातों में किया जाना चाहिए था।

लेखांकन मानक 29 के अनुच्छेद 14 में प्रावधान है कि प्रावधान को तब मान्यता दी जानी चाहिए जब: (क) किसी उद्यम पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व हो, (ख) यह संभावना हो कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा। इसप्रकार, लेखा खातों में व्यय का प्रावधान न किए जाने के कारण व्यय कम दर्शाया गया और साथ ही देयता भी ₹25.52 करोड़ कम दर्शाई गई और परिणामस्वरूप, तुलन पत्र में हस्तांतरित शुद्ध अधिशेष भी उसी सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया।

ग. लेखांकन नीतियाँ

ग.1 लेखांकन नीति में कमियाँ

- 1. सीएमपीएफओ के पास बैंकों, देनदारों और लेनदारों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने के लिए कोई औपचारिक लेखांकन नीति नहीं है।
- 2. सीएमपीएफओ के पास पूर्व अविध समायोजन के अंतर्गत मदों पर विचार करने के लिए भौतिकता संबंधी कोई लेखांकन नीति नहीं है।
- 3. सीएमपीएफओ ने भविष्य निधि प्रशासन शुल्कों के विरुद्ध अंशदान और भविष्य निधि प्रशासन के व्यय के लेखांकन के लिए नकद आधार पर लेखांकन नीतियाँ अपनाई गई हैं। यह सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीतियों (जीएएपी) के विपरीत था, जो लेखांकन के उपार्जन आधार पर आधारित है।
- 4. सीएमपीएफओं के पास सॉफ्टवेयर पर मूल्यहास लगाने के संबंध में कोई लेखांकन नीति नहीं है।

घ. प्रबंधन पत्र

इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई हेतु अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।

ङ. आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन

(i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:

सीएमपीएफओ के पास कोई लेखा नियमावली नहीं थी और क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय कार्यालय में आँकड़ों के निर्बाध समन्वयन के लिए कोई एकीकृत लेखा सॉफ्टवेयर प्रणाली उपलब्ध नहीं है।

ii) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तताः

हालाँकि, सीएमपीएफओ का अपना आंतरिक अंकेक्षण प्रकोष्ठ है, लेकिन सीएमपीएफओ की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए कोई निर्धारित आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली और स्वीकृत पद नहीं है। वर्ष 2024-25 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा लेखापरीक्षा के लिए चयनित 20 क्षेत्रीय कार्यालयों में से, इस अवधि के दौरान केवल सात क्षेत्रीय कार्यालयों का ही लेखापरीक्षा किया गया। इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा सीएमपीएफओ के आकार और संचालन की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त और अनुरूप नहीं हैं।

(iii) अचल संपतियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:

जीएफआर 2017 के नियम 213 के अनुसार, अचल संपत्तियों का वर्ष में कम से कम एक बार सत्यापन किया जाना आवश्यक है। हालाँकि, सीएमपीएफओ ने वर्ष 2024-25 के दौरान अपनी अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

(iv) इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:

सीएमपीएफओं द्वारा कोई इन्वेंट्री नहीं रखी जाती है, इसलिए यह लागू नहीं है।

(v) वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में नियमितता:

लेखापरीक्षा में निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में ऐसी कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

च. सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान प्राप्त ₹10.82 करोड़ सहायता अनुदान में से, संगठन ₹10.82 करोड़ की राशि का उपयोग कर सका, जिससे 31 मार्च, 2025 तक अप्रयुक्त अनुदान के रूप में शून्य राशि शेष रह गई।

> अनिंद्य दासगुप्ता प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक

कोयला खान भविष्य निधि

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER COAL MINES PROVIDENT FUND

वार्षिक विवरण 2024-25 ANNUAL REPORT 2024-25

लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर रखे जाने वाले कागजात Papers to be laid on the table of Lok Sabha / Rajya Sabha अधिप्रमाणित / Authenticated

> (सतीश चंद्र दूबे) (SATISH CHANDRA DUBEY) कोयला राज्यमंत्री

Minister of State For Coal

मुख्यालय : कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद - 826001 (झारखंड)

HEAD QUARTER: COAL MINES PROVIDENT FUND ORGANIZATION, DHANBAD- 826001 (JHARKHAND)

1. INTRODUCTION:

1.1 Mandate:

The Coal Mines Provident Fund Organization has been entrusted with the responsibility of administering the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 and the Schemes framed there under, i.e. The Coal Mines Provident Fund Scheme 1948, Coal Mines Pension Scheme, 1998 and the Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme, 1976.

1.2 Schemes at a glance: Coal Mines Provident Fund Scheme, 1948:

The Coal Mines Provident Fund Scheme was originally introduced with effect from 12th May, 1947 in the State of Bihar and West Bengal. The scheme was subsequently extended to the whole of the country in view of the obvious need to provide old age retirement benefit to the employees engaged in the Coal Industry. The Scheme provides for lump sum benefits to the members after retirement from Coal Industry and to their family members in the event of death. The Scheme also provides for non-recoverable advances during the course of employment of the employee for defined purposes.

1.3 Coal Mines Family Pension Scheme, 1971:

With the passage of time, it was felt, that a lump sum amount by way of Provident Fund to the family of a worker was inadequate particularly in cases where the member died while in service. The Coal Mines Family Pension Scheme, introduced with effect from 1st March, 1971, provided for a regular monthly family pension in the event of death of a member while in service. Apart from monthly regular payment as family pension, an amount of ₹2000/- as Life Assurance Benefit was also payable. If the member superannuated or left service, he was entitled to get lump sum benefit ranging from ₹110/- to ₹9000/- depending upon the reckonable period of service, he/she put in, during the course of employment. With the implementation of CMPS-1998, CMFPS-1971 merged with CMPS-1998.

1.4 Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme, 1976:

With a view to inculcate a habit of thrift in a member of a Coal Mines Provident Fund and to help his/her survivors, a Deposit Linked Insurance Scheme was introduced with effect from 1st August 1976. On death of an employee, who is a member of the Coal Mines Provident Fund, the person entitled to receive the Provident Fund accumulation of the deceased is paid an amount equal to the average balance in the account of the deceased in the Coal Mines Provident Fund during the preceding three years not exceeding ₹10,000/- provided the average balance in the Coal Mines Provident Fund account of a deceased employee is not below the sum of ₹1,000/- at any time during the preceding three years.

1.5 Coal Mines Pension Scheme, 1998:

Coal Mines Pension Scheme, 1998 was introduced for the benefit of about eight lakh Coal Workers with effect from 31.03.1998. With the introduction of Coal Mines Pension Scheme, the erstwhile Family Pension Scheme, 1971 has ceased to operate. The family pensioners who were drawing benefits under the erstwhile Family Pension Scheme, 1971 continue to draw their family pension under the old Coal Mines Family Pension Scheme, 1971.

COAL MINES PENSION SCHEME, 1998.

One of the most important landmarks in the history of Coal Mines Provident Fund Organization is the introduction of Coal Mines Pension Scheme, 1998 that was notified by the Central Government on 5th March, 1998.

In exercise of the powers conferred by Section 3E of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948) and in suppression of Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government has framed the Coal Mines Pension Scheme, 1998.

The Coal Mines Pension Scheme came into force with effect from the 31st day of March 1998. Consequent upon its enforcement, about eight lakhs coal workers, working in different coal mines within the country instantly benefited with effect from that day and also benefitted to the new CMPS members joined this scheme after that day. The corpus of the Fund and its sustainability and kinds of benefits to be granted to the beneficiaries are given below -

2.1 Corpus of the Pension Fund and its sustainability:

- (a) Net assets of the Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 as on the appointed day i.e. 31/3/1998.
- (b) An amount equivalent to two and one third percent of the salary of the employee, being the aggregate of equal shares of the employee and the employer from their respective contributions to the Provident Fund, to be transferred from the appointed day from the Provident Fund of the employee.
- (c) An amount equivalent to "two percent" of the basic and dearness allowance paid of the employee from the first day of April, 1989 or the date of joining, whichever is later, up to the 31st day of March, 1996 and "two percent" of the "notional" salary of the employee from the first day of April, 1996 or the date of joining, whichever is later, to be transferred from his "salary" (The word salary substituted by the words Basic plus D.A. paid vide GSR 689[E] dated 29.8.2000).
- (d) An amount equivalent to one increment to be calculated on the basis of the salary of the employee as on the 1st day of July, 1995 or the date of joining, whichever is later, to be transferred from the 1st day of July, 1995 or the date of joining, whichever is later from the salary of the employee:
- (e) An amount equivalent to one & two third percent of the salary of the employee to be contributed by the Central Government from the appointed day provided that in the case of an employee whose salary exceeds Rupees One Thousand Six Hundred per month the contribution payable by the Central Government shall be equal to the maximum of the amount payable on the salary of Rupees One Thousand Six Hundred per month only.
- (f) Amount to be deposited in terms of the provisions of the proviso to sub paragraphs (2) and (4) of paragraph 4 of Coal Mines Pension Scheme 1998.
- (g) Vide Gazette Notification under GSR No. 540(E) published on 08 June 2018 with effect from 1st day of Oct 2017, instead of contribution as provided in (b), (c), (d) above contribution equivalent to seven percent of the salary of the employee calculated on payable basic and Variable Dearness Allowance (VDA) and equal contribution from the employer, from the first day of October, 2017 or the date of joining, whichever is later is to be deposited.

Vide Paragraph 5 of GSR No. 119(E), dated 17.02.2023 in the CMPS' 98 in the subgraph 2 of Paragraph 9 for the words brackets, letters and figure "clause (b), (c) (d) (e) and (f) of paragraph 3" the words' brackets' letters and figure "clauses (e) (f) and (g) of paragraph 3" shall be substituted.

The valuation of Pension Fund will be made every third year by an Actuary.

2.2 Coverage/Eligibility of Pension:

- (a) All employees who are members of the Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 and are on rolls as on 31st March 1998.
- (b) All such employees who are appointed on or after 31st March 1998.
- (c) All such optee members who opted for membership of the Pension Fund in form PS-1 or PS-2 as the case may be.
- (d) All members who died on or after the 1st day of April, 1994 to the appointed date i.e. 31.03.1998 shall be deemed to have exercised the option of joining the Scheme on the date of death.

(e) All ceased members of CCLSPF/CMALSPF from 01.04.1994 to 07.10.2002 and those who are on roll as on 08.10.2002 covered under CMPS'98 excluding those who did not opt to join the CMPS'98.

2.3 Benefits:

(a) Superannuation/ Retirement/Disabled Monthly Pension:

- (i) 25% of average of the emoluments or not less than ₹ 1000/-* per month for those employees who have superannuated after rendering thirty years of pensionable service.
- (ii) An employee who has rendered less than thirty years of pensionable service but more than ten years of pensionable service, on attaining the age of superannuation, will get the pension calculated on the basis specified herein.

Length of pensionable service X 25% of the average emoluments

- (iii) In case of an employee who has rendered 10 years of pensionable service and would be attainting the age of superannuation within a period of 10 years (Modified from 20 years to 10 years*) and opts to retire from service before attainting the age of superannuation, the amount of monthly pension payable to such employee shall be determined on the basis specified in Schedule-2 of Coal Mines Pension Scheme, 1998.
- * vide Paragraph 6 of GSR No. 119(E) Dated 17th February 2023 Sub-paragraph (3) of Paragraph 10 shall be substituted, namely "Where an employee having completed ten years of pensionable service and would be attaining the age of fifty years, the amount of monthly pension payable to such employee shall be determined on the basis specified in Schedule-2"
- (iv) Where an employee has not completed 10 years of pensionable service on attaining the age of superannuation or opts to leave service, or his services are terminated or becomes disabled before completion of 10 years of pensionable service, the amounts payable by way of return of contribution to such employee shall be determined on the basis specified in Schedule-3 of Coal Mines Pension Scheme, 1998.

An employee on being permanently handicapped or disabled because of bodily or mental infirmity while in service and has been declared as such by a competent Medical Board, will month provided he/she has rendered 10 years of pensionable service.

(c) Widow or widower Monthly Pension:

- (i) Widow or widower pension payable on death after superannuation/retirement of an employee will be equivalent to 60% of monthly pension which the member was drawing on his date of death, subject to a minimum of ₹ 1000/-* per month.
- (ii) On death of an employee in service before attaining the age of superannuation his/her widow or widower will get pension equal to 66.6% of the monthly pension of the employee which he/she would have become entitled on the day of death subject to a minimum of ₹ 1000/-* per month.
- * Vide Gazette Notification No. G.S.R. 165(E) dated 08/03/2024, in the CMPS'98, subparagraph (1) of Paragraph 10, paragraph 11 and sub-paragraph (3) & (4) of paragraph 12 for the words ₹ 350/-, ₹ 350/-, ₹ 250/- and ₹ 350/- respectively the words ₹ 1000/- for each shall be substituted.

(d) Children Pension:

(i) After the death of an employee from the date following the date of his/bealong with surviving spouse two of the eldest sons or unmarried case may be, till the sons attaining age of 25 years or a daughters till the date of her marriage which the Children Pension.

- (ii) The amount of monthly children pension payable after the death of an employee shall be equal to 25% of the amount of widow or widower pension for each son or daughter as the case may be or not less than ₹ 100/- for each child.
- (iii) After the death of an employee or pensioner, as the case may be, from the date of following the date of his or her death, the son or daughter of such deceased person, permanently and totally disabled, shall be entitled to disablement pension till life or until getting regular employment in the Central or State Government, as the case may be, and the amount of monthly disablement pension payable after the death of an employee or pensioner shall be equal to twenty five per cent of the amount of widow or widower pension for each disabled son or daughter, as the case may be, or not less than rupees one hundred and ten for each disabled child or orphan.#

Vide Gazette Notification No. G.S.R. 4336(E) dated 04/10/2023, in the CMPS'98, in paragraph 13 after sub-paragraph (2), sub-paragraph (3) shall be inserted.

(e) Orphan Pension:

- [i] In case, there is no surviving widow or widower at the time of the death of an employee, from the date following the date of his/her death or otherwise, two of the eldest sons or unmarried daughters, as the case may be, till they attain the age of 25 years and in case of unmarried daughter, till the date of her marriage, whichever is earlier shall be entitled for Orphan Pension in lieu of children pension.
- [ii] The amount of monthly Orphan Pension payable after the death of an employee or the widow/widower shall be equivalent to 50% of the amount of widow/widower pension or not less than ₹110/- for each orphan.

3. IMPORTANT DEVELOPMENT AND PERFORMANCE:

3.1 Meetings of the BOT:

The Fund vests in the Board of Trustees of the Coal Mines Provident Fund constituted under Section 3A of the CMPF Act, 1948. During the period under report, three meetings of the Board of Trustees were held on 29/07/2024, 28/11/2024 and 17/01/2025.

3.2 Amendment in Coal Mines Pension Scheme, 1998 during April 2024 to March 2025.

No amendment has been made in existing Coal Mines Pension Scheme during 2024-

3.3 Amendment in Coal Mines Provident Fund Scheme during April 2024 to March 2025.

No amendment has been made in existing Coal Mines Provident Fund Scheme during 2024-25.

3.4 Disbursement of Pension under Coal Mines Pension Scheme, 1998.

Agreement was made with designated Nationalized Banks for smooth and timely payment of pension to all eligible pensioner under CMPS, 98.

3.5 Implementation of Rajbhasha:

To raise awareness and implement the Union's official language policy, the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Government of India, conducted a "Official Language Fortnight" from 14th September 2024 to 30th September 2024 in the Headquarters and Regional Offices. During this period, the following programmes were organised to promote and disseminate the official language Hindi: -

- During this period, six competitions were organised: an essay competition, a Hindi typing at computer competition, a Noting and Drafting competition, a Quiz forum competition, a poetry recitation competition, and drawing and painting completion for children competition.
- 2. In celebration of the closing ceremony of Hindi Diwas, a kavi sammelan was organized on 07.10.2024, in which local Hindi poets were invited.
- 3. The 21st issue of the organization's house magazine Kalyani was published this year.
- 4. The first All India Official Language Conference was organized on 29-30 January 2025 at CMPFO Headquarters Dhanbad in which the Heads of all the 21 regional offices of Coal Mines Provident Fund Organization and the personnel in charge of the work of official language Hindi were present. In this conference, Joint Director (Official Language), Ministry of Coal was invited as the keynote speaker. Besides this, the Joint Director (Official Language) held discussions with all the regional heads and reviewed the implementation of the Official Language Policy of the Union.
- From Regional Implementation Office, Kolkata, Coal Mines Provident Fund Organization
 was awarded the second Prize for outstanding performance in Eastern Region for the year
 2023-24 in the Official Language Conference held on 05.03.2025 at Guwahati, Assam.
- The Municipal Official Language Executive Committee awarded the third prize to the Coal Mines Provident Fund Organisation, Headquarters Office for outstanding performance in the field of Official Language.
- To review the implementation of Official Language Policy of the Union, a meeting of the Official Language Implementation Committee was held quarterly which the Hon'ble Commissioner himself chaired.

4. YEAR AT A GLANCE

The following statistics present the performance of the Organization during the year 2024-2025.

4.1	20/1	Covered units	During the year 2024-2025	As at the end of the year
	i)	Coal Mines including ancillary organization covered	19 May 17" 7	805
4.2		Number of Subscribers	initiatules at all'a	
	i)	Coal Mines Provident Fund Scheme, 1948		331857
	ii)	Coal Mines Pension Scheme, 1998		351567
4.3		Contribution Received		(In crores)
	i)	Provident Fund Contribution (Member's and Employer's shares)	8462.41	
	ii)	Pension contribution including additional contribution (4936.96+700.81)	5052.07	
	iii)	Government contribution to Pension Fund	10.81	
	iv)	DLI Contribution (Employer's share only)	0	
	v)	Government contribution to DLI Fund	0	
4.4		Contribution in arrears for Coal Mines Provident Fund only		
	i)	For pre-nationalization period		
4.5		Unit of contribution posted in individual ledger.		
	i)	From 'VV' Statements	805	4
	ii)	From Suspense	Nil	
4.6	-11	Percentage of Posting	2024-25	
		From "VV" Statements		

4.7		Net Investment (Face Value)	During the year 2024-2025	As at the end of the year
	i)	Coal Mines Provident Fund	6,248.31	1,27,830.60
	ii)	Coal Mines Pension Fund (Including Public A/c)	1,271.94	23,536.51
	iii)	Coal Mines Deposit Linked Insurance Fund	33.32	476.46
4.8		Rate of Interest allowed to members which is under approval of Competent Authority.	7.6%	
4.9		Settlement of claims for Refund of Provident Fund		
	i)	Claims settled	23,127	18,01,924
	ii)	Claims pending		32
	iii)	Amount paid (In Crores)	11,275.91	1,21,750.89
4.10		Settlement of claims for advance from Provident Fund	en et en un linit	
	i)	Claims for marriage advance	1347	565473
	ii)	Claims for Post Matriculation Education advance	134	22731
	iii)	Claims for House Building Advance	742	257243
4.11		Pending Claims for advance		
7.11	i)	Marriage Adv. Claims		14
			Little (all estimates)	
	ii)	Post Matriculation Adv. Claims	Santarea Si Cinital III	04
La	iii)	House Building Advance Claims	Carrelanes	10
4.12		Amount of advance paid (₹ in crore)	During the year 2024-25	end of the
	i)	Marriage advance.	108.59	year 3,998.7
	ii)	Post Matriculation advance	3.70	174.85
	iii)		106.57	
	iv)	Financing of Insurance Policies	100.07	7,012.01
4.13		Settlement of Claims under Coal Mines		
		Family Pension Scheme, 1971		*
	i)	Claims for Family Pension settled	0	
	ii)	Claims for Other Benefits settled	0	
	iii)	Claims for Family Pension Pending	0	
	iv)	Claims for Other Benefits pending	0	
	v)	Amount of Family Pension & Other Benefits paid (₹ In Crore)	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
4.14		Settlement of Claims under Coal Mines Pension Scheme, 1998	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	i)	Claims settled	26842	7,43,103
	ii)	Claims pending	20042	95
	iii)	Amount paid including Family Pension (₹ in Crore)	5242.68	93
1.15		Settlement of Claims under Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme	Charman III	
	i)	Claims for DLI settled	0	389
	ii)	Claims for DLI pending	Nil	Nil
	iii)	Amount paid	1111	11/11

5. COAL MINES PROVIDENT FUND SCHEME

5.1 Coverage and Membership:-

The Coal Mines Provident Fund Scheme having already been extended to all Coal bearing states, there is no scope for further territorial expansion unless new coal bearing areas come up.

- 5.2 During 2024-25, a total of 11814 employees were enrolled as new members of the Coal Mines Provident Fund as compared to 12021 members enrolled last year. 9079 employees were added as corrective measures. Exit from the Fund during the year was to the extent of 23127. Since exit is more than enrollment, live membership of the Fund decreased from 3,34,091 to 3,31,857 during 2024-25.
- 5.3 Region wise distribution of covered units and live membership as at the end of the year is shown below:

Region	No. of covered units other than Coke Plants	Live membership in Units other than Coke Plants
Dhanbad-I	61	12674
Dhanbad-II	45	20424
Asansol-I	35	13985
Asansol-II	34	14537
Asansol-III	44	12969
Ranchi-I	57	15724
Ranchi-II	59	21233
Jabalpur	53	24118
Chhindwara	30	7619
Bilaspur	56	38160
Nagpur	69	29632
Singrauli	19	23800
Godavarikhani	117	39120
Kothagudem	46	13016
Kolkata	3	410
Talchar	33	16428
Sambalpur	20	16649
Deoghar	12	4487
Margherita	5	5173
Delhi	7	1699
TOTAL	805	331857

6. INVESTMENT:

6.1 Face value of net additional investment during the year was ₹ 6248.31 crores as compared to ₹ 7748.65 crores last year. The total face value of the investment of Coal Mines Provident Fund was, thus, raised from ₹ 1,21,582.29 crores to ₹ 1,27,830.60 crores on 31st March 2025 as per details shown below: -

	(₹ In Crores)
Total face value of investment as on 01.04.2024	1,21,582.29
DEDUCT: Face value of matured securities proceeds whereof realized during 2024-25	8119.05
	1,13,463.24
ADD: Face value of investment made in 2024-25	14,367.36
Total face value of investment as on 31.03.2025	1,27,830.60

Done up to heare

6.2 Break-up of the Funds of entire investment in different types of securities as on 31st March, 2025 is as under:

Types of Securities	Face Value (₹ In Crores)	Book Value (₹ In Crores)
Central Government securities	12,744.73	12,902.77
State Government Securities	50,904.13	51,266.72
P.S.U.	37,964.05	38,130.03
Special Deposit Scheme	16,522.50	16,522.50
STG	1,479.10	1,484.21
PRIVET SECTOR BONDS	2125.68	2131.63
ULF	241.39	241.39
ETF	5,848.58	5,848.58
TOTAL	127,830.16	128,527.84

7. INTEREST:

According to para 61 (1) of the Coal Mines Provident Fund Scheme, the rate of interest payable to subscribers on their accumulations in the Fund for each financial year has to be approved by the Central Government in consultation with the Board of Trustees. For the year 2024-25, the rate of interest payable to the members of the Fund on the recommendations of the Board of Trustees is @ 7.6 % per annum.

8. POSTING OF CONTRIBUTIONS IN THE MEMBERS ACCOUNT

- 8.1 During the period under report the contribution of the members was credited in their accounts for the currency period ending 31st, March 2025, as per Form 'VV' after necessary check.
- 8.2 During the year 2024-25, 805 units were available through the 'VV' statement for the currency period ending 31st March, 2025.
- 8.3 During reporting year, ₹ 8462.41 crore were received in Suspense General Account as Provident Fund Contribution. This amount must be available to withdraw on receipt of VV statement of FY 2024-25.
- 8.4 During the year 2024-25 ₹ 8462.41 crores were received in Suspense General Account for credit to the individual member's account. This amount actually was due for posting to the individual account during the year 2025-26 for the CPE 3/2025. The total receipt of amount during that year comprised the following: -

		(₹ In Crores)
1.	Receipt of P.F. Contribution from Coal Companies	8462.41
ii.	Receipt of compensation from Commissioner of payment	0.00
iii.	Transfer of P.F. Contribution from other Establishment	0.00
iv.	Unclassified amount	0.00
v.	Voluntary Contribution	0.00
	Total	8462.41

ISSUE OF PASS BOOKS:

9.1 CMPF Members can view their updated status of their CMPF accumulation balance through C-Cares Portal.

10. LEGAL ACTION:

- 10.1 For default and delay in depositing contributions, three types of legal action lie against defaulters, namely levy of damages under Section 10F of the Coal Mines Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1948, institution of recovery proceedings under Section 10A and Criminal prosecution under Section 9 thereof. For levy of damages, the quantum thereof has to be determined by means of quasi-judicial proceedings under Section 7B of the Act.
- 10.2 M/S J & K Minerals Limited was defaulting in payment of contribution in respect of PF & Pension dues. The amount due from the Company was ₹ 68.36 Crores approx. as on 31st March 2025.

11. SETTLEMENT OF CLAIMS FOR REFUND:

11.1 A checklist stands furnished to Coal companies for scrutinizing claims for refund before submission to the Regional Offices of the Coal Mines Provident Fund Organisation. If the scrutiny is carefully made, all claims should come with complete information and documents. Unfortunately, due attention does not appear to have still been paid to this checklist as a result of which a large number of claims are still coming in incomplete condition. It takes considerable time in collecting wanting information/documents, which leads to delay in settlement of claims. The extent of submission of complete claims is indicated below:

Year	No of complete claims received	No. of Incomplete claims received	Total	Percentage of Total Incomplete claims received
2022-2023	24768	6235	30913	20.16%
2023-2024	22606	3222	25828	12.47%
2024-2025	22684	928	23612	03.93%

Claims are normally incomplete on account of the following: -

- i) The identity certificates of members are not furnished by the Management.
- ii) Death claims are not supported with required documents.
- iii) All the information required to be recorded by employer on the application form for refund are not furnished correctly after verification of records.
- iv) Bank Account of members where the amount is to be credited is not properly furnished.
- v) Discrepancies in the name/account number of any kind are not promptly elucidated.
- vi) Deduction of Pension Contribution has not been made properly as per scheme.
- 11.2 The necessity for submitting claims with complete information/documents has been repeatedly brought to the notice of Coal Companies and emphasized in Co-ordination Committee meetings at Area and other meetings at corporate levels. Government has also issued instructions to Coal Companies to ensure that all claims are properly scrutinized before submission and submitted with complete information. Resulting, percentage of Total Incomplete claims received is decreasing in few past years.
- 11.3 During 2024-25 total 23,127 claims were settled involving payment of ₹ 11,275.91 crores and the cumulative pendency on 31st March, 2025 were 32.

	Complete Claims	Incomplete Claims	Total
No. of claims pending as on 01.04.2023	3	181	184
No. of claims received during 2024-25	22684	928	(+) 23612
No. of claims settled during 2024-25	22680	447	(-) 23127
No. of claims rejected/closed during 2024-25	4	633	(-) 637
No. of claims pending as on 31st March, 2024	3	29	32

11.4 Region wise breakup of above pertaining to refund cases is given below:

Srl. No.	Regional Office	Opening Balance	Receipt	Total	Settled	Closed/ Rejected	Pending
1	Dhanbad-I	18	1429	1447	1440	6	1
2.	Dhanbad-II	62	1184	1246	1208	38	0
3	Asansol-I	2	1090	1092	1080	11	1
4	Asansol-II	1	929	930	915	14	1
5	Asansol-III	4	977	981	977	4	0
6	Ranchi-I	3	826	829	802	25	- 2
7	Ranchi-II	14	1231	1245	1170	75	0
8	Jabalpur	18	1375	1393	1380	9	* 4
9	Chhindwara	1	677	678	671	6	1
10	Bilaspur	5	3744	3749	3722	25	2
11	Nagpur	14	1773	1787	1787	0	0
12	Singrauli	24	1525	1549	1380	151	18
13	Godavarikhani	7	2332	2339	2318	19	2
14	Kothagudem	0	1131	1131	942	189	0
15	Kolkata	0	136	136	136	0	0
16	Talcher	0	1475	1475	1475	0	0
17	Sambalpur	8	1540	1548	1511	37	0
18	Deoghar	0	183	183	160	23	0
19	Margherita	3	53	56	51	5	0
20	Delhi	0	2	2	2	0	0
	TOTAL	184	23612	23796	23127	637	32

11.5 Region-wise break-up of the claims pending as on 31.03.2025 is given below:

REGION	No. of complete claims pending as on 31.03.2025	No. of in-complete claims pending as on 31.03.2025	Total
Dhanbad-I	1	0	1
Dhanbad-II	0	0	0
Asansol-I	1	0	1
Asansol-II	0	1	1
Asansol-III	0	0	0
Ranchi-I	0	2	2
Ranchi-II	0	0	0
Jabalpur	0	4	4
Chhindwara	1	0	# 1
Bilaspur	0	2	2
Nagpur	0	0	0
Singrauli	0	18	18
Godavarikhani	0	2	2
Kothagudem	0	0	. 0
Kolkata	0	0	0
Talchar	0	0	0
Sambalpur	0	0	0
Deoghar	0	0	4 0
Margherita	0	0	0
Delhi	0	0	0
TOTAL	3	29	32

11.6 Comparative position of settlement of claims for Provident Fund is given below:

Year	No. of Claims settled
2022-2023	29605
2023-2024	24397
2024-2025	23127

11.7 Analysis of claims settled in 2024-25 according to reasons for withdrawal is given below:-

Reasons for Withdrawal	No. of claims settled
V. Retirement	421
Death	2276
Retirement	13784
Left / Resignation	4532
Permanent disability	1362
Retrenchment	07
Transfer to other industries/Migration to other country	00
Expiry of fixed term contract	708
Refund of Voluntary Contribution	37
Others	0
TOTAL	23127

12. ADVANCE FOR MARRIAGE:-

12.1 During the year under review a sum of ₹ 108.59 crores were paid to 1347 members for meeting expenses in connection with their marriages and that of their sons/daughters/dependent sisters Receipts, settlement and pendency of marriage advance cases during the year are shown below:

No. of applications for marriage advance pending as on 01.04.2024	24
No. of applications received during 2024-25	(+) 1407
Total:-	1431
No. of cases settled during 2024-25	
Balance:-	84
No. of applications closed/rejected during 2024-25	(-) 70
No. of applications pending as on 31st March, 2025	14

12.2 Region-wise break-up of marriage advance claims settled during 2024-25 and pending as on 31st March, 2025 is shown below:

Name of Regional	Self-Marriage advance		Marriage Advance		Son's Marriage Advance		Sister's Marriage Advance		Total	
Office	Settled	Pending	Settled	Pending	Settled	Pending	Settled	Pending	Settled	Pending
Dhanbad-I	1	0	50	0	42	0	1	0	94	0
Dhanbad-II	2	0	82	0	45	0	12	0	141	- 0
Asansol-I	1	0	32	0	8	0	0	0	41	0
Asansol-II	0	0	39	0	40	0	2	0	81	0.
Asansol-III	0	0	28	0	7	0	0	0	35	0
Ranchi-I	1	0	18	0	3	0	0	0	22	0
Ranchi-II	0	0	27	0	5	0	9	0	41	0
Jabalpur	0	0	66	0	12	0	8	0	86	0

Total	24	0	866	5	404	9	53	0	1347	14
Delhi	0	0	0	0	0	0	. 0	0 -	0	. 0
Margherita	1	0	3	0	1	0	0	0	5	0
Deoghar	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0
Sambalpur	4	0	33	0	14	0 "	4	0	55	0
Talchar	2	0	36	0	15	0	4	0	57	0
Kolkata	1	0	4	0	0	0	0	0	5	0
Kothagudem	1	0	40	0	25	0	2	0	68	0
Godavarikhani	0	0	198	0	69	0	2	0	269	0
Singrauli	0	0	14	5	8	9	0	0	22	14
Nagpur	1	0	- 60	0	. 41	0	2	0	104	0
Bilaspur	0	0	* 85	0	39	0	3	0	127	0
Chhindwara	9	0	45	0	30	0	4	0	88	0

13. HOUSE BUILDING ADVANCE:-

13.1 During the year under report a sum of ₹ 106.57 crores were paid to 742 members for purchase of dwelling house/site and for construction of dwelling house. Till the end of 31st March 2025, House Building Advances have been paid to 2,57,243 members on this account. Receipt, settlement and pendency of House Building Advance cases during 2024-25 are shown below:

No. of applications for House Building Advance pending on 01.04,2024	10
No. of applications received during 2024-25	(+)815
Total:-	825
No. of applications in which advance paid during 2024-25	
Balance:-	83
No. of applications rejected during 2024-25	(-)73
No of applications pending as on 31.03.2025	10

13.2 Comparative position of settlement of House Building Advance cases is as under:

	2022-23	2023-24	2024-25
No. of applications received	2335	844	815
No. of cases in which House Building advance paid	2308	832	742
No. of cases pending at the end of the year	14	10	10
Amount paid during the year (₹ in crores)	311.10	138.06	106.57

13.3 Region-wise break-up of the case of House Building Advances settled during 2024-25 and pending as on 31st March 2025 are given below: -

REGION	No. of cases settled during 2024-25	No. of cases pending as on 31st March, 2025
Dhanbad-I	0	0
Dhanbad-II	13	0
Asansol-I	0	0
Asansol-II	0	0
Asansol-III	0	0
Ranchi-I	3	0
Ranchi-II	1	0

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2024-2025

Jabalpur	49	0
Chhindwara	114	0
Bilaspur	13	0
Nagpur	64	0
Singrauli	11	10
Godavarikhani	348	0
Kothagudem	17	
Kolkata	0	0
Talchar	60	0
Sambalpur	48	0
Deoghar	0	0
Margherita	1	0
Delhi	0	0
TOTAL	742	10

14. ADVANCE FOR POST-MATRICULATION EDUCATION OF CHILDREN: -

14.1 During the year under report a sum of ₹ 3.70 crores were paid to 134 members by way of advance for Post Matriculation Education of their children. Receipt, settlement and pendency of these cases during 2024-25 are shown below: -

No. of applications for Post Matriculation Education Advance pending on 01.04.2024	06
No. of applications received during 2024-25	(+)145
Total:-	151
No. of applications in which advance paid during 2024-25	(-) 134
Balance:-	17
No. of applications rejected during 2024-25	(-)13
No. of applications pending as on 31.03.2025	04

14.2 Comparative position of settlement of Post matriculation Advance cases is shown below: -

	2022-23	2023-24	2024-25
No. of Post Matriculation Education Adv. claims settled during the year	464	166	134
No. of Post-Matriculation Adv. claims pending at the end of the year	4	6	4
Amt. of Post Matriculation Adv. paid during the year (₹ In crores)	11.11	4.33	3.70

14.3 Region-wise break-up of the case of Post Matriculation Advances settled during 2024-25 and pending as on 31st March 2025 are given below: -

REGION	No. of cases settled during 2024-25	No. of cases pending as on 31st March, 2025		
Dhanbad-I	3	. 0		
Dhanbad-II	10	0		
Asansol-I	1	0		
Asansol-II	0	0		
Asansol-III	0	0		
Ranchi-I	0	0		

Ranchi-II	1		0 "	
Jabalpur	* 1	11-11 ×	0	
Chhindwara	30		0	Marie
Bilaspur	2	The second second	0	
Nagpur	12		0	
Singrauli	2	ministration	4	
Godavarikhani	51		0	
Kothagudem	6	2	0	
Kolkata	0		0	
Talchar	5		0	
Sambalpur	10		0	
Deoghar	0		0	
Margherita	0		0	
Delhi	0	*	0	
TOTAL	134		4	

15. FINANCING OF MEMBERS'S LIFE INSURANCE POLICIES:

15.1 During 2024-25 no new policy was received for being financed from the member's Provident Fund. There was no receipt of claims either under the Scheme.

16. RESERVE ACCOUNT AND ITS UTILISATION:

- 16.1 Reserve Account of the Coal Mines Provident Fund comprises of the following:
- i) Lump sum contribution: This represents as one-time special levy from employers at the inception of the scheme under para 32 of the Coal Mines Provident Fund Scheme.
- **ii) Forfeiture:** This represents amount of Employers' contribution and interest thereon forfeited in the cases of outgoing members leaving service of their own accord before completing 10 years' membership of the Fund and before attaining the age of 50 years. This clause has been omitted vide GSR No. 102 dated 22.01. 97.
- iii) Un-refunded contribution: This represents Provident Fund contribution collected by collieries in the erstwhile States of Rewa & Korea before introduction of the Coal Mines Provident Fund Scheme in those areas and remained un-refunded to workers.
- iv) Forfeited Bonus: This represents bonus due to workers but forfeited due to participation in illegal strike.
- v) Unclaimed Bonus: This represents bonus due to workers but remained undisbursed/unclaimed for more than six months.
- vi) Special Reserve Account: This reserve is fed by transfer from forfeiture referred to at (ii) above for refunding to outgoing members and nominee/heirs of deceased member's contribution which have not been deposited by employers.
- vii) Interest on Reserve Account: As the balance in Reserve Account stands invested alongwith Provident Fund pro-rata interest thereon is put in this sub-head of Reserve Account by transfer from the general interest pool.
- viii) Reserve Account Late Fee: This reserve has been created by transfer of Funds from the forfeiture account referred to at (ii) above for the purpose of paying late fee to Life Insurance Corporation of India for reviving Life Insurance policies of members which lapsed or became paid up due to non-remittance of premium from member's Provident Fund.
 - ix) Miscellaneous Reserve: This represents some small-unidentified deposits.
- 16.2 Presently there is no utilization of the following reserves:
 - Lumpsum contribution;

- ii) Unrefunded contribution of Rewa & Korea;
- iii) Forfeited Bonus
- iv) Special Reserve Account
- v) Interest on Reserve Account
- vi) Miscellaneous Reserve

17. COAL MINES PENSION SCHEME, 1998:

- 17.1 The Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 has been replaced by a new Coal Mines Pension Scheme, 1998 introduced with effect from 31.03.1998. The entire corpus of the Coal Mines Family Pension Fund was transferred to "Pension Fund" under Coal Mines Pension Scheme, 1998. However, the payment against the cases covered under ceased Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 also is being made out of the "Pension Fund".
- 17.2 During 2024-25, as on 31.03.2025 total pensioner and live membership under CMPS 1998 is 6,33,256 and 3,51,567 respectively.

Region wise distribution of pensioner and live membership as at the end of the year is shown below:

REGION	Pensioners Under CMPS'98	Live membership of CMPS'98
Dhanbad-I	61412	13212
Dhanbad-II	73007	13190
Asansol-I	38483	13233
Asansol-II	38034	11454
Asansol-III	48166	13470
Ranchi-I	29570	17651
Ranchi-II	41881	15041
Jabalpur	38666	34554
Chhindwara	33087	8489
Bilaspur	36665	42413
Nagpur	55611	28355
Singrauli	15866	25013
Godavarikhani	63072	40446
Kothagudem	23501	14248
Kolkata	3242	470
Talcher	10510	30147
Sambalpur	12603	21596
Deoghar	4652	4765
Margherita	4335	1700
Delhi	893	2120
Total	633256	351567

18. CONTRIBUTION:

18.1 Member's and Employer's contribution to Pension Fund has been modified to 7% share of Basic Pay and Variable Dearness Allowances each replacing all other contribution as mentioned under para 3(b), (c) and (d) of CMPS 98 being paid by employee & employer vide GSR No. 540(E) published on 08th June 2018 w.e.f. 01.10.2017.

Vide GSR No. 119(E), dated 17.02.2023 in the CMPS, 98, in paragraph 9, in sub-paragraph (2), for the words, brackets, letters and figure "clause (b), (c) (d)] (e) and (f) of paragraph 3" the words' brackets' letters and figure "clauses (e)' (f) and (g) of paragraph 3" shall be substituted.

The Central Government also contributes to the pension Fund at the rate of 1 & 2/3 % of total emoluments of the Members provided that in the case of a Member whose total

emolument exceed ₹1600/- per month, the contribution payable by the Central Government, shall be limited to the amount payable on his total emoluments of ₹1600/- per month.

18.2 Collection of contribution in the Pension Fund by way of Employee & Employer contribution as well as additional contribution @ Rs. 20 per ton and Central Government's contribution has been as under:

		Market and the second	(₹ In Crores)
	2022-23	2023-24	2024-25
Pension Fund	4367.40	5,637.77	5,052.07
Central Government's contribution	0.57	10.64	10.82

19. INVESTMENT:

- 19.1 As per provisions of the Coal Mines Pension Scheme monies of the Family Pension Fund are invested as deposit in Public Account maintained with PAO, New Delhi. During the year 2024-25 a further sum of ₹ 1,208.33 crores to be received as interest reinvested in this account raising the total deposit from ₹ 14,215.68 crores to ₹ 15,424.01 crores.
- 19.2 The deposit in Public Account now carries interest at the rate of 8.5%.

20. PAYMENTS OF BENEFITS:

- 20.1 The benefits under the Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 were of two natures. Recurring, i.e. monthly Family Pension paid to a family member of an employee dying in harness apart from a lump sum assurance grant of ₹2000/- in each case. The persons after retirement or termination of service get retirement or withdrawal benefits at the rate prescribed in the Scheme. This scheme has been seized after introduction of CMPS 98 and all the provisions have been subsumed under CMPS 98.
- 20.2 Comparative position of settlement of claims for family pension and other benefits under the Coal Mines Family Pension Scheme and payment under CMFPS/CMPS is shown below: -

Sr. No.	Nature	(400)400 (00)	claims tled	*Amount paid (Rs. In Crore)		
		2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	
i)	Claims for F.P.	0	0	* Included in	(viii) below	
ii)	Lump sum Life Assurance Benefit					
iii)	Retirement benefit	0	0	SHE IN THE		
iv)	Withdrawal benefit					
v)	Refund of F.P. Contrib.			5427.74	5242.68	
vi)	Re-Remittance pertaining to benefits mentioned at (iii) to (v)	0	0		02/2.00	
vii)	Deduct cases in which pension discontinued during the year	0	0	Sir.		
viii)	Cases in which F.P. paid		- 10			

20.3 It may be mentioned that the administrative cost of Coal Mines Provident Fund is met out of the Administrative charge paid by the Coal Companies and Coal Mines Pension Scheme by the Central Government and Coal Companies.

21. NET ACCRETION TO THE PENSION FUND:

21.1 The net balance standing to the credit of the pension Fund as on 31st March, 2025 was as under:

(*	In crores)
Opening balance as on 01-04-2024	22,898.90
Member's & Employer's contribution to Pension Fund during 2024-25	5052.07
Central Govt. contribution received in 2024-25	10.82

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2024-2025

Interest received during 2024-25 (Reserves & Surplus)	1,776.56
TOTAL	29738.35
Benefits paid during 2024-25	5242.68
Less: Other Adjustments	0.00
Closing Balance as on 31.03.2025	24,495.66

21.2 The aforesaid net balance of ₹ 24,495.66 crores is held as under:

			(₹ In Crores)
1	Deposit in Public Account carrying interest @ 8.5% #	P. M.D. M. H. H.M.	15424.01
2	Investment (Book Value)		8170.06
3	Loan, Advance & Another recoverable		432.37
4	Bank Balance		469.22
		Total	24495.66

22. FAMILY PENSION AND SETTLEMENT UNDER COAL MINES PENSION SCHEME'98: -

- 22.1 Family Pension is being disbursed by deposit in payee's Saving Accounts in Nationalised Banks w.e.f. 01.04.2011.
- 22.2 With the introduction of the Coal Mines Pension Scheme, 1998 all the assets and liabilities of the Coal Mines Family Pension have been transferred to Coal Mines Pension Fund Account.
- 22.3 During the year under report, claim in form PS-6/SAHAJ received for settlement of Pension under Coal Mines Pension Scheme, 1998 were settled as under: -

No. of Pension Claims pending as on 01-04-2024	475
No. of claims received during 2024-25	(+) 27852
Total:-	28327
Claims settled during 2024-25	(-) 26842
Balance:-	1485
Claims rejected/returned	(-) 1390
Claims pending as on 31.03.2025	95

22.4 Region wise breakup of above pertaining to pension cases is given below:

Region	Opening Balance	Receipt	Total	Settled	Rejected/ Returned	Balance
Dhanbad-I	120	1480	1600	1564	31	5
Dhanbad-II	148	1667	1815	1670	136	9
Asansol-I	12	1560	1572	1552	17	3
Asansol-II	0	1316	1316	1308	6	2
Asansol-III	3	1497	1500	1496	2 🕸 -	2
Ranchi-I	10	1226	1236	1188	47	1
Ranchi-II	38	1801	1839	1702	133	4
Jabalpur	28	1395	1423	1392	18	13
Chhindwara	2	880 ·	882	880	1	1
Bilaspur	.5	4019	4024	3957	66	1
Nagpur	6	2100	2106	2104	0	2
Singrauli	66	1067	1133	893	193	47
Godavarikhani	11	3084	3095	2893	201	1.
Kothagudem	0	1302	1302	851	451	0
Kolkata	5 279 284 277		5	2		
Talcher	1	1438	1439	1439	0	0
Sambalpur	13	1455	1468	1423	43	2

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2024-2025

TOTA	AL 475	27852	28327	26842	1390	95
Delhi	0	6	6	.6	0	0
Marghreta	* 7	85	92	87	5	0
Deoghar	0	195	195	160	35	0

23. COAL MINES DEPOSIT LINKED INSURANCE SCEME:

- 23.1 The Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme covers all members of the Coal Mines Provident Fund in terms of Provisions contained in Section 11C of the Coal Mines Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1948. Coal India Limited including its subsidiary companies and Singareni Collieries Company Limited has been granted exemption from the operation of Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme as they have introduced their own Life Cover Schemes, which are more beneficial to the employees. The exemption in the case of Coal India Ltd. is, however, in respect of their employees governed by N.C.W.A. of late, executives of the Coal India Ltd. and its subsidiary Companies also exempted from the operation of CMDLI Scheme, vide GSR No. S.O. 822(E) dated 24.03.2009.
- 23.2 Coverage under the statutory Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme is, thus, limited to the following:
 - i) Employees of Coal Mines owned by Damodar Valley Corporation;
 - ii) Employees of Coal Mines owned by Tata Iron & Steel Company Limited;
 - iii) Employees of Coal Mines owned by Indian Iron & Steel Company Limited;
 - iv) Employees owned by J & K Minerals Ltd.;
 - v) Persons employed through contractors in all Coal Mines.
- 23.3 Section 11C (3) (A) of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948, also provides for inspection of the units exempted from implementation of the scheme by the Inspectorate of Coal Mines Provident Fund Organization and also to pay inspection charges.
- 23.4 The Board of Trustees of CMPFO in its 174th meeting held on 05.10.2021 recommended for withdrawal of Scheme due to non-functional since long time and Ministry has instructed that process of re-write of CMPF&MP Act, 1948 should initiated.

24. CONTRIBUTION:

- 24.1 Employees do not have to make any contribution to the DLI Fund. Employers make a contribution at the rate of 0.5% of aggregative wages comprising of basic wages, dearness allowance and retaining allowance, if any. The Central Govt. also contributes an amount equal to half of the amount contributed by employers.
- 24.2 During 2024-25 contribution from employers to the Insurance Fund was amounting to ₹0.00 crores while Government contribution was ₹ 0.00 crores.

25. INVESTMENT:

25.1 It has been decided to invest the entire accumulations of the Coal Mines Deposit Linked Insurance Fund in Public Account carrying interest @ 7.50%. Thus a total sum of ₹ 443.22 crores stood in the Public Accounts as on 1st April 2024. During the period under report a further sum of ₹ 33.24 crores has been received as interest to be deposited in Public Account with Central Government. This has raised the total deposit to ₹ 476.46 crore as on 31st March 2025 from ₹ 443.22 crores as on 1st April 2024.

26. DISBURSEMENT OF BENEFITS:

26.1 So far as exempted Coal Companies are concerned payment of benefits under the Deposit Linked Insurance Scheme is restricted to cases of death that occurred before the date from which exemption became effective. For the un-exempted Coal Companies and for un-exempted categories of members in exempted Coal Companies, all cases of death were dealt with under the Deposit Linked Insurance Scheme.

- 26.2 During the year nil claims for DLI benefits were received. Therefore, a payment of ₹nil have been made for DLI benefits.
- 26.3 The Board of Trustees of CMPF in its 174th meeting held on 05.10.2021 recommended for withdrawal of Scheme due to non-functional since long time and accordingly amendment in CMPF and MP Act 1948 has been proposed to Central Government.

27. NET ACCRETION TO THE DEPOSIT LINKED INSURANCE FUND:

27.1 As the BoT has approved, the DLI is non-operational. On 31st March 2025, the net balance to the Deposit Linked Insurance Fund amounted to ₹ 476.46 Crores.

28. ORGANISATION:

- 28.1 The Fund vests in and is administered by a tripartite Board of Trustees, constituted under Section 3A of the Coal Mines Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1948. The tenure of Trustees consisting of employers, employees and state Government representative is as per notification in the Official Gazette with effect from such date as may be specified therein. The Constitution of the Board as on 13/09/2023 and 23/11/2023 has been shown in **Annexure-I**. The Board held **three** meeting during 2024-25 and its important recommendations has already been dealt with.
- 28.2 As Chief Executive Officer of the Board, Coal Mines Provident Fund Commissioner administers the three Schemes viz. Coal Mines Provident Fund Scheme, Coal Mines Pension Scheme and Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme, through its Headquarters office at Dhanbad and 20 Regional Offices spread across the country. A Location and jurisdiction of the offices have been brought out in **Annexure-II**.

29. INSPECTION:

- 29.1 For efficient administration of the scheme regular inspection is necessary. Inspection consists of three folds as indicated below -
- i) Inspection of collieries by Enforcement Officer and Officers with a view to verifying whether statutory provisions of the schemes are being adhered to by Coal Companies. These inspections are also intended for collection of wanting information & documents required for settlement of claims and for clearing un posted items.
- ii) Inspections of Regional Office are made by concerned Additional Commissioners under their jurisdiction and also by Regional Commissioners and other Officers in respect of Officer/branches under their respective control.
 - iii) Inspection by the Internal Audit Cell of the Headquarters Office.

30. ADMINISTRATION:

30.1 Against the sanctioned strength of 934 numbers of officers and staff in position as on 31st March 2025 is 583. As such 351 posts are lying vacant at the end of the year. Category-wise details of the strength sanctioned and in position have been given in **Annexure-III**.

31. WELFARE MEASURES FOR STAFF:

- 31.1. The bonus as declared for Central Government employees from year to year is being 'allowed to the employees of the Coal Mines Provident Fund.
- 31.2. The employees of the Coal Mines Provident Fund technically not being government servants, the Group Insurance Scheme introduced for Central Government employees could

not be extended to the employees of the Fund. However, the Life Insurance Corporation of India has introduced a Group Saving Linked Insurance Scheme providing the same life cover as in the case of Central Government employees and this has been extended to the employees of Coal Mines Provident Fund Organisation. During the year under report a sum of ₹ 44,508 (Rupees Forty Four Thousand Five Hundred and Eight only) has been paid to the Life Insurance Corporation of India on account of premium. Retirement Benefit amounting to ₹ 8,56,177.00 (Rupees Eight Lakh Fifty-Six Thousand One Hundred and Seventy Seven only) has been paid to 23 employees.

31.3 A scheme of death grants for providing lump sum cash benefit to the families of employees dying in harness is in vogue in this Organisation. This Scheme of death grant stands incorporated in the Coal Mines Provident Fund Staff Benevolent Fund Rules. With the approval of the Board the scheme came into force with effect from 01-04-1984. The new Scheme envisages a special contribution by officers and employees of the Organization in every case of death in harness. The Board also pays to the Benevolent Fund a matching grant equivalent to the special contributions so collected.

32. GRIEVANCE AND VIGILANCE:

32.1 A separate cell functions in the Headquarters Office for redressing grievances of the members, while grievances received in the Regional Offices are dealt with by Regional Commissioner themselves. Grievances are mostly about delay in settlement of claims and updating the individual accounts. As on 31.03.2025 a total of 29 grievance cases not having any vigilance angle were to be resolved in the Regional Offices and Headquarter Office of the Organisation. 970 cases were disposed off during the year.

32.2 On 31st March, 2025, a total of 29 cases awaited disposal as shown below: -

No. of non-vigilance complaints pending as on 01.04.2024	58
No. of non-vigilance complaints received during 2024-25	941
Total:-	999
No. of non-vigilance complaints disposed of during 2024-25	970
No. of non-vigilance complaints pending as on 31.03.2025	29

- 32.3 Notices were displayed at Regional Offices of the Fund that the members were to meet the Officers only and not any other person. The Officers were also advised to meet the members very cordially, to hear the grievance patiently and to ameliorate the same immediately. Where it was not possible to solve the problem due to the fact that some particulars were to be collected from Regional Offices located out-station, specific dates by which the same would be set right and on which date the member/ visitor should meet again was informed to the members.
- 32.4 As required under Paragraph 24 of the recommendation in 150th report presented to the Rajya Sabha on 31.03.2017, details related to the vigilance cases disposed off in financial year 2024-25 and the pending cases along with the nature of such cases are as under: -

Year	DI Cases disposed	CBI Cases disposed	DI Cases pending	CBI cases pending	
2024-25	05	01	09	10	

32.5 Apart from above, the committee also recommended to include the replies to the audit objections made by the organization along with the details related to the pending paras and RTI matters are to be incorporated in the annual report. For the year 2024-25, the report is shown below:-

RTI Annual Return Information System (2024-2025)

Annual Return Form Authority: - Ministry of Coal (Coal Mines Provident Fund Organisation)

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2024-2025

		Progr	ess in 2024-2025	The state of the		
	Opening Balance on 01.04.2024	Received during the 1st quarter (including cases transferred to other Public Authority)	quarter transferred to cluding cases other Public asferred to other Authorities			Decisions where requests/ appeals accepted
Requests	00	410	383	91	1	0
1 st Appeals	00	148	0	0	0	148
No. of Cas	es where disci	plinary action taken aga	ainst any Officer		0	
No. of CA	PIOs designate	ed No. of CPIOs de		No. of A. A.s Designated		
	0	2	1			
	No. of	times various provision	ns were invoked w	vhile rejection	ng requests	

			Re	levant S	ections of	of RTI	Act-200)5		DI L			
			Section	on 8 (1)							S	ections	S
Α .	ь	C	d	E	F	g	h	i	j	9	11	24	Othe
Amount of C	harges Colle	ected ((In ₹)										
Registration Fee Amount Additional Fee & Any other						her cha	rges	es Penalties Amount					
₹3810/-				512/-		0							
Last Date of the website o		he Pro	o-active	Disclos	ures on	Date -	- 23.01	.2024					
Name of the person who is entering/updating data					S.K. Pandit								
Designation of the person who is entering /updating data					Assistant Commissioner/CPIO								

33. ACCOUNTS AND AUDIT:

- 33.1 As required under Paragraph 68 of the CMPF,1948 read with Para 21 of CMPS, 1998 & read with Para 25 of CMDLI, 1976, Annual Accounts of the Coal Mines Provident Fund, Coal Mines Pension Fund and Coal Mines Deposit Linked Insurance Fund for the year 2024-25 are appended hereto as Various STATEMENTS.
- 33.2 The cost of administration of the Coal Mines Provident Fund Scheme is met out of levy of administrative charge from employers at the rate of 3% of total amount of compulsory provident contribution of members and employers. During the year 2024-25 there was an excess of income over expenditure on Administration Account to the extent of ₹ 449.17 crores. The Capital expenditure i.e. expenditure on land and building is met from revenue receipt. The Cumulative revenue surplus of the Administration account has increased from ₹ 4725.12 crores on 31st March 2024 to ₹ 5174.29 crores on 31st March, 2025.

33.3 Comparative Position of Income and Expenditure as Well as Surplus Is Indicated Below: - (₹ In Crores)

	2022-23	2023-24	2024-25
Total receipt in Administration Account (including interest on investment)	555.44	682.74	661.40
Total expenditure from Adm. Account	208.23	318.94	222.80
Revenue Surplus of the year	353.38	378.50	449.17
Less Prior Period Adjustment/Pension Adm. Loss adjustment	75.32 (41.78+33.54)	2.03	0.00
Cumulative revenue surplus at the end of the year	4348.64	4725.12	5174.29

33.4 The portion of cost of administering the Coal Mines Pension Scheme is borne by the Central Government. Administration expenses for common purposes of the Coal Mines Provident Fund and Coal Mines Pension Scheme are in terms of Provisions contained in the

Coal Mines Pension Scheme, required to be apportioned between the Administration accounts of the two Schemes.

33.5 The administrative expenses for Coal Mines Family Pension Scheme/Pension Scheme during 2024-25 were ₹ 2154.29 lakhs. Against this, contribution of ₹ 0.00 were received from Government. Thus there was an excess of expenditure over receipt to the tune of ₹ 2154.29 lakhs. However, as per provisions of para 18(3) of the Coal Mines Pension Scheme 1998, the expenditure meeting out of Provident Fund Administrative charge. Comparative position of receipt and expenditure as well as surplus is given below: -

			(₹ In lal
	2022-23	2023-24	2024-25
Administrative expenses of the F.P/ Pension Scheme including share of common expenses.	3685.14	3957.47	2154.29
Amount received from Central Govt. for administrative Expenses of the Coal Mines Pension Scheme	1665.00	0.00.	0.00
Excess/Less receipt over Expenditure	(-) 2020.14	(-) 3957.47	(-) 2154.29

33.6 The cost of administration of the Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme is met out of administrative charges paid by the employers at the rate of 0.1% or aggregate wages as well as from Government contribution to the extent of half of the administration charges paid by employers.

During 2024-25 Employer's contribution to the Central Administration Account of the Coal Mines Deposit Linked Insurance Fund was amounted to ₹ 08.15 lakhs.

During the year a sum of ₹ Nil lakhs has been received from Central Government towards Central Administration Account.

33.7 Consequent upon grant of exemption from the operation of Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme to the major Coal Companies, sanction for employing staff on D.L.I. Work was withdrawn by the Central Government. Consequently, proportionate share of expenditure on common items has been the only expenditure out of the Central Administration Account of the D.L.I Fund. As a result, there has been progressive increase in the accumulation revenue surplus in the Central Administration Account of the D.L.I. Fund. The excess of income over expenditure in D.L.I has been increased to ₹ 13.87 crores compared to ₹ 13.53 crores last year.

AUDIT: 34.

According to arrangements made by Central Government in pursuance of Para 59(i) of the Coal Mines Provident Fund Scheme with C & A. G., Annual Accounts of the Fund are being audited by A.G. of the state in which the Office of the Fund is located. As per this arrangement, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division), the C & A.G. of India has been entrusted to undertake the audit of accounts of the Coal Mines Provident Fund Organisation, Dhanbad in terms of Para20(1) of the C & A.G. (DPC) Act 1971 from 2008-2009. Accordingly, annual accounts of the organization for 2024-25 have been audited by the C & A.G. of India (PDCA, Kolkata). The Certificate of the Audit is the part of this Annual Report.

ANNEXURE-I

CONSTITUTION OF THE BOARD OF TRUSTEES, COAL MINES PROVIDENT FUND

CHAIRMAN

MEMBER EX- OFFICIO

1. The Secretary to the Government of India. Ministry of Coal, NEW DELHI. Pin-110001

2. C.M.P.F Commissioner, Coal Mines Provident Fund Organisation, Dhanbad (Jharkhand) Pin-826014

REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENT OF INDIA

- 3. Additional Secretary to the 4. Joint Secretary-cum- 5. Central Provident Government of India, (in-charge of Coal Mines Provident Fund Organisation affairs), Ministry of Coal, New Delhi-01
 - Financial Adviser, Ministry of Coal. New Delhi-01
- Fund Commissioner or his/her representative, Employees Provident Fund Organisation (EPFO)

REPRESENTATIVES OF THE STATE GOVERNMENT

- 6. Additional Chief Secretary 7. Additional Chief Secretary 8. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary rank officer nominated by the State Government of Odisha
- 9. Additional Chief Secretary 10. or Principal Secretary or Secretary rank officer nominated by the State Government of West Bengal
- Secretary rank officer nominated by the State Government of Chattisgarh
 - Additional Secretary or Principal Secretary Or Secretary rank officer nominated by the State Government of Telangana
- or Principal Secretary or or Principal Secretary or Secretary rank officer nominated by the State Government of Jharkhand
 - Chief 11. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary rank officer nominated by the State Government of Maharashtra

REPRESENTATIVES OF EMPLOYERS'

- 12. Chairman and Managing 13. Chairman and Managing 14. Chairman and Managing CIL, Coal Director, Bhawan, Premise No-04 MAR, Plot No. AF-III. Action Area-1A, Newtown, Rajarhat, Kolkata-700156 (W.B.)
 - Director, SCCL, Dist.-Bhadradri Kothagudem, Telangana -507101
- Director, MCL, P.O.: Jagriti Vihar, Burla, Dist-Sambalpur, Odisha-768020
- 15. Chairman and Managing 16. Chairman and Managing Director, SECL, Seepat Road, P.B. No. 60, Dist-Bilaspur Chattisgarh-495006
 - Director, CCL, Darbhanga House, Kutchery Road, Ranchi, Jharkhand-834029
- 17.Joint Secretary to the Government of India, (in-charge **CMPFO** of affairs), Ministry of Coal, New Delhi-01

REPRESENTATIVES OF EMPLOYEES'

- 18.Shri Ramendra Kumar, President,AITUC and General Secretary, IMWF, P.O.- Bhurkunda, Dist. Hazaribagh, Jharkhand-825301
- 21. Shri K. Lakshma Reddy, National Executive Member, Bharatiya Mazdoor Sangh State Office, TRT-141, Jawaharnagar, Hyderabad-500020
- 19.Sri Rakesh Kumar,
 President
 Koyala Mazdoor Sangh
 (HMS), Near Premier
 Nursing Home, P.O.
 Gopalpur, Asansol-713304,
 Dist- Burdwan (W.B.)
 - 22. Shri Ashish Krishna Murti, Treasurer, Akhil Bharatiya Khadan Mazdoor Sangh, Flat No. 202, Orange Height Apartment, Behind ESSAR Petrol Pump, Lahiri Krupa Society, Khamla, Nagpur-440024
- 20. Shri D. D. Ramanandan, National Secretary Centre of India Trade Unions, General Secretary, All India Coal Workers' Federation, 4C Binoy Shanti Priti Appt., Opp Jawahar Nagar, P.O. Kanke Road, Ranchi, Jharkhand-834008
- 23. Shri D.N. Singh,
 President, Coal Mines
 Officer's Association of
 India (Apex Body) and
 Chief Manager (Mining),
 CCL, Ranchi

ANNEXURE-II

COAL MINES PROVIDENT FUND

LIST OF THE OFFICES

Sl. No.	OFFICE	JURISDICTION	The Part of	DATE OF SETTING UP
		AREA/DIVISION	COMPANY	SETTING OF
1	Headquarters Office, Dhanbad	Supervision, Control and Co-ordination in respect of all Regional Offices.	14 7 3	1949
2	Zonal Office, Ranchi	RO at Dhanbad, Ranchi and Asansol		March -2017
3	Zonal Office, Bhubaneswar	RO Sambalpur, Bilaspur, Jabalpur, Delhi	2-11	March -2017
4	Zonal Office, Hyderabad	Staff Training College, NEDPC & RO Singrauli, Kothagudem, Godavarikhani & Nagpur,		March -2017
5	Dhanbad-I	Area No. II,IV,VII,VIII,VIII, IX, (Bhalgora),XII BCCL., (H.Q), Sudamdih,	BCCL,CIL, CMPDIL	OCT,1971
6	Dhanbad-II	Area I, Block II, Area III, IV, V, X, XI, K.P. Area, IISCO & TISCO Cells	BCCL, IISCO, TISCO	FEB. 1981
7	Asansol-I	Area Pandaveshwar, Bankola, Kenda, Jhanjhra & Sonepur Bazar Area	ECL	OCT, 1971
8	Asansol-II	Area -Kajora, Kunustoria, Satgram.	ECL	AUG. 1981
9	Asansol-III	Sripur, Sodpur, Sitarampur, ECL H.Qr. & C.M.P.D.I.L. Region –I, Area – Salanpur, Nirsa, Kapasra	ECL, CMPDIL	OCT. 1971
10	Ranchi-I	Area – N.K. Piperwar, Rajhara, Sikmi (J.M.D.C. Mines)	CCL, CMPDIL, JMDC	OCT. 1977
11	Ranchi-II	AGM Charhi, Sirka Argada, Barkakana AGM, W.Bokaro, Kuju, Sounda AGM, Rajrapa AGM., Dhori, B&K, Kathara, Giridih, DVC	CCL, TISCO, DVC	SEPT. 1981
12	Jabalpur	Area-Hasdeo, Chirimiri, Sohagpur, Baikunthpur, Jamuna & Kotma, Johila Bisrampur	SECL	FEB. 1972
13	Chhindwara	Pench & Kanhan.	WCL, SECL	SEPT. 1981
14	Bilaspur	Area – Korba, Kusmunda, Gerea, Raigarh, SECL H.Qrs, Bilaspur, CMPDIL, R – V.	SECL	SEPT. 1981
15	Nagpur	Area – Nagpur, Chandrapur, Ballapur, Majri, Vani, Patharkera, WCL H.Qrs.	WCL, CMPDIL	SEPT. 1981
16	Singrauli	Singrauli, Bina, N.C.L. H.Qrs.	NCL, CMPDIL	AUG. 1981
17	Godavarikhani	Ramagundam, Gr. I, II, III, IV, Ballempalli Gr. Sreerampur Area, Ramakrishna, Mandmari, CIL M/S SCCL	SCCL, CIL	SEPT. 1973
18	Kothagudem	Kothagudem, Gr. Yellandu, Majugru Div. SCCL H.Qr.	SCCL	SEPT. 1981
9	Kolkata	Offices of Coal India and Offices/Units of Coal Companies.	CIL, ECL, BCCL, CCL	JAN. 1981
20	Talcher	Area – Talcher, Jaganath, Kalinga, Basundhara, Independent Unit.	MCL, CMPDIL	SEPT. 1981
21	Deoghar	Chitra, J.P., Rajmahal OCP., Area Rajmahal, Simlong.	ECL	DEC. 1981
2	Margherita	North Eastern Coal Fields	NECL	MAR. 1982
.3	Sambalpur	Area – Ib Valley, Orient, Lakhanpur, Central Workshop	MCL, CMPDIL	MAY 1997
4	New Delhi	Kalakot, RSO Lucknow, Delhi, Chandigarh & Jaipur	J&K Min. Ltd. RSO of CIL	MARCH 2020



ANNEXURE-III

SI No	STRENGTH OF OFF	SANCTIONED STRENGTH	STRENGTH IN POSITION	DEFICIENCY	REMARKS
1	.2	3	4	5	6
1	CMPF Commissioner	1 ,	1	0	
2	Chief Vigilance Officer	1	1	0	
3	Additional Commissioner	3	1	.2	H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. 4	Finance Advisor	1	0	1	-
5	Regional Commissioner-I	19	5	14 ·	
6	Regional Commissioner-II	28	9	19	
7	Senior Finance Officer	2	0	2	
8	Finance Officer	4	0	4	
9	Assistant Engineer (Civil)	1	0	1	(0)
10	Assistant Commissioner (IT)	1.	0	1	
11	Assistant Commissioner	35	21	14	
12	Assistant Director (OL)	I	1	0	
13	Personal Secretary	1	1	0	
14	Enforcement Officer	60			
15	Account Officer	40	74	26	*
16	P.F. Inspector (Abolished post)	0	2	-2	
17	Section Officer	170	115	55	
18	Senior Translation Officer	5	5	0	
19	Stenographer Grade-I	. 9	9	0	. 15
20	Stenographer Grade-II	11	3	8	-
21	Junior Translation Officer	10	10	0	
22	Senior Social Security Assistant	138	131	7	
23	Stenographer Grade-III	11	0	11	
24	Social Security Assistant	322	133	189	
25	Upper Division Clerk (Abolished post)	0	2	-2	
26	Driver Gr-I (Abolished post)	0	1	-1	
27	Driver Gr-II (Abolished post)	0	3	-3	
28	Driver Ordinary Grade (Abolished post)	0	7	-7	
29	MTS	60	48	12	
	Total:-	934	583	351	+ 2



कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER COAL MINES PROVIDENT FUND

वार्षिक लेखा 2024-25 ANNUAL ACCOUNTS 2024-25

लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर
रखे जाने वाले कागजात
Papers to be laid on the table of
Lok Sabha / Rajya Sabha
अधिप्रमाणित / Authenticated

(सतीश चंद्र दूबे)
(SATISH CHANDRA DUBEY)
कोयला राज्यमंत्री
Minister of State For Coal

मुख्यालय : कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद - 826001 (झारखंड)
HEAD QUARTER: COAL MINES PROVIDENT FUND ORGANIZATION, DHANBAD- 826001 (JHARKHAND)

COAL MINES PROVIDENT FUND

BALANCE SHEET AS ON 31.03.2025

CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	(Amount - ₹) As on 31.03.2025	(Amount - ₹) As on 31.03.2024
Corpus/Capital Fund Reserve & Surplus Current Liabilities & Provisions	- 00	1,182,749,439,909.81 88,552,687,057.32 50,562,314,932.46	1,198,272,658,947.87 14,764,738,938.47 50,028,952,594.08
Total	11	1,321,864,441,899.59	1,263,066,350,480.42
ASSETS			
Investments Current Assets, Loans & Advances	4 10	1,285,278,385,806.83 36,586,056,092.76	1,224,584,822,120.48 38,481,528,359.94
Total		1,321,864,441,899.59	1,263,066,350,480.42

Contingent Liabilities and Significant Accountin

27-06-2025 PLACE: THAN BAD DATE: (SANTOSH'KO ASSISTANTCON

(NIRANJAN KR. MISHRA)
REGIONAL COMMISSIONER

(SAJEESH KUMAR N) (COMMISSIONER)

Commissioner, CMPF Organisation Sajeesh Kumar N. आयवत, को० छ० भ० नि० संगठन सजीश कुमार एन. धनबाद

COAL MINES PROVIDENT FUND

INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2025



(SAJEESH KUMAR N Commissioner, CMPF Organisation (COMMISSIONER) Saleesh Kumar N. आयुष्त, को० खा० भ० नि० संगठन POWLE SPHIT RT

(NIRANJAN KR. MISHRA)
REGIONAL COMMISSIONER

ASSISTANIT CON

Significant Accounting Policies

129

RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDING 31.03.2025

COAL MINES PROVIDENT FUND (MAIN) ACCOUNT

र सबीय कुमार एन.	C A MARINE				1
495,368,567,038.05	<u> </u>	629,245,812,390.71	495,368,567,038.05		629,245,812,390.71
	, de 19.		84,824,143,841.20	Contribution	99,268,611,075.23
	*		4	Pension Admin. (Govt. Contribution) DLI Main Account Amount Receivable from Pension Main subsequent contri bution	80,601,588.00 712,868,002.24
4,340,483,695.58	UTI AMC BANK SBI Main A/c - I (Surabhi)	4,187,319,508.35 2,719,255,943.50	108,200,000.00	Contribution Govt. & Others Pension Main Account (Govt. Contribution)	106,400,000.00
5,661,00 7,390,00	BOI Mumbal Canara Bank Dhanbad Cata and Marchanbad	Committee Committee	28,795,809.36	Earnest Money Deposit Interest on Surabhi Account No. I	132,975,196.00
2,218,945,641.02	SBI Main A/c - I IDBI Main Account		32,703,910.43	Interessi on Maturity ULF Misc. Receipt (Investment)	26,587,850.65
	P.F. Admin. Account EMD Bank & Cash Closing Balance	-	11,763,116,975,00 2,587,460,381,69 1,236,157,008.00	interest on SDS Interest on Private Sector Undertaking Interest on STG	11,730,977,311,89 3,661,031,329,70 1,677,053,633,00
295,201,588.00	Interest Paid on STG Amount transfer to Pension Main Account		35,003,125,691.69 28,440,065,741.00	Interest on State Govt. Security Interest on Public Sector Undertaking Interest on FD / STDR	31,667,248,818.30 25,076,940,869.03
9,930,56	Interest Paid on State Govt. Interest Paid on PSU Interest Paid on PVT	41,849,889.37	11,095,096,119,00	ETF Interest Income & Misc. Receipts Interest on Central Govt. Security	12,079,099,759.00
20,058,219.13	Interest Paid on Security Fundasse Interest Paid on Central Govt. Security Interest Paid on PSU	7,606,557.38	9,731,266,934,59 226,682,887,216,15 1,350,000,000,00	CMILSPH Private Sector Bonds U. L. F STG	12,577,468,756,23 362,796,476,575,79 2,949,000,000,00
115,942.62	Expenses Bank Charges	5,092,186.83	8,265,500,000,00 29,234,140,000,00 32,609,600,000,00	Investment Redemption Central Govt. Security State Govt. Security Public Sector Undertaking	8,284,800,000,00 42,375,280,000,00 7,703,600,000,00
113,916,454,543.76	Setteiment made during the year Subsequent Contribution	101,386,633,474.85	4.187,319,508.35 2,719,255,943.50	UTI AMC BANK SBI Main A/c-I (Surabhi)	1,950,199,479,60
226,734,443,670.00 10,411,934,747.22	Private Sector Bonds ULF ETF	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	1,864,603,965.76 5,661.00 7,390.00	Account II (Region) BOI Mumbel Canarra Bank Dhanbad	3,613,821,538,00 5,661,00 7,390,00
87,234,333,450.00 45,895,531,000.00	Investments Central Govt. Security State Govt. Security Public Sector Underteking STDR / T Bill / FD	97,472,250,154.99 46,073,247,500.00	1,043,432,213,00 500,000.00	Bank & Cash Opening Balance SBI Main A/c - I IDBI Main Account	851,357.07 500,000.00
(Amount - ₹) FY 2024-25	Payment	(Amount - ₹) FY 2023-24	(Amount - ₹) FY - 2024-25	Receipt	(Amount - ₹) FY 2023-24

(SAJEESH KUMAR N) Səjəəsh Kumar N.
(COMMISSIONER) গ্রামুখন, কাত স্তাত মত নিত মান্তন
Commissioner, CMPF Organisation Disambad



SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

CORPUS / CAPITAL FUND (SCHEDULE - 1)

Opening Balance
Add: Recd. during the year
Less: Adjustments during the year
Closing Balance (G)

Total (A+B+C+D+E+F+G)

1,182,749,439,909.81

1,198,272,658,947.87

1,031,237,888.85

14,888,420,020.85 1,154,068,980.00 1,154,068,980.00 14,888,420,020.85

14,888,420,020.85

RESERVES & SURPLUS ACCOUNT (SCHEDULE - 2)

		3	(a)
Total	CARES Add: Excess of income over Expenditure Closing Balance	(1") Interest Suspense Opening Balance Add:-Prior Period Adjustment Add: Transferred from - Contribution with interest and VC head in order to update flaures with C-	(a) Reserves & Surplus Account
88,552,687,057.32	77,299,630,415.50 (3,511,682,296.65) 88,552,687,057.32	14,764,738,938.47	(Amount -₹) As on 31.03.2025
14,764,738,938.47	510,642,054,02 14,764,738,938.47	15,206,677,220.45 (952,580,336.00)	(Amount -₹) As on 31.03.2024

CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS (SCHEDULE - 3)

sin.

Total	 (a) Amount Payable to DLI Main Account (b) Amount Payable to DLI Admn Account (c) Amount Payable to Pension Administration (d) Amount Payable to PF Admn. (e) Unclassified Contribution (f) Amount navable to Pension Main 	
50,562,314,932,46	11,734,876.56 18,739,121.00 1,323,609,000.00 10,200,362,202.04 39,007,869,732.86	(Amount - ₹) As on 31.03.2025
50,028,952,594.08	11,734,876.56 18,739,121,00 1,323,609,000,00 9,479,998,276.66 39,007,869,732.86 187,001,588,00	(Amount - ₹) As on 31.03.2024

INVESTMENTS (SCHEDULE - 4)

40,073,000,307.00	1.285.278.385.806.83	Total
2,214,915,500.64	2,413,851,948.48	(i) ULF (Annexure - G)
165,225,032,556.00	165,225,032,556.00	(g) Special Deposit Scheme (Annexure - F)
16,272,981,189.02	14,842,114,389.02	(e) STG (Annexure - E)
31,147,515,807.14	21,316,327,262.65	(d) Private Sector Bonds (Annexure - D)
368,597,251,781.41	381,300,347,226.41	(c) Public Sector Bonds (Annexure - C)
455,808,935,054.43	512,667,194,342.21	(b) State Government Securities (Annexure - B)
137,244,303,874.19	129,027,696,977,19	(a) Central Government Securities (Annexure - A)
31.03.2024	31.03.2025	

CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES (SCHEDULE - 5)

(a) Amount Receivable from Pension Account	
	(Amount -₹) As on 31.03.2025
gr.	1(Amount • ₹) As on 31.03.2024

Total(A+B+C)	Total(C)	(g) STG (Annexure - O) (h) Surabhi	_			Cash & Bank Balance (a) SBI Main A/c - I (a1) SBI Main A/c - I (Surabhi) (b) Balance with Bank A/c II Regions (Annexure - I) (c) Bank of India (Mumbai). (f) Canara Bank (Dhanbad) A/c No 0251201002067 (g) IDBI Bank Account No. I (H.Q.) A/c No 012103000003698 (i) Bank UTI (j) Bank SBI MF	Total(A)
36,586,056,092.76	25,725,572,146.00	331,772,918.00	547,209,018.00 2,892,569,748.00	2,231,943,831.00 8,611,262,788.00 11,110,813,843.00	10,860,483,946.76	2,218,945,641.02 5,176,584.00 1,433,334,475.62 5,661.00 7,390.00 500,000.00 4,340,483,695.58 2,862,030,499.54	
38,481,528,359.94	25,905,220,950.00	372,671,160.00 15,632,652.00	954,613,870.00 2,924,709,413.00	2,520,006,399,00 7,955,654,068,00 11,161,933,388,00	12,576,307,409.94	1,043,432,213.00 2,719,255,943.50 1,864,603,965.76 5,661.00 7,390.00 500,000.00 4,187,319,508.35 2,761,182,728.33	

HEL

	Balance with Bank A	ccount No. II (Regi	ons)
Sr. No.	Name of the Regional Office	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	Asansol (Asansol Region-II)	272,462.70	1,386,241.46
2	Barakar (Asansol Region-III)	108,339,892.90	3,224,849.86
3	Bilaspur	2,495,407.54	123,609.54
4	Chhindwara	4,315,210.10	19,734,457.10
5	Deoghar	51,926.18	99,410,503.18
6	Dhanbad (Dhanbad Region-I)	2,371,128.88	553,182.88
7	Hyderabad	5,117,413.13	186,149,888.06
8	Jablpur	843,460,617.94	90,194,652.44
9	Jharia (Dhanbad Region-III)	(37,852,608.00)	(37,852,608.00
10	Katras (Dhanbad Region-II)	38,557,624.00	127,698.00
11	Kolkata	53,522.85	25,842.25
12	Kothagudem	797,541.50	250,128,879.67
13	Margherita	43,709.91	39,535,428.1
14	Nagpur	1,061,363.00	1,222,779.00
15	New Delhi	10,739.98	13,431.98
16	Ramgarh (Ranchi Region-II)	19,573.90	517,083,839.00
17	Ranchi (Ranchi Region-I)	32,226,036.50	92,901.5
18	Raniganj (Asansol Region-I)	3,721,422.11	7,084,567.2
19	Sambalpur	7,206,814.50	29,494,283.5
20	Singrauli	418,378,310.00	478,455,466.0
21	Talcher	2,686,366.00	178,414,073.0
	Total	1,433,334,475.62	1,864,603,965.7

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025 SCHEDULE 8 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES COAL MINES PROVIDENT FUND MAIN ACCOUNT

Significant Accounting Policies: H Accounting Policies not specifically referred to otherwise be consistent and in consonance with generally accepted accounting Accounts are prepared on the historical cost basis and on the accounting principles of a going concern. office, custodian, fund managers, bankers etc. Accounts are prepared/compiled on reports duly signed/authenticated by the respective heads of regional offices/sections of HQr

Income Interests on Investment are accounted for on accrual basis.

Expenses Interest on Members account is accounted through provisioning. Interest on Pension & PF Administration Fund is accounted on accrual basis.

Expenses pertaining to bank charges/commission reimbursed by PF Administrative Account

Investments

Investments are stated at cost, inclusive of brokerage except Management fee, but unrealized income if any arose due change of method of valuation.

Contribution Receivables from Coal Company are recognized after classification is completed Contribution Received from various members is initially transferred to Suspense Account till the same has been posted to respective member's ledger account.

B. Notes to Accounts: Bank Charges & Management Fee reimbursed by the PF Administrative Account.

Figures of Previous year have been regrouped & rearranged wherever necessary.

Interest on Interest Reserve, Pension Fund, P.F. Administrative Fund are accepted @ 7.6% p.a. as interest rate applicable to members' account during the year. This rate is proposed by the Board and approval of the Government of India is still awaited. Accordingly, ₹

IV) 9,106.87 crore has been provided as interest to the members for FY 2024-25. Premium / Discount Paid / Received at the time of purchase are transferred in P&L account at the time of redemption of securities. Contribution deposited by coal companies on ad-hoc basis are treated as unclassified till company sent details of contribution.

3 Receivables form Coal Company at this stage could not be finalized since P.S-5 is in-completed.

vii) 1 An amount of ₹ 68.36 Crores (including demurrage charges) recoverable from M/s. J&K Minerals, Jammu up to 31.03.2025. Average rate of SDS interest for the current year is 7.1 %.

on transactions in ULF (Ultra Liquide Fund). During the period under reporting a sum of ₹ 185.67 crore is booked as loss on redemption of debt investment and ₹ 14.74 crore as profit

(XI

- × the regional office. This lead to negative balance appearing in respect of Account No-II Jharia. After closing of Account NO. -II pertaining to regional office, Jharia, an excess amount of ₹ 3,78,52,608.00 has been transferred by
- Xi. Investment amounting to ₹. 121.00 Crores in Reliance Capital Limited and ₹. 97.43 Crores in Infrastructure Leasing & Financial Services under process. The investment shall be accounted for after final resolution. Limited have been defaulted and classified as Default/stressed and separately disclosed. Resolution process under respective rules are
- (iix During the year, following realization against the Bad/Stressed Investments are as under-
- A) DHFL- ₹ 10.29 crore received against total book value of the Investment of ₹ 655.99 crore
- B) IL&FS ₹2.60 crore received against total book value of the Investment of ₹19.48 crore.
- RCAP ₹ 71.13 crore received as final settlement against total book value of the Investment of ₹ 66.55 crore
- XIII) Stress Assets until Board agree for writing off. Resolution process of DHFL has been announced and total realization is ₹. 597.55 crore thus balance ₹. 655.99 crore appearing under
- xiv) available from C-CARE. The adjustment transactions executed through Reserve & Surplus (Interest Suspense). As a result a sum of ₹ During the year liability under Contribution with Interest from 01-01-1949 and Voluntary Contribution has been updated as per data made 7626.84 crore & ₹ 103.12 crore has been debited from Contribution with Interest from 01-01-1949 and Voluntary Contribution and
- XX) Surplus in next year. credited to Reserve & Surplus (Interest Suspense). for more than 5 years. All the figures remains unsupported from the verifiable documents shall be transferred/adjusted from Reserve & Management is in process of tracking source documents against amount appearing in Schedule -3 & 6 in which not transactions executed
- xvi) None of Investments are revalued during the year.

0

The Surplus of CMPF Organisation exempted from levy of Income Tax under section 10(25) of Income Tax Act, 1961.

COAL MINES PROVIDENT FUND ADMINISTRATION (ACCOUNT NO VIII)

BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

(Amount in ₹)

	Fixed Assets Investments Current Assets, Loans & Advances	ASSETS		Corpus/Capital Fund Reserve & Surplus Current Liabilities & Provisions	CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES
TOTAL	400		TOTAL	324	TIES SCHEDULE
65,607,370,622.49	400,053,162.67 53,552,419,868.68 11,654,897,591.14		65,607,370,622.49	205,855,914.00 51,742,900,817.58 13,658,613,890.91	JLE AS ON 31-03-2025
60,313,611,560.73	298,784,494,47 48,872,308,376,46 11,142,518,689.80		60,313,611,560,73	205,855,914.00 47,251,189,724.35 12,856,565,922.38	AS ON 31-03-2024

Significant Accounting Policies Contingent Liabilities

PALACE: SHANGAD

DATE: 27-06-2095

(SANTOSH SOMMISSIONER

ASSISTANT DOMMISSIONER

(NIRANJAN KR. MISHRA)
REGIONAL COMMISSIONER

(SAJEESH KUMAR N) (COMMISSIONER)

Sejeesh Kumar N. আযুকা, কাঁ০ স্তত খত নিত স্থানুতন Commissioner, CMPF Organisation থনবার

Phanbad

Secretar Guinante Accordance 4597

139

COAL MINES PROVIDENT FUND ADMINISTRATION (ACCOUNT NO VIII)

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31-03-2025

(Amount in ₹)

Net Surplus Transferred to Balanco Sheet	(ii) Coat Mines Deposit Linked Admn. Account	Less: Proportionate Share of Expenditure Allocated to	Non Proportionatable Excenses Bank Charges & Portfolio Manager Fees Loss on Pension Administration (as per CMPS 1998)	Provision for Interest on Staff GPF	Provision for loss on interest on account of default by DHFL	Interest on Investment Pertaining to DLI Adm. Alc (@ 7.6%)	Other Charges Depredation	Misc. Contingencies & Recurring Charges	Establishment Expenses Induding Leave Travel Concession OTHER ADMINSTRATIVE EXPENSES Office Velichie Expenses Roof, Ratio & Taxos	EXPENDITURE ESTABLISHMENT EXPENSESS	TOTAL	Interest on Advances with CMPF Main Account Misc. Receipt (including interest on Surabhi Account) Interest on Surabhi Account Profit/Loss on Redemption of Securities	Accrued Interest on investment with LIC Misc. Receipt- Banks Interest on investments account Misc. Income	Private Sector Bonds State Government Securities Public Sector Bonds STDR & FD STG	Interest on Investment	NCOME FROM SALES/SERVIES Administrative Charges on Provident Fund
11		1									11				10	SCHEDULE
4,491,711,093,23	96,051,844.00 9,605,184.00	2,227,899,170.82	4,581,498.57	523,419,498,08 47,855,467,00		15,276,813.00	773,965,290.87	6,085,754.98	495,746,246.50		6,613,953,236.05	720,479,869,00 4,355,252,70 536,897,84 (92,763,804,69)	115,614,478,00 716,672,340,77 1,223,270,90	31,708,918.00 169,350,145.67 1,494,894,407.10 1,226,648,016,25		AS ON 31-03-2025
X		11								1						
3,785,932,247.28	133,640,146.00 13,364,015.00	3,189,373,306.29	95,996,988,58	1,531,840,507,58 53,151,012,00	74,822,846.50	13,345,893.00	249,806,969.99 563,713,883.99	6,710,747.46	476,865,658.29		6,827,401,392.57	689,950,627 00 8,693,697 64 6,594,481 00 20,662,657,96	135,746,307.00 626,136,221.92 1,347,721.91	32,034,841.00 311,169,058.78 1,374,329,559.67 971,518,283.69	2,009,305,935,00	AS ON 31-03-2024



Contigent Liabilities and Significant Accounting Policies

ASSISTANT COMMISSIONER

(NIRANJAN KIĆ MISHRA) REGIONAL GOMMISSIONER

ক্ষানীয় কুনার চুন্ন,
Sajeesh Kumar N.
Sajeesh Kumar N.
Sajeesh Kumar N.
Gaviesh Kumar Şomanissioner, CMPF Organisation
(COMMISSIONER)

COAL MINES PROVIDENT FUND ADMINISTRATION (ACCOUNT NO VIII)

RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31-03-2025

TOTAL

13,658,613,890.91

12,856,565,922.38

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET CORPUS/CAPITAL FUND (SCHEDULE 1)

TOTAL RESERVES & SURPLUS ACCOUNT (SCHEDULE Amount in 3/3 a Over Expenditure 47. Adjustment Income transfer from CMPF Pension Adm A/c 44. 47. Staff GPF (A/C V) Tom DLI Admin Payable to Pension Admn. A/C The Benefit retirment schemes of CMPF Own Employee 9. senditure	Depening Balance Less: Excess of Expenditure over Income transfer from CMPF Pension Adm A/c Less: Excess of Expenditure over Income transfer from CMPF Pension Adm A/c Less: Prior Period Adjustment Add: Pension Adm loss charged to P & L Add: Surplus during the year Closing Balance Current Liabilities & Provisions (SCHEDULE 3) Amount in ₹ As on 3/31/2025 Amount Payable to Pension Main Account (a) Amount Payable to Staff GPF (A/C V) (b) Amount Payable to Pension Admn. A/C (c) Amount Payable to Pension Admn. A/C (e) Provisions for Defined Benefit retirment schemes of CMPF Own Employee (f) Provisions for Expenditure (h) NPS Trust Payout	RESERVES & SURPLUS ACCOUNT (SCHEDULE 2) Amount in ₹ As on	(a) Liabilities on Capital Head of Account 205,855,914.00 TOTAL 205,855,914.00
---	--	--	---

FIXED ASSETS (SCHEDULE 4)

48,872,308,376.46	53,552,419,868.68	
1,849,322,295.14 123,918,800.00 9,209,982,817.49 1,258,297,923.16	790,002,295.14 48,384,499.40 10,005,153,122.31 1,718,001,419.16	(f) STG (As per Annexure - E) (f) STG (As per Annexure - F) (g) ULF (As per Annexure - G) (h) Investment with LIC (j) ETF (As per Annexure - H)
405,294,345,30 18,437,640,900.63 16,491,714,406.00 1,096,136,888,74	394,470,345,30 21,812,848,872.63 17,741,941,635.00 1,041,617,879,74	
Amount in ₹ As on 3/31/2024	Amount in ₹ As on 3/31/2025	
	INVESTMENTS (SCHEDULE 5)	
298,784,494.47	400,053,162.67	TOTAL
	14,017,498.00	WIP - Estate
	37,820,652.00	WIP - Intengible Assets
	50,136,761.00	Intengible Assets (ERFP)
160,383.70	75,617,70	(j) Others Assets
1.00	1.00	(i) Vehicles
3,054,266.12	1,071,790.25	
2,372,855,00	5,884,694,09	
199,616.00	2,620,630.98	(f) Office Equipment
1.00	1.00	(e) Electric Equipment
578,521.88	233,853.88	(d) Plant & Machinery
182,843,228.65	178,616,041.65	(c) Building
1,346,426,00	1,346,426.00	(b) Lease Land & Building
108,229,195.12	108,229,195.12	(a) Land
(a)		
3/31/2024	3/31/2025	
WINDRIN & WS ON	Milouiting	

CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES (SCHEDULE 6)

SUNDRY DEBTORS

562,719,609.59	294,426,556.55	TOTAL(B)
253,285.58	251,615.19	(I) CMPF - NPS (AC-XIV)
2,144,916.06	2,354,021.26	(k) CMPF-GSLI (AC-XII)
6,657,977.65	7,910,248.65	(n) Account - XVI Gratuity (LIC)
6,545,712.38	5,087,182.38	(g) Account - XV Leave Encashment (LIC)
18,224,525.02	22,381,467.68	(f) Account - VI Pension (LIC)
114,550,180.00	43,080,000.00	(e) PF ADM. CONT. ACCOUN (SURABHI)
80,346,092.61	120,581.13	(d) PF ADM. CONT. ACCOUN
223,085,499.20	13,675,002.03	(c) Security Services, Mumbai (A/c No. 11139435036)
100,161,282.61	184,178,142.47	(b) Balance with Bank A/C III (As per Annexure - J)
		(B) Bank Balances (a) State Bank of India - A/C VIII (H.Q) (A/c No. 10976587072)
37,036.74	37,036.74	(a) Account No. III (H.O.) (b) Account No. III (Regions) (As per Annexure - I)
		(A) Cash Balances
		CASH & BANK BALANCES
9,749,801,689.21	10,470,165,615,59	TOTAL(A)
		(f) GSLI
269,803,413.55 9,479,998,275.66	269,803,413.55 10,200,362,202.04	 (a) Exp. incurred and recoverable from Pension Admin. A/C (b) Amount Recoverable from Staff Pension Cum Gratuity (A/C No. VI) (c) Amount Recoverable from CMPF Main Account (d) Amount Seized by GST (Refundable)
São.		O To leave to the control of the con
Amount in ₹ As on 3/31/2024	Amount in ₹ As on 3/31/2025	

Loans & Advances

Amount in ₹ As on

Amount in ₹ As on

TOTAL(A+B+C+D)	TOTAL(D)	(d) Private Sector bonds (Annexure - N) (e) Surabhi (Annexure - O) (f) STG (Annexure - P)	(b) State Government Securities (Annexure - L) (c) Public Sector Bonds (Annexure - M)	(a) Central Government Securities (Annexure - K)	Interest Accrued But not Due	TOTAL(C)	(d) House Building Advance	(c) Conveyance Advance	(a) Festival Advance
11,654,897,591.14	883,045,419.00	12,691,343.00	352,595,343.00 472,883,622.00 39,400,360,00	5,474,761.00		7,269,000.00	7,260,000.00		
4									

8 FLIRNITURE & FIXTURES 9 VEICHLE ERP-SOFTWARE WIP EEP WIP - BUILDING 10 OTHERS ASSETS TOTAL		8 FURNITURE & FU 9 VEICHLE ERP-SOFTWARE WIP EFP					J	7 COMPUTER PERIPHERALS	6 OFFICE EQUIPMENT	100		3 BUILDING	Z ILEASE LAND & BUILDING	1 LAND	NO. PARTICULARS	2
INTOT GARASHOIMED							CTURES	PHERALS	IN	MENT	ERY		UILDING		LARS	
		6.33%				11,80%	9.50%	31.67%	19.00%	9,50%	6.33%	1.58%			Dep.	
770,741,552,51	776,912,071.94	1,339,109.20				15,798,651.01	75,554,905.72	272,019,828.56	19,872,986.65	7,717,219.30	5,444,895.38	267,543,450,00	3,281,730.00	108,229,195.12	Balance as on 31/03/2024	
6,170,519,43	116,545,481.20		14,017,498.00	37,820,652.00	50,136,761.00		5,465,292.13	5,065,434.09	4,039,843,98		*				Addition During the Year	GROSS BLOCK
									-		210				"Sale / Adjustment	ОСК
776,912,071.94	893,457,553.14	1,339,109.20	14,017,498.00	37,820,652.00	50,136,761.00	15,798,651.01	81,130,198.65	277.085.262.65	23,912,830.63	7,717,219,30	5,444,995.38	267,543,450,00	3,281,730.00	108,229,195,12	Balance as on 31/03/2025	
464,758,273,47	478,127,577.47	1,178,725,49				15,798,650.01	72,610,640.60	269,848,973,56	19,673,370.65	7,717,218,30	4,866,473.51	84,700,221,35	1,935,304,00		Up to 31/03/2024	
13,345,893.00	15,276,813.00	84,766.00			*		7,447,768.00	1,553,595.00	1,618,829.00		344,668,00	4,227,187.00		+	During The Year	DEPRECIATION
23,411,00															Adjustment	NOI
478.127.577.47	493,404,390,47	1,263,491.49				15,798,650.01	80,058,408,60	271,200,568.56	21,292,199.65	7,717,218.30	5,211,141.51	88,927,408,35	1,935,304.00		Total Depreciation	5
305,521,118,04	238,784,494,47	160,383.70	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			1.00	3,054,266,12	2,372,855,00	199,616,00	1.00	578,521.88	182,843,228,65	1,346,426.00	108,229,195,12	Balance as on 31/03/2024	NET BLOCK
298 784 494 47	400,053,162,67	75,617.70	14,017,498.00	37,820,652.00	50,136,761,00	1.00	1,071,790,25	5,884,694,09	2,620,630,98	1,00	233,853,88	178,616,041,65	1,346,426,00	108,229,195,12	Balance as on 31/03/2025	OCK

SCEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT ESTABLISHMENT EXPENSES INCLUDING LEAVE TRAVEL CONCESSION (SCHEDULE 12)

Total	Pay of Officer Pay of Establishment Allowances & Honorarium (as per Annexure) Bonus Leave Travel Concession (Officers) Leave Travel Concession (Establishment)	
495,746,246.50	18,568,895.00 243,233,964.00 228,189,349.50 3,108,893.00 289,552.00 2,355,593.00	Amount in ₹ As on 3/31/2025
476,865,658.29	32,585,948.00 241,887,977.00 195,169,952.29 4,651,595.00 281,072.00 2,289,114.00	3/31/2024

Total	House Rent for Regional Offices Water Charges, Insurance Premium, Municipal Service & Other Tax	RENT, RATES	Total	Petrol, Oil & Lubricants Repairs & Maintenance	OFFICE VE
6,085,754.98	818.333.00 79.557.00 5,187.864.98	RENT, RATES & TAXES (SCHEDULE 13.2)	2,013,717.64	1,413,495.00 600,222.64	OFFICE VEICHLE (SCHEDULE 13:1)
6,710,747.46	1,709,550,00 4,300,178,46 701,019,00		3,264,759.90	1,595,555.03 1,669,204.87	

MISC. CONTINGENCIES & RECURRING CHARGES (SCHEDULE 13.3)

249,806,969,99	231,007,603.18	Total
275,164.00	106,750.00	Training
3,167,714.00	5,247,321.00	Welfare Amenities to Staff
176,200.00	133,750.00	Supply of Liveries to Group C & D Staff
40,985,489.16	58,404,050.24	Security Guard Expenses
124,722.00	1,979,401.00	Printing & Publicity
20,024.00		Other Expenses
2,166,122.34	2,109,853.62	Oil for Generator
5,332,528.50	6,454,516.36	Misc. Contingencies
5,500,657.80	2,945,069.00	Meeting Expenses
82,597,684.58	117,689,954.69	Medical Assistance Including Allowance
72,624,250.32	30,630,736,27	Mechanisation of Members A/c
32,763,958.95		Maintenance of Office Building & Staff Quarters
	339,012.00	Hiring of School Bus
2,749,024.00	3,920,367.00	Hiring of Vehicles
806,196,00	524,583.00	Hindi
395,380.00	90,385.00	Conveyance Charges
46,854.34	600.00	Carrying Charges
75,000.00	431,254.00	Audit Fees
Amount in ₹ As on 3/31/2024	Amount in ₹ As on 3/31/2025	

OTHER CHARGES (SCHEDULE 13.4)

	3/31/202	3/31/2025	
--	----------	-----------	--

Veball a Mallit of Parishing	Specific Maint of Building	NPS	GSLI Premium to LIC	Consultancy Charge	Washing Charges for Liveries	Telephone Charges	Repairs & Maint, of Office Equipments	Repairs of Old Furniture	Railway Freight	Postage/Money Order/Commission	Leave Encashment	Gratuity	Pension & F.P.	Maint of Guest House	ogai esperiore	logal Expenses	Leave Salary & Pension Contributions	Forms & Stationery Including Pass Books	Electricity Charges	Sanitary Labourers)	Contingent Establishment (Watermen, Gardener &	Books & Periodicals	Binding Charges of Old Registers	
340,324.72	26,780,440.40	19,549,511.38	/13,094.00	142,213,704.32	12,020,00	43 630 00	2 727 646 66	1 178 754 40	00 073 00	1,200,102,100	1 207 020 208	17 611 878 00	24 027 000	433 879 577 00	35,398.00	9,355,765,72	36,981,673.96	3,003,404.11	14, 102,007.50	14 100 057 30	29,744,729.66	46.716,207	119,766.72	

324,473,187.20

29,103.00

54,279,228.20

7,988,465.36

2,866,990.58

24,083,598.00 16,288,152.72

286,709.70 183,084.00

106,455,315.84

19,075,360.84

1,966,957.90

773,965,290.87

Total

(NIRANJAN KR. MISHRA) REGIONAL COMMISSIONER 30/6/20

ASSISTANT COMMISSIONER

2,413,875.00 326,310.00

1,254,063.99

60,140.00

1,613,201.66

43,176.00 26,964.00

Commissioner, CMPF Organisation Sajeesh Kumar N. आयुक्त, কাত ন্তত মত নিত মাবাতন (SAJEESH KUMAR N) (COMMISSIONER) ानवाद





ALLOWANCES & HONORARIUM

Total	Undisbursed Pay Allowance Washing Allowance (Group D)	Transport Allowance (Estt & Off.)	TA to Trustees	TA Officers on Transfer	TA Officers on Tour	TA Establishment on Transfer	TA Establishment on Tour	Special Compensatory Allowance (Estt. & Off)	Overtime Allowance	Cash Allowance	House Rent Allowance (Estt.& Offi)	Honorarium	Handicapped Allowance	Dearness Allowance (Off. & Estt.,)	Children Education Allowance	
228,189,349.50	393,152.00	15,716,105.00	519,836.00	2,210,857.00	8,158,822.50	3,642,532.00	9,990,549.00	2,925,340.00	94,700.00		31,095,689.00	1,276,345.00		144,312,487.00	7,852,935.00	3/31/2025
195,169,952.29	822,668.41 38,823.00	17,144,759.44	318,283,00	979,658.00	4,933,407.00	1,389,359.00	11,030,247.00	752,303.08	20,562.00	33,400.00	27,146,780.00	1,249,149.00		123,878,511.36	5,432,042.00	3/31/2024 (c)

Annexure - I

Balance with Cash in Hand in respect of Account No. III (Regions)

Sr. No.	Name of the Regional Office	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	Asansol		
2	Barakar		
3	Bilaspur	+	
4	Chhindwara	-	
5	Deoghar	21,000.00	21,000.00
6	Dhanbad		
7	EDP Hyderabad	-	-
8	Headquarter		-
9	Hyderabad		-
10	Jabalpur	1.74	1.74
11	Jammu	7411111111111	
12	Jharia .		
13	Kargali	- 1	
14	Katras		
15	Kolkata		-
16	Kothagudem	-	_
17	Margherita		
18	Mugma		
19	Nagpur	252.00	252.0
20	New Delhi		
21	Ramgarh		
22	Ranchi	15,783.00	15,783.0
23	Raniganj	- 1	
24	Sambalpur		-
25	Singrauli		
26	Talchar		
	Total	37,036.74	37,036.7

Annexure - J

500.

Balance with Bank Account No. III (Regions)

Sr. No.	Name of the Regional Office	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	Asansol	5,886,917.43	4,230,783.30
2	Barakar	5,756,453.01	6,253,416.16
3	Bilaspur	10,531,828.41	3,491,737.59
4	Chhindwara	3,893,293.47	6,617,039.92
5	Deoghar	1,547,615.00	1,474,900.00
6	Dhanbad	18,307,212.18	54,731.38
7	EDP Hyderabad	1,397,238.13	2,066,860.33
8	Hyderabad	7,251,585.84	4,973,567.83
9	Headquarter	14,867,173.97	9,745,851.05
10	Jabalpur	8,486,167.77	8,358,899.3
11	Jammu		
12	Jharia	(511,216.43)	(511,216.4)
13	Kargali	- 1	
14	Katras	24,659,326.02	7,460,842.69
15	Kolkata	1,376,003.63	1,643,998.47
16	Kothagudem	2,307,538.74	2,797,430.74
17	Margherita	1,075,011.25	1,184,701.2
18	Mugma	1,782.73	1,782.7
19	Nagpur	4,385,485.01	5,662,507.0
20	New Delhi	3,179,993.07	2,851,961.1
21	Ramgarh	15,415,058.91	5,238,866.1
22	Ranchi	19,768,448.00	4,541,348.0
23	Raniganj	21,224,874.91	4,360,506.62
24	Sambalpur	3,258,041.50	4,165,346.50
25	Singrauli	4,020,524.00	4,335,740.00
26	Talchar	6,091,785.92	9,159,680.9
-	Total	184,178,142.47	100,161,282.6

SCHEDULE 7 & 8 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES/NOTES TO ACCOUNTS AND CONTINGENT LIABILITIES SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025 COAL MINES PROVIDENT FUND ADMINISTRATION (ACCOUNT NO. VIII)

Significant Accounting Policies

General

- Accounts are prepared on the historical cost basis and on the accounting principles of a going concern
- Accounting Policies not specifically referred to otherwise be consistent and in consonance with generally accepted accounting principles.
- Contingencies are stated wherever applicable
- 3 5 office, custodian, fund managers, bankers etc Accounts are prepared/compiled on reports duly signed/authenticated by the respective heads of regional offices/sections of hor

2.

- Interest on Advance with other inter fund account are accounted on accrual basis
- Contributions against PF Administration Charges are accounted for on Cash Basis
- Interests on Investment are accounted for on accrual basis.

3. Expenses

- Expenditure of PF Administration are accounted for on cash basis.
- are transferred to such account as per guidelines issued by the ministry. All the expenditure pertaining to DLI Administration & Pension Administration are being incurred from PF Administration account

Fixed Assets

Fixed Assets are stated at Historical Cost

investments.

Investments are stated at cost, inclusive of brokerage except Management fee.

i) Depreciation.

Depreciation on Fixed Assets are charged on straight line method

Notes to Accounts

- Bank Charges and Commission Pertaining to PF Main Account reimbursed by PF Administrative Account
- Figures of Previous year have been regrouped & rearranged wherever necessary.
- Premium / Discount Paid / Received at the time of purchase are transferred in P&L account at the time of redemption of securities.
- Budgeted Expenses pertaining to Pension Administrative Account is transferred from PF Administrative Account
- Proportionate Expenses for DLI Administrative Account & Pension Administrative Account is transferred from PF Administrative
- ¥ 5 Interest on DLI Administrative Fund is charged @ 7.6% p.a
- Interest on CMPF Main A/c is charged @ 7.6% p.a.

Receipt and Payment Accounts. through RO-7 hence, instead of showing separate opening and closing balance, it is clubbed with transactions appearing in Account -V (GPF) is maintained by CMPF Administration account in fiduciary capacity but transactions under this is reported

Mechanization of Members account was created for computerization of office as such all the expenditure related to purchase

of computers and other equipment has been booked under this head.

× under these two heads are interchangeable. have created solely for funeral ceremony and recreational functions of staff of the CMPFO respectively and expenditures There is 02 (Two) funds created by stuffs of the CMPFO namely Benevolent Fund and Recreation Club Fund. These funds

(ix appeared under head of other advances and these may lead difference in figures. However, during the preparation of RO-7 by the concerned regional offices Cash Section, recovery of one advance may Advances to staff of CMPFO disbursed and recovered through establishment section of the concerned regional offices.

xii) Balance of new pension scheme under reconciliation.

In the Closing Balance as on 31.10.2008 in balance with Bank A/c - III (State Bank of India) of Head Quarter difference amount of

xiv) In the Closing Balance as on 31.10.2008 in balance with Bank A/c - V & Bank A/c - VI (State Bank of India) of Head Quarter difference amount of ₹ 48.76 lakhs & ₹ 2.74 lakhs respectively.

XV) Contingent liabilities: As informed by EDP Section, CMPF HQ, Dhanbad payment pertaining to SAP has been released and only ₹ of India Limited (RCIL) is pending for payment. 10 lakhs have been withheld as on date. In addition to that ₹. 1,41,34,874/- relating to pending bill of M/s RailTel Corporation

During the year, following realization against the Bad/Stressed Investments are as under

xvi)

DHFL- ₹ 0.06 crore received against total book value of the Investment of ₹ 3.65 crore.

xvii) There is a loss on redemption of Debt Investment amounting to ₹.10.03 and profit of ₹. 0.76 on transaction executed through ULF (RCAP - ₹ 3.53 crore received as final settlement against total book value of the Investment of ₹ 3.30 crore

xviii) Depreciation on Fixed Assets has been charged at rate specified in Companies Act 2013 (SLM).

xix) Resolution process of DHFL has been announced and total un-recoverable amount is ₹3,65,05,457.74

XX Pension Administration expenses as per provisions contained in para 18 (3) of the Coal Mines Pension Scheme 1998. Revenue amounting to ₹ 21,54,28,609.51 has been transferred to Pension Administration Account in order to meet the

(ixx executed for more than 5 years. All the figures remains unsupported from the verifiable documents shall be transferred/adjusted from Reserve & Surplus in next year. Management is in process of tracking source documents against amount appearing in Schedule -3 & 6 in which not transactions

(iixx It is also to declare that CMPFO made an special arrangement with LIC for investment and payment of all retirement benefits to its own staff. As such amount of ₹ 26.98 crore appearing under schedule -6 as amount receivable from Staff Pension Cum Gratuity AC-VI no longer relevant and shall be adjusted next year.

(iiixx Different regional offices received withdrawal amount from NPS Trust on opting the OPS from NPS as per Government Guidelines. As on date a sum of ₹ 10.21 crore is in process of reconciliation and the final outcome shall be accounted for during next year.

The management has formulated a policy of all capex related expenditure (other than direct procurement items) booking as CWIP.

XXV) Management decided to capitalize expenditure booked in implementation of C-CARES project accordingly a new category of Fixed office Asansol through CPWD has been booked under WIP-BUILDING. repairing work and routed through WIP-BUILDING. During the year first running bill on account of substantial repairing of regional Assets account created for the purpose ERP-SOFTWARE. Further management also decided to capitalize substantial Building

xxvi) None of Fixed Assets/Investments are revalued during the year.

Management is in process of tracking source documents against amount appearing in Schedule -3 in which not transactions executed & Surplus in next year for more than 5 years. All the figures remains unsupported from the verifiable documents shall be transferred/adjusted from Reserve

The Surplus of CMPF Organisation exempted from levy of Income Tax under section 10(25) of Income Tax Act, 1961.

COAL MINES PENSION FUND MAIN ACCOUNT

BALANCE SHEET AS ON 31-03-2025

Contingent Liabilities Significant Accounting Policies	ASSETS Investments Current Assets, Loans & Advances Total	Corpus/Capital Funds Reserves & Surplus Current Liabilities & Porvision Total	CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES
6	4 70	ω N <u>¬</u>	Schedule
	235,940,703,998.40 9,015,933,408.34 244,956,637,406.74	(17,938,211,278.20) 262,894,848,684.94 244,956,637,406.74	(Amount-₹) As on 31-03-2025
0.00	223,344,570,806.28 5,644,364,456.19 228,988,935,262.47	(16,140,286,570.83) 245,129,221,833.30 228,988,935,262.47	(Amount-₹) As on 31-03-2024

ASSISTANT COM DATE: PALACE: DHANBAD 27-06-2025

(NIRANJAN KR. MISHRA) REGIONAL COMMISSIONER

(SAJEESH KUMAR N) La chicana

(COMMISSIONER) ्रन. Sajeesh Kumar N. आपुक्त, को० ख॰ १४० नि० संगठन

Commissioner EMPF Organisation



COAL MINES PENSION FUND MAIN ACCOUNTS

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31-03-2025


Excess of Income Over Expenditure (A-B) transferred to Reserves & Surplus	Total	EXPENDITURE Loss on Redemption of Securities Provision for loss on expected loss on IL&FS and RCAP	Total	Misc. Income (Investment) Interest on Surabhi Account Profit on ULF	STG STG	State Govt. Securities Public Sector Bonds Private Sector Bonds	Interest Income Public Accounts Central Govt. Securities	INCOME
			1 1					Schedule
17,765,626,851.64	120,087,253.17	120,087,253.17	17,885,714,104.81	1,134,250.98 30,799,929.84 8,171,655.99	118,117,270.00	2,646,337,138.00 2,126,845,127.00 69,342,377.00	12,083,324,870.00 801,641,486.00	(Amount-₹) As on 31-03-2025
16,556,488,826.63	189,799,469.26	159,739,289.26 30,060,180.00	16,746,288,295.89	3,023,059.39 9,870,458.98 30,666,942.63	116,190,363.00	2,454,900,836.12 1,963,811,963.93 117,808,146.35	11,136,704,950.00 913,311,575.49	(Amount-₹) As on 31-03-2024

(SANTOSH KUMAN) VI ASSISTANT COMMISSIONER

Contingent Liabilities Significant Accounting Policies

0

(NIRANJAN KR. MISHRA)
REGIONAL COMMISSIONER



(SAJEESH KUMAR N)
(COMMISSIONEI ক্লাব ঘন.
(COMMISSIONEI Kumar N.
ভাষুবল, কাঁত স্তুত গত নিত নাতুন
Commissioner, CMPF Organisation
ধন্মার



COAL MINES PENSION FUND MAIN ACCOUNT

RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31-03-2025

12,490,100,248.39	y y lotal	anional population.	The second secon		
70 204 254 204 20	A Fotal	106 399 650 489 84	72,496,155,248,39	Total	196,399,650,489,84
12,241.09 138,169.80 1,196,298.75 (6,313,238.13) 2,238,950,223.54 1,201,963.00 2,335,877,465.26 120,202,895.06 994,000.00	Bank Account -Closing Balance 12,241.09 SBI A/C VII (Main Account) 46,426,333.12 Pension Investment Account Canara Bank (Dhanbad) 1,195,298,75 Account VII (Region) (6,313,238.13) Account XIII (Region) 47,260,210.44 Pension Disbursement Account 1,636,343.00 Pension Contribution AC 1,636,343.00 Pension Contribution AC 39,305,145.00 Pension Contribution (Surabhi) 56,367,620.45 Additional pension Contribution (Surabhi) Additional pension Contribution (Surabhi)	12,241.09 246,426,333.12 1,196,298.75 (6,313,238.13) 647,260,210.44 1,636,343.00 189,305,145.00 56,367,620.46	819,659,399,00 2,641,409,763,00 2,077,266,967,00 132,995,034,00 118,310,111,00 31,827,412,84 1,134,250,98 7,303,185,082,39	Interest Received from Central Govt. Security Interest Received from State Govt. Security Interest Received from PSU Interest Received from PSU Interest Received from Private Sector Bond Interest Received from STG Intere on Surabhi ETF DIVIDEND Misc. Income (Investment) Profit on ULF Amount Receivable form CMPF Adm. Additional Pension Contribution	919,533,899,49 2,284,166,317,34 1,868,151,310,70 126,537,162,35 119,588,185,00 10,963,466,00 3,023,059,39 7,008,070,643,58
1,551,069,00	Interest Paid on Security Purchase Interest Paid on Central Govt. Security Interest Paid on State Govt. Security Bank Charges Interest Paid on Public Sector Bond Interest Paid on Private Sector Bond Interest Paid on STG	77,347.22 1.825,573.77	1.103.984.721.84 9.578,645,056.00 295,201.588.00 43,082,184,908.61	STICK / FD Private Sector Bonds STG ULF Amount Payable to CMPF Main A/c Pension Contribution Fund Govt. Contribution	170,028,482,56 148,000,000,00 33,922,027,190,76 49,364,331,588,73
1,930,574,000.00 3,716,489,500.00 9,396,654,900.00 438,095,297.14 45,437.98 52,291,494,698.37 28,990,327.53	Public Sector Undertaking Central Govt. Security State Govt. Security STDR / FD STG ULF ETF EXPENSES Bank Charges Pension Disbursement Account Pension Disbursement Commission Amount Payable to CMPF Main	5,180,779,400.00 10,499,409,310.00 200,000,000.00 34,023,180,849,14 864,049,161.93 21,009,47 54,352,671,624.07 141,745,260.51	12,241.09 246,426,333.12 1,196,298.75 (6,313,238.13) 647,260,210.44 1,636,343.00 189,305,145.00 56,367,620.46 1,465,500,000.00 468,500,000.00	-Opening Balance SBI A/C VII (Main Account) Pension Investment Account Canara Bank (Dhanbad) Account VII (Region) Account VII (Region) Pension Disbursement Account Pension Contribution AC Pension Contribution AC (Surabhi) Additional pension contribution Investment Redemption Public Sector Undertaking State Govt. Security Central Govt. Security	12,241.09 34,211,367.59 11,590.00 1,230,993,75 (3,254,023.94) 3,550,522,072.46 929,080,974.11 3,704,000.00 156,428,987.88 1,408,000,000.00 4,110,280,000.00 265,000,000.00
Financial Year 2024-25	Payment	Financial Year 2023-24	Financial Year 2024-25	Receipt Bank Account	2023-24

संबीय कुमार एन. Sajeesh Kumar N. आयुक्त, कोट खंट भंट निट संगठन Commissioner, CMPF Organisation धनबाद Phanbad ASSISTANT-SIM

(NIRANJAN KR. MISHRA)
REGIONAL COMMISSIONER

(SAJEESH KUMAR N) (COMMISSIONER)



SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND

Total (A+B)	Closing Balance (C)	(c) Government Contribution Opening Balance Add:Contributions received during the year	Closing Balance (B)	(b) Additional Pension Contribution Opening Balance Add:Contributions received during the year	Closing Balance (A)	Opening Balance Add:Contributions recd. During the year Less:Disbursement made during the year	(a) Pension Contribution Fund
(17,938,211,278.20)	8,404,419,000.00	8,296,219,000.00 108,200,000.00	27,343,509,463.76	20,040,324,381.37 e year 7,303,185,082.39	(53,686,139,741.96)	(44,476,829,952.20) ear 43,217,472,038.20 year 52,426,781,827.96	Amount in ₹ As on 31-03-2025
(16,140,286,570.83)	8,296,219,000.00	8,189,819,000.00 106,400,000.00	20,040,324,381.37	13,032,253,737.79 7,008,070,643.58	(44,476,829,952.20)	(39,569,091,505.86) 49,369,639,831.32 54,277,378,277.66	As on 31-03-2024

SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS

Closing Balance	Add : Prior Period Adjustment	Add:Excess of Income over Expenditure	Opening Balance	(a) Reserve & Surplus
262,894,848,684.94		17,765,626,851.64	245,129,221,833.30	Amount in ₹ As on 31-03-2025
245,129,221,833.30	(106,936,957.00)	16,556,488,826.63	228,679,669,963.67	Amount in ₹ As on 31-03-2024

SCHEDULE 3-CURRENT LIABILITIES

Amount in ₹ Amount in ₹ As on 31-03-2024

(a) Amount Payable to CMPF Main A/C

SCHEDULE 4-INVESTMENTS

							(6)			a
Total(A+B)	Total(B)	ULF (Annexure - G)	STG (Annexure - E)	Private Sector Bonds- Defaulted/Stress (Annexure	Private Sector Bonds (Annexure - C)	State Government Securities (Annexure - B)	INVESTMENTS Central Government Securities (Annexure - A)	Closing Balance	Opening Balance Add: Interest for received during the year	(a) DEPOSIT IN PUBLIC ACCOUNT
235,940,703,998.40	81,700,615,978.95	0,011,002,102.01	1,516,321,674.84	1,200,423,000.40	28,151,893,283.00	36,913,487,620.65	9,940,791,434.50	154,240,088,019.45	142,156,763,149.45 12,083,324,870.00	Amount in ₹ As on 31-03-2025
223,344,570,806.28	81,187,807,656.83	173,818,500.01	1,516,321,674.84	2,001,100,000.10	27,700,452,962.68	35,502,230,369.65	10,447,628,684.50	142,156,763,149.45	131,020,058,199.45 11,136,704,950.00	Amount in ₹ As on 31-03-2024

151

SCHEDULE 5-CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

		83	E	(9)	33	E @	00	(a)		8	9	3	0	3	(e) (a)	0	(b)	(a)	
Total		Pension Disbursment A/C (Annexure - 0)	Bank Balance of Account VII (Regions) (Annexure - M)	Pension Contribution A/c (Surabhi)	Pension Contribution A/c	Additional Pension Contribution (Surabhi)	Canara Bank (Dhanbad) A/c No 0251201002066	S.B.I. A/C VII (Dhanbad)		STG (Annexure - L)	Surabhi Account	Private Sector Bonds (Annexure - K)	Public Sector Bonds (Annexure - J)	State Govt Securities (Annexure - I)	Central Govt Securities (Annexure - H)	Amount Receivable to CMPF Main A/C	Amount Receivable From CMPF Admn. A/c	Bank Commission receivable from Pension Admn.	Loans, Advances & Amount Recoverable
9,015,933,408.34	4,692,260,018.37	2,238,950,223.54	1,196,298.75	2,335,877,465.26	1,201,963.00	120,202,895.06		12,241.09 138 169 80	4,323,673,389.97	31,738,390.00		25,999,348.00	814,222,700.00	653,096,017.00	200,927,882.00		469,335,025.45	2,128,354,027.52	Amount in ₹ As on 31-03-2025
5,644,364,456.19	1,135,890,953.73	647,260,210.44	(6,313,238,13)	189,305,145.00	1,636,343.00	1,322,620.46 55,045,000.00		12,241.09 246.426.333.12	4,508,473,502.46	31,931,231.00	1,027,483.00	89,652,005.00	763,093,471.00	648,168,642.00	218,945,795.00	187,001,588.00	469,335,025.45	2,099,318,262.01	Amount in ₹ As on 31-03-2024

Annexure - M

Balance With Bank Account No -VII (Regions)

SI. No.	Name of Regional Office	As on 31-03-2025	As on 31-03-2024
1	Asansol (Asansol Region-II)	1-	
2	Barakar (Asansol Region-III)		
3	Bilaspur	144,852.00	144,852.00
4	Chhindwara		
5	Deoghar	16,229.00	16,229.00
6	Dhanbad (Dhanbad Region-I)	229,994.75	229,994.75
7	Hyderabad		
8	Jablpur		
9	Jammu		
.10	Jharia (Dhanbad Region-III)		*
11	Kargali (Ranchi Region-III)		
12	Katras (Dhanbad Region-II)	-	
13	Kolkata		
14	Kothagudem		
15	Margherita	27,350.00	27,350.00
16	Mugma (Asansol Region-IV)		
17	Nagpur		
18	New Delhi	+	
19	Ramgarh (Ranchi Region-II)		*
20	Ranchi (Ranchi Region-I)		
21	Raniganj (Asansol Region-I)		
22	Sambalpur	765,334.50	765,334.50
23	Singrauli		
24	Talcher	12,538.50	12,538.50
	Total	1,196,298.75	1,196,298.75

Annexure - N

Balance With Bank Account No -XIII (Regions)

SI. No.	Name of Regional Office	As on 31-03-2025	As on 31-03-2024
1	Asansol (Asansol Region-II)	61,961.70	61,961.70
2	Barakar (Asansol Region-III)		Santagement of the santagement o
3	Bilaspur	186,387.06	186,387.06
4	Chhindwara		100100
5	Deoghar	1,831.00	1,831.00
6	Dhanbad (Dhanbad Region-I)	-	
7	Hyderabad	1,254,778.93	1,254,778.93
8	Jabalpur	36,301.05	36,301.05
9	Jammu		-
10	Jharia (Dhanbad Region-III)	(8,146,895.76)	(8,146,895.76)
11	Kargali (Ranchi Region-III)	review burn ye () at []	
12	Katras (Dhanbad Region-II)		
13	Kolkata		-
14	Kothagudem	154,027.37	154,027.37
15	Margherita	95,677.17	95,677.17
16	Mugma (Asansol Region-IV)	1,783.25	1,783.25
17	Nagpur	J-	Call and the Call
18	New Delhi		*
19	Ramgarh (Ranchi Region-II)		-
20	Ranchi (Ranchi Region-I)		
21	Raniganj (Asansol Region-I)	-	
22	Sambalpur	-	
23	Singrauli	•	10.010.10
24	Talcher	40,910.10	40,910.10
	Total	(6,313,238.13)	(6,313,238.13

Annexure - O

Balance With Pension Disbursment Account

SI.No.	Name of the Bank	As on 31-03-2025	As on 31-03-2024
1	Allahabad Bank (A/c - 7480)	37,043,157.80	39,929,520.80
2	Andhra Bank (A/c - 0292)	17,446.79	540,274.67
3	Bank of Baroda (A/c - 0295)	22,609,446.99	26,623,863.99
4	Bank of Baroda (A/c - 0296)	172,508.00	172,508.00
5	Bank of India (A/c - 2286)	14,286,405.30	199,059,892.10
6	Bank of Maharshtra	3,418,411.31	24,371,266.31
7	Canara Bank (A/c - 2634)	3,031,658.49	29,006,870.49
8	Central Bank of India (A/c - 0098)	779,791.93	137,487,046.43
9	Indian Overseas Bank (A/c - 0157)	4,021,250.27	4,021,250.27
10	Punjab National Bank (A/c - 0747)	57,548,676.92	57,030,209.93
11	State Bank of Hydrabad (A/c - 9038)		
12	State Bank of India (A/c - 8288)	2,017,069,075.36	2,484,510.74
13	UCO Bank (A/c - 2069)	9,980,125.34	121,360,222.57
14	Union Bank of India (A/c - 2054)	68,937,457.49	39,724.58
15	United Bank of India (A/c - 0730)	34,811.55	5,133,049.56
5.0	Total	2,238,950,223.54	647,260,210.44

COAL MINES PENSION FUND ACCOUNT

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

SCHEDULE 6 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Significant Accounting Policies: A.

I. General

Accounts are prepared on the historical cost basis and on the accounting principles of a going concern.

Accounting Policies not specifically referred to otherwise be consistent and in consonance with generally accepted accounting principles.

Accounts are prepared/compiled on reports duly signed/authenticated by the respective heads of regional offices/sections of hqr office, custodian, fund managers, bankers etc. (H

Income

interests on Investment are accounted for on accrual basis.

Interests on Inter Account balance is accounted for on accrual basis. **€ E E**

nterest on Public account is accounted on accrual basis.

Expenses

Expenses pertains to pension administration is accounted in pension administration account. SEEE

Bank charges/commission is transferred to Pension Administrative and PF Administrative Account.

loss/Profit on redemption of security is accounted at the time of redemption of securities.

Disbursement of Pension including payment of Bank Charges to Bank includes Grants received from Govt, as per CMPF Scheme.

4. Investments.

Investments are stated at cost, inclusive of brokerage except Management fee.

Contribution.

Pension Contribution is accounted on cash basis.

Government Contribution is accounted on accrual basis and included in Corpus/Capital Fund.

Notes to Accounts B.

Bank Charges & Management Fee reimbursed by the Pension Administrative Account. SEES

Figures of Previous year have been regrouped & rearranged wherever necessary.

Interest on Inter account balance is accrued @ 7.6 % p.a..

Premium / Discount Paid / Received at the time of purchase are transferred in P&L account at the time of redemption of securities.

- Pension disbursements are made through nationalized bank on the basis of data provided by the management and accounted in the books of accounts on the basis of bank statement.
- Out of pension disbursement, some of pension are disbursed by regional offices itself and recorded in the books on the basis of RO statement submitted by the regional offices.
 - Interest Income on Deposit in Public Account is subject to confirmation from the Government of India.
- Financial Services Limited have been classified as Default/stressed including unrealized DHFL investment amounting Investment amounting to ₹ 23.00 Crores in Reliance Capital Limited and ₹ 5.00 Crores in Infrastructure Leasing & to ₹. 67.67 crore as on 31-03-2024.
 - Resolution process of DHFL has been announced and ₹. 61.33 crore realized out of total exposure of ₹. 129.00 crore. During the year, CMPFO received following realization against the Bad/Stressed Investments are as under: (X) X
 - A) DHFL- ₹ 1.05 crore received against total book value of the Investment of ₹ 67.67 crore.
 - B) IL&FS ₹ 0.15 crore received against total book value of the Investment of ₹ 1.34 crore.
- RCAP ₹ 13.52 crore received as final settlement against total book value of the Investment of ₹ 12.65 crore.
- There is a loss on redemption of Debt Investment amounting to ₹. 12.01 crore and profit of ₹ 0.82 crore on investments in ULF (Ultra Liquide Fund). (ix
- Liability, as assessed by Actuary is not possible due to the fact that this would results in negative corpus. However, it is also to submit that there all the members are getting timely pension under CMPS 1998 by utilizing contribution 998. The Valuation Report showing a Net Liability of the Fund (Shortfall) to the tune of ₹. 47,961 crore. Since, total corpus of the Pension Fund is only ₹ 22,898.90 crore as on 31-03-2024. As such making provisions for the Net Valuation of the Pension Fund has been assessed by Actuarial as on 31-03-2022 in terms of para 22 of the CMPS received during the year as well as meeting the shortfall by withdrawing from investments.
 - The Board in consultation with Gol decided to enhance the rate of Additional Pension Contribution from ₹ 10 per ton to ₹ 20 per ton. Expected additional pension contribution will goes up to ₹ 1400 crore from the present ₹ 700 crore per xiii)
- xiv) None of Investments are revalued during the year.

The Surplus of CMPF Organisation exempted from levy of Income Tax under section 10(25) of Income Tax Act, 1961. C'

COAL MINES PENSION ADMINISTRATION ACCOUNTS

BALANCE SHEET AS ON 31-03-2025

Place: Dhanbad Date 7-06-2025 (SANFOSH KUMAR) (NIRANJAN KR. MISHRA)	Significant Accounting Policies	Total	ASSETS Current Assets , Loans & Advances	Total	Reserve and Surplus Current Liabilities & Provisions	CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	PARTICULARS
R. MISHRA)	4		ω		2 1		SCHEDULE
(SAJEESH		2,128,354,027.52	2,128,354,027.52	2,128,354,027.52	2,128,354,027.52		(Amount - ₹) As on 31.03.2025
(SAJEESH KUMAR N)	•	2,099,318,262.01	2,099,318,262.01	2,099,318,262.01	2,099,318,262.01		(Amount - ₹) As on 31.03.2024

(SANTOSH KUMAR)
ASSISTANT CONMISSIONER

REGIONAL COMMISSIONER

Commissioner, CMPF Organisation

Dhanbad धनबाद (CONMISS IGNERA). Sajeesh Kumar N. आयुक्त, को० ख० भ० नि० संगठन



COAL MINES PENSION ADMINISTRATION ACCOUNTS

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31-03-25

EXPENDITURE Bank Commission Bonus Children Education Allowance Dearness Allowance-Officers & Establishments Form & Stationery House Rent Allowance-Officers & Establishments Mechanisation of Member's Accounts Pay of Establishments Pay of Officer Printing & Publicity Proportionate Share of Common Expenses Transport Allowance-Officers & Establishments Washing Charges for Liveries	Total(A)	Revenue Transferred from PF Administration Account	INCOME
			Schedule
29,035,765.51 440,000.00 4,070,000.00 17,930,000.00 1,650,000.00 8,250,000.00 3,000,000.00 38,830,000.00 13,860,000.00 13,860,000.00 96,051,844.00 2,200,000.00 11,000.00	215,428,609.51	215,428,609.51	(Amount - ₹) As on 31.03.25
141,766,269,98 440,000.00 4,070,000.00 17,930,000.00 1,650,000.00 8,250,000.00 33,000,000.00 38,830,000.00 13,860,000.00 13,860,000.00 133,640,146.00 2,200,000.00 11,000.00	395,747,415.98	395,747,415.98	(Amount - ₹) As on 31.03.24

Reserves & Surplus A/C Excess of Expenditure over Income (A-B) transferred to

Significant Accounting Policies

ASSISTANT COMMUSSIONER

(NIRANJAN KR. MISHRA) REGIONAL COMMISSIONER

> 215,428,609.51 395,747,415.98

(SAJEESH KUMAR N) (COMMISSIONER)

ommissioner, CMPF Organisation सधीय कुमार एन. Sajeesh Kumar N. आयुक्त, कोo खo भo निo संगठन Dhanbad धनवाद



COAL MINES PENSION ADMINISTRATION ACCOUNTS

SCHEDULES FORMING PERT OF BALANCE SHEET AS ON 31-03-2025

SCHEDULE 1 - RESERVES AND SURPLUS

Particulars

As on 31.03.2025 (Amount - ₹)

As on 31.03.2024 (Amount - ₹)

Opening Balance

Add: Current Year

Less: Past Year Adjustment

Administration Account Less : Excess of Expenditure over Income transfer to CMPF

Closing Balance

SCHEDULE 2 - CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

Amount payable to Accounts VIII (PF Administration) Amount Payable to Pension A/C for Bank Commission & As on 31.03,2025 (Amount - ₹) 2,128,354,027.52 As on 31.03.2024 (Amount - ₹) 2,099,318,262.01

Total in Rs...

Management Fees

2,128,354,027.52

2,099,318,262.01

SCHUDULE 3 - CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

Particulars

(Amount - ₹) As on 31,03,2025

(Amount - ₹) As on 31.03.2024

Amount recoverable to Accounts VIII (PF Administration) Amount receivable from Account No.I towards Govt. Grants Loans & Advances

Total in Rs...

REGIONAL COMMISSIONER (NIRANJAN KR. MISHRA 20/6/ac

ASSISTANT COMMISSIONER

2,099,318,262.01 775,709,262.01

2,128,354,027.52

1,323,609,000.00 804,745,027.52

Commissioner, CMPF Organisation आयुक्त, को० ख० भ० नि० संगठन (SAJEESH KUMAR N (COMMISSIONER) Sajeesh Kumar N. सजीय कुमार एन.

Dhanbad धनवाद

> frequency by Kolkata

COAL MINES PENSION ADMINISTRATION ACCOUNT

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

SCHEDULE 4 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Significant Accounting Policies:

1. General

Accounts are prepared on the historical cost basis and on the accounting principles of a going concern.

accounting principles. Accounting Policies not specifically referred to otherwise be consistent and in consonance with generally accepted

E offices/sections of HQr office, custodian, fund managers, bankers etc. Accounts are prepared/compiled on reports duly signed/authenticated by the respective heads of regional

2. Income

reporting period and accounted for on accrual basis. An amount of ₹ 0.00 crore received from Government as Administrative Charge (Grant Received) during the

E Pension Scheme 1998. to meet the Pension Administration expenses as per provisions contained in para 18 (3) of the Coal Mines Revenue amounting to ₹21,54,28,609.51 has been transferred from Provident Fund Administration in order

3. Expenses

transferred to such account as per guidelines issued by the ministry. All the expenditure pertaining to Pension Administration are being incurred from PF Administration account and

B. Notes to Accounts

- reimbursed by the Pension Administrative Account. Bank Charges includes Bank Charges pertaining to pension fund account. Bank Charges & Management Fees are
- = from Provident Fund Administration Account Expenditure includes expenses of Officers and Employees engaged for disbursement of Pension on notional basis
- iii) Figures of Previous year have been regrouped & rearranged wherever necessary.

071

COAL MINES DEPOSIT LINKED INSURANCE FUND CONTRIBUTION ACCOUNT

BALANCE SHEET AS ON 31-03-2025

Total	Investments Current Assets,Loans & Advances	ASSETS	Total	Corpus Fund Reserve & Surplus	CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES
	ω 4			2 1	Schedule
4,844,977,773.99	4,764,635,782.98 80,341,991.01		4,844,977,773.99	1,043,244,709.87 3,801,733,064.12	(Amount-₹) As on 31-03-2025
4,512,641,850.49	4,432,219,332.98 80,422,517.51		4,512,641,850.49	1,043,244,709.87 3,469,397,140.62	(Amount-₹) As on 31-03-2024

(NIRANJÁN KR. MISHRA)
REGIONAL COMMISSIONER

ASSISTANT BOMMISSIONER

Date: 27-06-2025

Place: Dhanbad

Significant Accounting Policies

(SAJEESH KUMAR N) (COMMISSIONER) মাতামা কুমাৰ ছুন, Sajeesh Kumar N, সামুম্বা, কাঁত স্তুত মত নিত মুখ্যতন

आयुक्त, কাঁo স্তুত মত নিত মুখ্যনুন Commissioner, CMPF Organisation খনমাত্র Dhanbad



COAL MINES DEPOSIT LINKED INSURANCE FUND CONTRIBUTION ACCOUNT

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31-03-2025

Total(Interest (Misc.) Interest from Deposit in Publ	INCOME
y	c Account	Schedule
332,416,450.00	332,416,450.00	(Amount-Rs.) As on 31-03-2025
309,224,600.00	309,224,600.00	(Amount-Rs.) As on 31-03-2024

EXPENDITURE

Total...(B)

transfer to Reserve & Surplus A/C Excess of Income Over Expenditure (A-B)

Significant Accounting Policies

(NIRANJAN KR. MISHRA) REGIONAL COMMISSIONER × 3/8

ASSISTANT CONMISSIONER

332,416,450.00

309,224,600.00

(SAJEESH KUMAR N)

Sajeesh Kumar N. आपुरत, কা০ ন্তত মত নিত संगठन (COMMISSIONER) सर्वास कुमार एन. धनबाद

Commissioner, CMPF Organisation Dhanbad



COAL MINES DEPOSIT LINKED INSURANCE FUND CONTRIBUTION ACCOUNT

RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31-03-2025

701,581.06	Total.	782,756.56	701,581.06	Total	782,756.56
622,306.85 56,155.50 22,470.71	136,682.00 S.B.I. A/C IX (Head Quarter) 22,470.71 IDBI A/C IX (Regions)	622,954.85 136,682.00 22,470.71			
	- Closing Balance		22,470.71	IDBI A/C IX	22,470.71 IDBI A/C IX
	Amount Receivable from DLI Adm. A/c-1		622,954.85 56,155.50	623,603.85 S.B.I. A/C IX (Head Quarter) 136,682.00 S.B.I. A/C IX (Regions)	623,603,85 136,682.00
648.00	Expenses 649.00 Bank Charges	649.00		Bank Account - Opening Balance	*
Financial Year 2024-25	Payment	Financial Year 2023- 24	Financial Year 2024-25	Receipt	Financial Year 2023-

ASSISTANT-COM

(NIRANJAN KR. MISHRA)
REGIONAL COMMISSIONER

(SAJEESH KUMAR N) (COMMISSIONER)

Commissioner CMPF Organisation
धनवाद भण्य हुनार एन. Sajeesh Kumar N. आयुक्त, को० ख॰ भ० नि० संगठन

Thurshad

fregand & some

Kolkata

COAL MINES DEPOSIT LINKED INSURANCE FUND CONTRIBUTION ACCOUNT

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31-03-2025

SCHEDULE 1-CORPUS/CAPITAL FUND

1,043,244,709.87	1,043,244,709.87	Closing Balance
		Less: Disbursement made During me Year
	,	Add : Interest Recd. During the Year
		Add : Contribution Recd. During the Year
1,043,244,709.87	1,043,244,709.87	Opening Balance
(Amount-₹) As on 31-03-2024	(Amount-₹) As on 31-03-2025	Particulars

SCHEDULE 2-RESERVE & SURPLUS

Closing Balance	Less: Prior Period Items	Add : Excess of Income over Expenditure	Opening Balance	Particulars
3,801,733,064.12	80,526.50	332,416,450.00	3,469,397,140.62	(Amount-₹) As on 31-03-2025
3,469,397,140.62	,	309,224,600.00	3,160,172,540.62	(Amount-₹) As on 31-03-2024

SCHEDULE 3 - INVESTMENT

4,432,219,332.98	4,764,635,782.98	Balance at the end of the year
309,224,600.00	332,416,450.00	- Government Add :Interest accrued for the year reinvested
		- Coal Mines
4,122,994,732.98	4,432,219,332.98	Balance at the beginning of the year
(Amount-₹) As on 31-03-2024	(Amount-E) As on 31-03-2025	Particulars

SCHEDULE 4 - CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

Total in Rs	Loans & Advances Amount Receivable from DLI Admn. A/C Bank Commission Recoverable from DLI Admn. A/C Amount Receivable from CMPF Main A/c No. I	S.B.I. A/C IX (Head Quarter) S.B.I. A/C IX (Regions) (Annexure A) IDBI A/C IX (A/c No. 012103000003728)	Particulars Bank Balance
80,341,991.01	67,319,433.11 586,748.28 11,734,876.56	622,306.85 56,155.50 22,470.71	(Amount-₹) As on 31-03-2025
80,422,517.51	67,319,433.11 586,100.28 11,734,876.56	622,954.85 136,682.00 22,470.71	(Amount-₹) As on 31-03-2024



धनबाद Dhanbad (SANTOSH KUMAR) 1/1

(NIRANJAN KR. MISHRA)
REGIONAL COMMISSIONER

(SAJEESH KUMAR N.)
(COMNHAND WHR) মূল,
Sajeesh Kumar N.
angan, কাঁ০ ব্যুত খুল নিত ব্যুত্তল

Annexure-A

Balance With Bank Account No -IX (Regions)

SI. No.	Name of Regional Office	As on 31-03-2025	As on 31-03-2024
1	Asansol (Asansol Region-II)		
2	Barakar (Asansol Region-III)		-
3	Bilaspur .	33,333.00	33,333.00
4	Chhindwara	-	
5	Deoghar		-
6	Dhanbad (Dhanbad Region-I)		-
7	Hyderabad		2,399.50
8	Jablpur		72,671.50
9	Jammu		-
10	Jharia (Dhanbad Region-III)		*
11	Kargali (Ranchi Region-III)		-
12	Katras (Dhanbad Region-II)	-	*
13	Kolkata		
14	Kothagudem		
15	Margherita		
16	Mugma (Asansol Region-IV)	-	
17	Nagpur		
18	New Delhi		
19	Ramgarh (Ranchi Region-II)		5,455.50
20	Ranchi (Ranchi Region-I)		
21	Raniganj (Asansol Region-I)		
22	Sambalpur	22,822,50	22,822.50
23	Singrauli		
24	Talcher	-	-
	Total	56,155.50	136,682.00

COAL MINES DEPOSIT LINK INSURANCE FUND ACCOUNT

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

A. Significant Accounting Policies:

5	4.	,s	.2		+	I.
Contribution.	Investments.	Expenses i) iii)	Income i) ii)	III)	55	I. General
Interest on Public Account have been accounted for on accrual basis.	Investments are stated at cost, inclusive of brokerage except Management fee.	Expenses pertains to DLI Fund Account is accounted in DLI administration account. Bank charges/commission includes bank charges for DLI Fund account. Loss/Profit on redemption of security is accounted at the time of redemption of security.	Interests on Investment are accounted for on accrual basis. Government Contribution is accounted on cash basis.	accounting principles. Accounts are prepared/compiled on reports duly signed/authenticated by the respective heads of regional offices/sections of hqr office, custodian, fund managers, bankers etc.	Accounts are prepared on the historical cost basis and on the accounting principles of a going concern. Accounting Policies not specifically referred to otherwise be consistent and in consonance with generally accepted	

8

Notes to Accounts

During the year ₹ 33.24 crore sanctioned by the Government of India as interest from Deposit in Public Account.

Figures of Previous year have been regrouped & rearranged wherever necessary.

Premium / Discount Paid / Received at the time of purchase are transferred in P&L account at the time of redemption of

Bank Charges & commission includes of DLI Fund Account.

3

None of Investments are revalued during the year.

CENTRAL ADMINISTRATION ACCOUNT (A/C NO X)

BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

	(SANTOSHIKUMATHUM) ASSISTANT-COMMISSIONER	Significant Accounting Policies	Total	Investments Current Assets, Loans & Advances	ASSETS	Total	Reserve & Surplus Current Liabilities & Provisions	CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES
	(NIRANJAN KR. MISHRA) REGIONAL COMMISSIONER	olicies 5		vances 3			ons 1	AND LIABILITIES Schedule
सजीश কুমাং চূন, Sajeesh Kumar N, आयुक्त, ক্ষাঁও স্তঃত মত নিত মাঁতন Commissioner, CMPF Organisation	(SAJEESH KUMAR N)	i	2,148,784,154.26	217,939,342.70 1,930,844,811.56		2,148,784,154.26	2,080,877,972.87 67,906,181.39	(Amount - ₹) As on 31.03.2025
गर एन. unar N. ५० नि॰ संगठन PF Organisation	JUMAR N)	7025	2,010,081,051.64	205,550,593.06 1,804,530,458.58		2,010,081,051.64	1,942,175,518.25 67,905,533.39	(Amount - ₹) As on 31.03.2024



धनवाद Dhanbad

CENTRAL ADMINISTRATION ACCOUNT (A/C NO X)

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31-03-2025

(Amount-₹)

Misc. Interest (Investment) 3,751,159.77 Profit/Loss on Redemption of Investment 23,885.96 Total (A) 148,491,123.62	State Government Securities 2,075,995.19 Public Sector Bonds 107,589.00 Private Sector Bonds 205,500.00	žš.	Administration Charges 815,387.00 Interest on PF Adm. Account (@ 7.6%)	INCOME
35.96				

EXPENDITURE

Provisions for loss due to non-receipt of interest on DHFL Profit/Loss on Redemption of Investment Proportionate Share of Common Expenses	Bank Commission
182,188.00 9,605,184.00	1,297.00
951,025.00 13,364,015.00	1,298.00

	- Indianiani
135 345 977 31	138 700 454 60
14,316,338.00	9,788,669.00

Danna.

Significant Accounting Policies

ch

Excess of Income Over Expenditure (A-B) transferred to Reserves & Surplus A/C

Total (B)...

ASSISTANT COMMISSIONER

(NIRANJAN KR. MISHRA)
REGIONAL COMMISSIONER

(SAJEESH KUMAR N)
(COMMISSIONER) कुमार एन.
(COMMISSIONER) कुमार एन.
अायुक्त, कोठ खठ भठ निठ संगठन
Commissioner, CMPF Organisation
धनवाद



Bank Account - Opening Balance	RECEIPT & PAYMENT FOR THE PERIOD ENDING 31-03-2025 Receipt Re	158,885,270.50	Total, //	204,251,883.68	158,885,276.56	Total	204,251,883.68
Receipt 2024-25 2023-24 Investments 2024-25 2023-24	RECEIPT & PAYMENT FOR THE PERIOD ENDING 31-03-2025 Receipt Financial Year 2023-24 Bank Account X (HQ) Security Service, Mumbai 48,512.70 Administrative Charges Amount Received from DLI Main Public Sector Bonds Private Sector Bonds Public Sector Bonds Public Sector Bonds Private Sector Bonds Private Sector Bonds Public Sector Bonds Private	103,634,906. 3,680,618. 48,512.	S.B.I.Account X (HQ) Investment Bank IDBI A/C X (HQ)	98,980,413.44 733,073.44 48,512.70	1,896,550.00 2,080,232.19 11,293,225.70 107,684.00 205,500.00 3,751,159.77	Income Interest on Central Govt. Securities Interest on Public Sector Undertak Interest on State Govt. Securities Interest on Private Sector Undertal Interest on STG Misc. Interest (Investment)	1,896,550.00 2,067,963.65 11,167,870.21 90,916.11 205,500.00 13,412,713.38
Receipt 2024-25 2023-24 rayments Bank Account - Opening Balance 44 S.B.I.Account X (HQ) 04 Security Service, Mumbai 70 IDBI A/C X (HQ) 05 Administrative Charges Amount Received from Other A/c Amount received from DLI Main Public Sector Bonds 51,019,151.90 State Govt. Securities Frivate Sector Bonds State Govt. Securities Public Sector Bonds State Govt. Securities Public Sector Bonds State Govt. Securities Public Sector Bonds State Govt. Securities Private Sector Bonds Amount Paid from Other A/c Interest accrue but not due	RECEIPT & PAYMENT FOR THE PERIOD ENDING 31-03-2025 Receipt Financial Year 2023-24 Public Sector Bonds State Govt. Securities STG Public Sector Bonds STG Public Sector Bonds STG Public Sector Bonds STG Public Sector Bonds State Govt. Securities STG Public Sector Bonds State Govt. Securities Private Sector Bonds State Govt. Securities Private Sector Bonds State Govt. Securities Private Sector Bonds Amount Received from DLI Main Received from DLI Main	649.0	Expenses Bank Charges Bank Account Closing Balance		31,405,180.32 7,320,000.00 248,358.00	Redemption of Investments Public Sector Security Central Govt. Security ULF Stage Govt. Security Private Sector Bonds	
Receipt 2024-25 2023-24	RECEIPT & PAYMENT FOR THE PERIOD ENDING 31-03-2025 Receipt Financial Year 2023-24 Payment 2024-25 Investments - Opening Balance - Opening Balance S.B.I.Account X (HQ) 733,073.44 S.B.I.Account X (HQ) 733,073.44 Security Service, Mumbai 48,512.70 State Govt. Securities STG Interest Paid on Purchase		Public Sector Bonds State Govt. Securities Private Sector Bonds Amount Paid from Other A/c Interest accrue but not due		815,387.00	Administrative Charges Amount Received from Other A/c Amount received from DLI Main	768,080.00
Receipt 2024-25 2023-24 Fayment	RECEIPT & PAYMENT FOR THE PERIOD ENDING 31-03-2025 Receipt Financial Year Payment 2024-25 2023-24	20,122,990.0	Investments Public Sector Bonds State Govt. Securities STG ULF Ulf		98,980,413.44 733,073.44 48,512.70	Bank Account - Opening Balance S.B.I.Account X (HQ) Security Service, Mumbai IDBI A/C X (HQ)	
Financial Year Financial Year Payment		Financial Year 2024-25	Payment	Financial Year 2023-24	Financial Year 2024-25	Receipt	Financial Year 2023-24



ASSISTANT COMMIS

(NIRANJAN KR. MISHRA)
REGIONAL COMMISSIONER

(SAJEESH KUMAR N)
(COMMISSIONER)
Sajeesh Kumar N.
Sajeesh Kumar N.

Commissioner, CMPF Organisation धनवाद Dhanbad

- -

COAL MINES DEPOSIT LINKED INSURANCE FUND CENTRAL ADMINISTRATION ACCOUNT (A/C NO X)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025

SCHEDULE 1-RESERVE & SURPLUS

Closing Balance	Particulars Opening Balance Add: Excess of Income over Expenditure during the year
2,080,877,972.87	(Amou Balance as on 31-03-2025 1,942,175,518.25 138,702,454.62
1,942,175,518.25	ınt-₹) Balance as on 31-03-2024 1,806,829,540.94 135,345,977.31

SCHEDULE 2-CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

The second secon		HI THE STATE OF TH
67,905,533.39	67,906,181.39	Total in Rs
586,100.28	586,748.28	Amount Payable to DLI Main A/c Bank Charges Payable to DLI Main A/c
31-03-2024	31-03-2025	Particulars
Balance as on	Balance as on	
1-₹)	(Amoun	

SCHEDULE 3 - INVESTMENT

	-
>	- 79
2	E
	101
	č
	-
	- 19
7	2

Total in Rs	STG (Annexure - F)	Private Sector Bonds (Annexure - D)	Public Sector Bonds (Annexure - C)	State Government Securities (Annexure - B)	Central Government Securities (Annexure - A)	Particulars
217,939,342.70	3,000,000.00	5,214,565.87	25,246,080.00	162,180,906.93	21,819,589.90	Amount as on Amoun
205,550,593.06	461,894.36 3,000,000.00	5,462,923.87	25,246,080.00	149,560,104.93	21,819,589.90	Amount as on 31-03-2024
						- 4

(Amount-₹	(Amount-₹)	nt-8)
Particulars	Amount as on 31-03-2025	Amount as on 31-03-2024
Bank Balances S.B.I. A/C (HQ) (A/c No.10976587129)	10.254 867 44	9 490 794 44
S.B.I. A/C (HQ) (A/c No.10976587129)-SWIPP	93,380,039.00	89,489,619.00
Investment Account	3,680,618.42	733,073.44
IDBI A/C X (HQ) (A/c No. 012103000003735)	48,512.70	48,512.70
Loans & Advances		
Amount Receivable from CMPF A/c - 1	18,739,121.00	18,739,121.00
Amount Receivable from A/C XII	1,400.00	1,400.00
Amount Receivable from CMPF Adm. A/c	1,801,858,950.00	1,683,516,853.00
Interest Accrued But Not Due		
Central Govt. Securities (Annexure - G)	434,400.00	438,394.00
State Govt. Securities (Annexure - H)	1,945,933.00	1,567,389.00
Public Sector Bonds (Annexure - I)	443,258.00	447,495.00
STG (Annexure - J)	56,864.00	56,864.00
PVT (Annexure - K)	848.00	943.00

(NIRANJAN KR. MISHRA) REGIONAL COMMISSIONER

ASSISTANT COMMISSIONER

Tatol in Rs...

1,930,844,811.56 1,804,530,458.58

(COMMISSIONER) থূন,
Sajeesh Kumar N.
आयुक्त, কাঁ০ স্ত্ৰুত গত নিত মান্তন্
Commissioner, CMPF Organisation
ধনবার
Dhanbad (SAJEESH KUMAR N)

Pregons

SCHEDULE 5 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2025 COAL MINES DLI ADMINISTRATION ACCOUNT

Ser.

Significant Accounting Policies

General

Accounts are prepared on the historical cost basis and on the accounting principles of a going concern.

accounting principles. Accounting Policies not specifically referred to otherwise be consistent and in consonance with generally accepted

offices/sections of HQr office, custodian, fund managers, bankers etc. Accounts are prepared/compiled on reports duly signed/authenticated by the respective heads of regional

W

H)

Income

Interests on Investment are accounted for on accrual basis.

Government Contribution is accounted on cash basis.

3 Expenses

Expenses pertains to DLI Fund Account is accounted in DLI administration account.

Bank charges/commission includes bank charges for DLI Fund account.

Loss/Profit on redemption of security is accounted at the time of redemption of security.

Investments.

Investments are stated at cost, inclusive of brokerage except Management fee.

S Contribution.

DLI Administration contribution is accounted on cash basis

Notes to Accounts

E E Bank Charges & commission includes of DLI Fund Account.

Figures of Previous year have been regrouped & rearranged wherever necessary.

Premium / Discount Paid / Received at the time of purchase are transferred in P&L account at the time of redemption of

इ इ During the period under reporting ₹815387.00 is received as Inspection Charge.

The resolution plan of DHFL has been finalized and proceeds also received during the reporting period 2021-22.

₹ 33.67 lakh received against the resolution plan and the balance appearing under Holding of PVT.

redemption of ULF (Equity). During the year ₹ 1,82,188.00 booked as loss on redemption of Debt Investments and ₹ 23,885.96 booked as profit on

vii) None of Investments are revalued during the year. Vi)

The Surplus of CMPF Organisation exempted from levy of Income Tax under section 10(25) of Income Tax Act, 1961.

0



कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER COAL MINES PROVIDENT FUND

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2024-25 AUDIT CERTIFICATE 2024-25

मुख्यालय : कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद - 826001 (झारखंड)
HEAD QUARTER: COAL MINES PROVIDENT FUND ORGANIZATION, DHANBAD- 826001 (JHARKHAND)

SEPARATE AUDIT REPORT

ON THE ACCOUNTS

OF

CMPFO DHANBAD

FOR THE YEAR 2024-25



सत्यमेव जयते

O/o the Director General of Audit (Mines & Coal), Kolkata 234/4, A.J.C. Bose Road Kolkata - 700020

कार्यालय, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (कोयला), पुराना निज़ाम महल, प्रथम तल, 234/4, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता — 700 020



OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (COAL) OLD NIZAM PALACE, 234/4, A.J.C. BOSE ROAD, KOLKATA - 700020

दिनांक / Date :

Dated: 07 November 2025

No.391897-CA/CCL/CMPFO/A/cs/2024-25/824

To
The Commissioner,
Coal Mines Provident Fund Organization
Police line Hirapur
Dhanbad-826001

Subject:- Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the accounts of the Coal Mines Provident Fund Organization for the year 2024-25.

Sir.

I am to forward herewith Separate Audit Report on the accounts of the Coal Mines Provident Fund Organization (CMPFO), Dhanbad for the year 2024-25 along with the Audit Certificate. You are requested to prepare the Hindi version of Separate Audit Report and print requisite number of copies along with Annual Accounts both in English and Hindi for submission thereof to the Ministry of Coal, Government of India for causing the same to be placed before the Parliament.

Further, while printing the Separate Audit Report in Hindi Version, the following disclaimer should be positively inserted.

प्रस्तुत, प्रतिवेदन मूल रूप से अँग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है । यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होता है तो अँग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

A copy of the Resolution of the Government Body adopting the Audit Report and Audit Certificate with audited Annual Accounts may kindly be furnished to this office. The date of placement of the said Report before the Parliament may please also be intimated. Ten (10) copies of the Printed Audit Report may be forwarded along with three copies of the Annual Report of the organization.

The Separate Audit Reports may be treated as confidential till the same is placed before the parliament.

Yours faithfully,

(Anindya Dasgupta) Principal Director of Audit

Encl.: As stated

Phone: +033-2287-7165

Fax: +91-033-22800062

E-mail: dgacoalkol@cag.gov.in

Opinion of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Coal Mines Provident Fund Organisation for the year ended 31 March 2025

Opinion

We have audited the financial statements of Coal Mines Provident Fund Organisation (CMPFO) which comprise the statement of financial position as at 31 March 2025 and the Income & Expenditure Account, Receipts & Payment Account for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies under Section 20 (1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with paragraph 59 of the Coal Mines Provident Fund Scheme, paragraph 20 of the Coal Mines Pension Scheme and paragraph 19 of the Coal Mines Deposit Linked Insurance Scheme. The audit has been entrusted for the period upto 2027-28. These financial statements include the accounts of 20 Regional Offices (ROs) and the Head Office of CMPFO.

This Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions regarding compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety & Regularity) and efficiency cum performance aspects, etc., if any, are reported through inspection reports/ CAG's audit reports separately.

In our opinion the accompanying financial statements of CMPFO, read together with the accounting policies and Notes thereon and matters mentioned in the Separate Audit Report, which follows, give a true and fair view of the financial position of the autonomous body as at 31 March 2025, and (of) its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with uniform format of accounts / format applicable to CMPFO / accounting standards generally accepted in India.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the CAG's auditing regulations/standards/ manuals/guidelines/guidance-notes/orders/circulars etc. Our responsibilities are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the autonomous body in accordance with ethical

requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled

our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the

audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our

opinion.

Emphasis of Matter

CMPFO has adopted accounting policies for accounting of Contributions against

Provident Fund Administration charges and expenditure of Provident Fund

Administration charges on cash basis. This was contrary to the Fundamental Accounting

Assumptions of Accounting Standards (AS) 1.

Responsibilities of Management for the financial statements

The Board of Trustees, Governing Body of CMPFO is responsible for the preparation and

fair presentation of the financial statements in accordance with uniform format of accounts

/format applicable to CMPFO/ accounting standards generally accepted in India, and for

internal control as management determines it necessary to enable the preparation of

financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements

as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue

an auditor's report that includes our opinion in accordance with CAG's auditing regulations/

standards/manuals/guidelines/guidance-notes/orders/circulars etc.

For and on behalf of the CAG of India

(Anindya Dasgupta)

Principal Director of Audit

Place: Kolkata

Dated: 07 November 2025

Separate Audit Report on the Accounts of Coal Mines Provident Fund Organisation

A. Balance Sheet

A.1 Assets

A.1.1 Provident Fund Administration

A.1.1.1 Non-Capitalization of Assets and Non-charging of Depreciation

CMPFO undertook (March 2023) work related to centralized IT portal for digitization and automation of settlement procedures. Completion certificate for the work was received on 29 June 2024 and accordingly the value of assets needs to be capitalized. CMPFO released ₹ 6.64 crore during the previous year and ₹ 5.01 crore during the current year. However, only the amount of ₹ 5.01 crore paid during the year 2024-25 has been capitalised.

During the previous year CMPFO treated ₹ 6.64 crore as revenue expenditure. As the work was under progress, comment was approved for treating the amount as capital work in progress. Management has not taken corrective action in respect of amount disbursed during the previous years, resulting in understatement of Fixed Assets as well as Reserves and Surplus to the extent of ₹ 6.64 crore.

Further, CMPFO neither has any laid down policy regarding depreciation of software nor any assessment for useful life of software has been made.

This has resulted in understatement of Fixed Assets by ₹ 6.64 crore as well as understatement of Reserve and Surplus to the same extent.

A.2.1 Provident/Pension Fund Accounts

A. 2.1.1 Non-Accounting of Loss of Investment

CMPFO invested ₹ 1390.25 crore in financial instruments of Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL). Owing to governance concerns and defaults in meeting various payment obligations, DHFL went (November 2019) before Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT) under the Insolvency and Bankruptcy Code. NCLT initiated Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) against DHFL and approved the resolution plan in June 2021. After implementation of the resolution plan, CMPFO

received ₹ 673.98 crore against the investment made till 31 March 2025, resulting in loss of investment of ₹ 716.27 crore.

Paragraph 19 of AS 13 stipulates that where there is a decline, other than temporary, in the carrying amounts of long-term investments, the resultant reduction in the carrying amount is charged to the profit and loss statement.

Hence, this loss requires to be written off from the books of accounts. However, the loss of the above investments was not accounted for and CMPFO has still shown investments of ₹ 716.27 crore in DHFL in their accounts.

This has resulted in overstatement of investment and corpus of Provident/Pension Fund by ₹716.27 crore.

This issue has been commented repeatedly since the year 2019-20, however, no corrective action has been taken till date.

B. Income and Expenditure Account

B.1 Expenditure

B.1.1 Non-Provision of Expenditure (Schedule 13.4)

The above did not include expenses amounting to ₹ 5.52 crore accrued during the Financial Year 2024-25 towards Commission for CMPF Pension payment and Portfolio Management Fees. These expenses pertained to the period from October 2024 to March 2025. Since, the services were rendered during Financial Year 2024-25, the expenses should have been provided for in the books of accounts.

Paragraph 14 of AS 29 stipulates that a provision should be recognised when: (a) an enterprise has a present obligation as a result of a past event; (b) it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation;

Thus, non-provision of expenditure in the books of accounts led to understatement of expenditure as well as understatement of liability by ₹ 5.52 crore and consequently net Surplus Transferred to Balance Sheet was also overstated to the same extent.

C. Accounting Policies

C.1 Deficiencies in Accounting Policy

- CMPFO does not have a formal accounting policy for obtaining balance confirmation from banks, debtors and creditors.
- CMPFO does not have an accounting policy regarding materiality for considering the items under prior period adjustments.
- 3. CMPFO has adopted accounting policies for accounting of Contribution against Provident Fund Administration charges and expenditure of Provident Fund Administration on cash basis. This was contrary to the Generally Accepted Accounting Policies (GAAP) which is based on accrual basis of accounting.
- CMPFO does not have any accounting policy in respect of charging depreciation on Software.

D. Management Letter

Deficiencies which have not been included in this Separate Audit Report have been brought to the notice of the Management through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.

E. Assessment of Internal Controls

(i) Adequacy of Internal Control System:

CMPFO did not have an accounting manual and there is no Integrated Accounting Software system available with RO's and Headquarter office for seamless synchronisation of data.

(ii) Adequacy of Internal Audit System:

Although, CMPFO has its internal audit cell, but there is no laid down internal audit manual and sanctioned manpower to carry out the internal audit of CMPFO. Out of the 20 RO's selected for audit by the internal audit wing during the year 2024-25, only seven RO's were audited during the period. Thus, Internal Audit is not adequate and commensurate to the size and nature of operations of CMPFO.

(iii) System of Physical verification of fixed assets:

As per rule 213 of GFR 2017, Fixed Assets need to be verified at least once a year. However, CMPFO has not carried out physical verification of its fixed assets during the year 2024-25.

(iv) System of Physical verification of inventory:

No inventory is maintained by CMPFO, hence, this is not applicable.

(v) Regularity in payment of statutory dues:

Audit did not come across any such irregularities in depositing undisputed statutory dues.

F. Grants in aid

Out of the grants in aid of ₹ 10.82 crore received during the year, the organization could utilize a sum of ₹ 10.82 crore leaving a balance of ₹ Nil as unutilized grant as on 31March 2025.

(Anindya Dasgupta) Principal Director of Audit